धारा 3(3) के अंतर्गत जारी कागजात-अक्टूबर, नवम्बर,दिसम्बर 2023

स्थापना आदेश,परिपत्र, कार्यालय आदेश आदि

कुल -88 [स्थापना आदेश-सं.153 से 239 (कुल 85),1 शुद्धिपत्र,2 स्थापना परिपत्र [234,235 -जारी नहीं किए गए]

क्रम सं	स्थापना आदेश संख्या	दिनांक	कार्रवाई	
1	आदेश सं-153/2023	05.10.2023	अनुवाद किया गया	RCR
2	आदेश सं-154/2023	09.10.2023	अनुवाद किया गया	CTB
3	आदेश सं-155/2023	09.10.2023	अनुवाद किया गया	CTB
4	आदेश सं-156/2023	09.10.2023	अनुवाद किया गया	MK
5	आदेश सं-157/2023	12.10.2023	अनुवाद किया गया	MK
6	आदेश सं-158/2023	17.10.2023	अनुवाद किया गया	CTB
7	आदेश सं-159/2023	12.10.2023	अनुवाद किया गया	RCR
8	आदेश सं-160/2023	12.10.2023	अनुवाद किया गया	CTB
9	आदेश सं-161/2023	25.10.2023	अनुवाद किया गया	MK
10	आदेश सं-162/2023	03.11.2023	अनुवाद किया गया	MK
11	आदेश सं-163/2023	03.11.2023	अनुवाद किया गया	MK
12	आदेश सं-164/2023	03.11.2023	अनुवाद किया गया	MK
13	आदेश सं-165/2023	03.11.2023	अनुवाद किया गया	MK
14	आदेश सं-166/2023	03.11.2023	अनुवाद किया गया	MK
15	आदेश सं-167/2023	03.11.2023	अनुवाद किया गया	MK
16	आदेश सं-168/2023	03.11.2023	अनुवाद किया गया	MK
17	आदेश सं-169/2023	03.11.2023	अनुवाद किया गया	MK
18	आदेश सं-170/2023	03.11.2023	अनुवाद किया गया	MK
19	आदेश सं-171/2023	03.11.2023	अनुवाद किया गया	MK
20	आदेश सं-172/2023	03.11.2023	अनुवाद किया गया	MK
21	आदेश सं-173/2023	03.11.2023	अनुवाद किया गया	MK
22	आदेश सं-174/2023	03.11.2023	अनुवाद किया गया	MK
23	आदेश सं-175/2023	03.11.2023	अनुवाद किया गया	MK
24	आदेश सं-176/2023	03.11.2023	अनुवाद किया गया	MK
25	आदेश सं-177/2023	03.11.2023	अनुवाद किया गया	MK
26	आदेश सं-178/2023	03.11.2023	अनुवाद किया गया	MK
27	आदेश सं-179/2023	03.11.2023	अनुवाद किया गया	MK
28	आदेश सं-180/2023	03.11.2023	अनुवाद किया गया	MK
29	आदेश सं-181/2023	03.11.2023	अनुवाद किया गया	MK
30	आदेश सं-182/2023	03.11.2023	अनुवाद किया गया	MK
31	आदेश सं-183/2023	03.11.2023	अनुवाद किया गया	MK
32	आदेश सं-184/2023	03.11.2023	अनुवाद किया गया	MK
33	आदेश सं-185/2023	03.11.2023	अनुवाद किया गया	MK
34	आदेश सं-186/2023	03.11.2023	अनुवाद किया गया	MK
35	आदेश सं-187/2023	03.11.2023	अनुवाद किया गया	MK
36	आदेश सं-188/2023	03.11.2023	अनुवाद किया गया	MK
37	आदेश सं-189/2023	03.11.2023	अनुवाद किया गया	MK
38	आदेश सं-190/2023	03.11.2023	अनुवाद किया गया	MK
39	आदेश सं-191/2023	03.11.2023	अनुवाद किया गया	MK
40	आदेश सं-192/2023	30.10.2023	अनुवाद किया गया	RCR
41	आदेश सं-193/2023	30.10.2023	अनुवाद किया गया	RCR
42	आदेश सं-194/2023	31.10.2023	अनुवाद किया गया	RCR
43	आदेश सं-195/2023	06.11.2023	अनुवाद किया गया	RCR
44	आदेश सं-196/2023	08.11.2023	अनुवाद किया गया	MK
45	आदेश सं-197/2023	08.11.2023	अनुवाद किया गया	CTB
46	आदेश सं-198/2023	08.11.2023	अनुवाद किया गया	CTB
47	आदेश सं-199/2023	06.11.2023	अनुवाद किया गया	MK
48	आदेश सं-200/2023	10.11.2023	अनुवाद किया गया	MK
49	आदेश सं-201/2023	13.11.2023	अनुवाद किया गया	CTB
50	आदेश सं-202/2023	22.11.2023	अनुवाद किया गया	MK
51	आदेश सं-203/2023	22.11.2023	अनुवाद किया गया	MK

MK- 42
VTG- 7
RCR-21
CTB-18
88

52	आदेश सं-204/2023	22.11.2023	अनुवाद किया गया	MK
53	आदेश सं-205/2023	22.11.2023	अनुवाद किया गया	MK
54	आदेश सं-206/2023	22.11.2023	अनुवाद किया गया	MK
55	आदेश सं-207/2023	22.11.2023	अनुवाद किया गया	MK
56	आदेश सं-208/2023	21.11.2023	अनुवाद किया गया	RCR
57	आदेश सं-209/2023	24.11.2023	अनुवाद किया गया	CTB
58	आदेश सं-210/2023	29.11.2023	अनुवाद किया गया	MK (CTB)
59	आदेश सं-211/2023	29.11.2023	अनुवाद किया गया	MK (CTB)
60	आदेश सं-212/2023	06.12.2023	अनुवाद किया गया	CTB
61	आदेश सं-213/2023	30.11.2023	अनुवाद किया गया	MK (CTB)
62	आदेश सं-214/2023	06.12.2023	अनुवाद किया गया	CTB
63	आदेश सं-215/2023	01.12.2023	अनुवाद किया गया	RCR
64	आदेश सं-216/2023	01.12.2023	अनुवाद किया गया	RCR
65	आदेश सं-217/2023	01.12.2023	अनुवाद किया गया	RCR
66	आदेश सं-218/2023	04.12.2023	अनुवाद किया गया	VTG
67	आदेश सं-219/2023	05.12.2023	अनुवाद किया गया	RCR
68	आदेश सं-220/2023	08.12.2023	अनुवाद किया गया	RCR
69	आदेश सं-221/2023	08.12.2023	अनुवाद किया गया	RCR
70	आदेश सं-222/2023	08.12.2023	अनुवाद किया गया	RCR
71	आदेश सं-223/2023	20.12.2023	अनुवाद किया गया	VTG
72	आदेश सं-224/2023	21.12.2023	अनुवाद किया गया	RCR
73	आदेश सं-225/2023	21.12.2023	अनुवाद किया गया	RCR
74	आदेश सं-226/2023	21.12.2023	अनुवाद किया गया	RCR
75	आदेश सं-227/2023	22.12.2023	अनुवाद किया गया	CTB
76	आदेश सं-228/2023	26.12.2023	अनुवाद किया गया	VTG
77	आदेश सं-229/2023	26.12.2023	अनुवाद किया गया	VTG
78	आदेश सं-230/2023	29.12.2023	अनुवाद किया गया	CTB
79	आदेश सं-231/2023	29.12.2023	अनुवाद किया गया	VTG
80	आदेश सं-232/2023	28.12.2023	अनुवाद किया गया	CTB
81	आदेश सं-233/2023	28.12.2023	अनुवाद किया गया	VTG
	आदेश सं-234/2023	01.12.2023	जारी नहीं हुआ	-
	आदेश सं-235/2023	01.12.2023	जारी नहीं हुआ	-
82	आदेश सं-236/2023	29.12.2023	अनुवाद किया गया	RCR
83	आदेश सं-237/2023	29.12.2023	अनुवाद किया गया	RCR
84	आदेश सं-238/2023	29.12.2023	अनुवाद किया गया	RCR
85	आदेश सं-239/2023	29.12.2023	अनुवाद किया गया	VTG
86	आदेश सं.-220 का शुदधिपत्र	14.12.2023	अनुवाद किया गया	RCR

स्थापना परिपत्र

क्रम सं	स्थापना परिपत्र	दिनांक	कार्रवाई	
1	स्थपाना परिपत्र 1 /2023	08.11.2023	अनुवाद किया गया	CTB
2	परिपत्र - छुट्टी सूची	14.11.2023	अनुवाद किया गया	CTB

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

फाइल सं.II/(3)/36/2020-ESTT

आदेश सं.: 239 / 2023

विषय : अधीक्षक, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम के संवर्ग में पदोन्नति - संबन्धित।

निम्नलिखित निरीक्षक को,ऐसे भत्ते,जो लागू हो सकते हैं, सहित एवं पूर्व-संशोधित वेतनमान पर ग्रेड वेतन -4,800 / -सहित वेतन बैंड 9,300-34,800 रुपये(वेतन बैंड -2) के अनुरूप, वेतन मेट्रिक्स स्तर - 8 में,ग्रुप'बी' पद, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक के संवर्ग में तदर्थ और इन-सीटू आधार पर उच्च पद में कार्यभार ग्रहण की तारीख से एवं आगे के आदेश तक इस के साथ पदोन्नत किया किया जाता है |

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री /श्रीमती)	जन्म तिथि
1	भूपाल कुमार	12.02.1987

2. उपर्युक्त अधिकारियों को दिनांक **01.01.2024** को या उसके बाद तथा दिनांक **10.01.2024** तक उच्च पद ग्रहण करना चाहिए |

3. निरीक्षकों की अधीक्षक के ग्रेड में पदोन्नति ओपी (सीएटी) संख्या 4305/2011, ओपी (सीएटी) 999/2012, ओपी (सीएटी) संख्या 998/212, ओपी (सीएटी) संख्या 968/2012, ओए सीएटी (ईबी) में सं. 180/00806/2014 और संबंधित न्यायालयों/न्यायाधिकरणों में अन्य लंबित मामले में उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 28.03.2012 के खिलाफ विभाग द्वारा दायर एसएलपी संख्या 20810/2012 के परिणाम के अधीन है।

4. अधिकारी के कार्यभार ग्रहण करने/ न करने के बारे में अनुपालन रिपोर्ट इस कार्यालय को दिनांक **15.01.2024** तक भेज दी जानी चाहिए ।

टी.जी.वेंकटेश

[टी जी वेंकटेश]
आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति (संबन्धित अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रति :

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम

2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोयिक्कोड
3. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अपील आयुक्तालय, कोच्चि
4. सीमा शुल्क निवारक आयुक्त, कोचिन
5. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि
6. अपर महा निदेशक, डी जी जी आई /डी आर आई आंचलिक इकाई ,कोच्चि
7. केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि के मंडल कार्यालयों के प्रभारी सभी उप/सहायक आयुक्त
8. तिरुवनंतपुरम/ कोयिक्कोड / सीसीपी / ले.प., कोच्चि में कार्यरत उप/सहायक आयुक्त
9. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी,केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि /तिरुवनंतपुरम/कोयिक्कोड/सीसीपी/ ले.प.,कोच्चि
10. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), अधीक्षक(सत॰ /गोपनीय),कोच्चि/ कोयिक्कोड/ तिरुवनंतपुरम/ सीसीपी/ ले.प.
11. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु ।
12. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II(3)/31/2020-ESTT दिनांक: 29.12.2023

आदेश सं. : 238 / 2023

विषय: सहायक उप-निरीक्षक(शस्त्र) के श्रेणी में पदोन्नति – संबन्धित।

निम्नलिखित हेड हविलदारों को इस के साथ भारत सरकार द्वारा समय समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों सहित वेतन मैट्रिक्स में (21,700-69,100 रुपये) स्तर-3 में, अलिपिकवर्गीय, अराजपत्रित, समूह 'ग', सहायक उप निरीक्षक(शस्त्र) के रूप में नए पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से पदोन्नत किया जाता है ।

क्रम सं	नाम (श्रीमती)	कर्मचारी कोड	वर्तमान तैनात स्थान
1.	एन पार्वती	15.06.1964	सीमा शुल्क(निवारक) आयुक्तालय, कोचिन

2. अधिकारी को दिनांक **12.01.2024** तक पदोन्नत पद में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा उनकी उच्च पद में पदोन्नति को रद्द समझा जाएगा। इनकार, यदि कोई हो, उसे तुरंत लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। नए पद में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से एक महीने के भीतर उन्हें कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा. दिनांक 26.09.81 और 05.07.1999 और 27.07.2017 के अधीन वेतन निर्धारण का विकल्प देना होगा। एक बार अगर विकल्प दिया तो उसे अंतिम विकल्प माना जाएगा |

3. अधिकारी के कार्यभार ग्रहण करने/ न करने के बारे में नियंत्रण अधिकारियों/सम्बंधित अधिकारियों द्वारा जारी अनुपालन रिपोर्ट दिनांक **17.01.2024** तक इस कार्यालय को भेज दी जानी चाहिए।

[रानी सी आर]
अपर आयुक्त[का.व सत.]

सेवा में

सम्बंधित व्यक्ति (सम्बंधित अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है :

1. मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि/ कोयिक्कोड /तिरुवनंतपुरम
3. सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त, कोचिन
4. केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,लेखा परीक्षा, कोच्चि
5. केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अपील, कोच्चि

प्रति प्रस्तुत है :

1. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
2. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ) सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त, कोचिन
3. अधीक्षक (सत.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि/ सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त, कोचिन
4. अधीक्षक(सिस्टम्स)केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि वेबसाइट में अपलोड करने हेतु
5. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु
6. सचिव, केरल केंद्रीय उत्पाद शुल्क समूह ग अधिकारी संघ, कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/28/2020-Estt दिनांक :29.12.2023

आदेश सं.: 237 / 2023

विषय: कर सहायक के ग्रेड में पदोन्नति - संबन्धित।

निम्नलिखित अवर श्रेणी लिपिकों को इसके साथ कर सहायक के ग्रेड में भारत सरकार द्वारा समय समय पर स्वीकृत भत्तों सहित वेतन मेट्रिक्स में लेवल -4 में रु.25,500 -81,100 वेतनमान में पदोन्नत पद में कार्यग्रहण कर लेने की तारीख से पदोन्नत किया जाता है ।

क्रम सं	नाम (सर्वश्री)	कर्मचारी कोड	वर्तमान तैनाती स्थान
1	मुहम्मद बशीर सी	19.01.1972	कोयिककोड आयुक्तालय
2	बैजु के एस	27.05.1974	कोच्चि आयुक्तालय

2. पदोन्नत अधिकारी दिनांक **12.01.2024** को या उसके पहले पदोन्नत पद में कार्यग्रहण कर लेना चाहिए अन्यथा उच्च पद में उनकी पदोन्नति को रद्द समझा जाएगा । इनकार, यदि कोई हो, तत्काल लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उपर्युक्त अधिकारी को नए पद में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से एक माह के भीतर कार्मिक व प्रशिक्षण का ज्ञा. दिनांक 26.09.1981, 05.07.1999 और 27.07.2017 के शर्तों के अधीन वेतन निर्धारण करने के लिए अपना विकल्प देना है । एक बार अगर विकल्प दिया तो उसे अंतिम विकल्प माना जाएगा |

3. नियंत्रण अधिकारियां संबन्धित अधिकारियों के कार्यग्रहण करना /कार्यग्रहण नहीं करना संबन्धित अनुपालन रिपोर्ट इस कार्यालय को दिनांक **17.01.2024** तक भेज देनी चाहिए ।

[रानी सी.आर.]
अपर आयुक्त[का.व सत.]

सेवा में

संबधित व्यक्तियां (संबंधित अधिकारियों के माध्यम से)

प्रति प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र ।
2. आयुक्त, , केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि/कोयिक्कोड ।
3. सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त, कोचिन |

प्रति :

1. अधीक्षक (सत./ सिस्टम्स/ मु.), केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि
2. मुख्य लेखा अधिकारी /वेतन एवं लेखा अधिकारी / प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ)मु केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
3. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/46/2023-Estt दिनांक : 29.12.2023

स्थापना आदेश सं.: 236 / 2023

(डीजीएचआरडी नियुक्ति आदेश सं. तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स /कोच्चि /हवलदार/89369)

विषय :- एसएससी मल्टी-टास्किंग (गैर-तकनीकी) स्टाफ और हवलदार (सीबीआईसी और सीबीएन) परीक्षा, 2022 के माध्यम से हवलदार के ग्रेड में नियुक्ति - संबन्धित

इस केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव दिनांक 28.11.2023 की स्वीकृति पर, मंत्रालय द्वारा एसएससी मल्टी-टास्किंग (गैर-तकनीकी) स्टाफ और हवलदार (सीबीआईसी और सीबीएन) परीक्षा, 2022 के माध्यम से हवलदार के रूप में नियुक्ति के लिए आवंटित एक उम्मीदवार **श्री डेन देव अम्बाडन** को **अनारक्षित -भूतपूर्व सैनिक श्रेणी** में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 में चरित्र और पूर्ववृत्तों के सत्यापन के अधीन, अस्थायी क्षमता पर (रु.18,000- रु.56,900) में और भारत सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते में केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र में हवलदार के रूप में दिनांक **29.12.2023(पूर्वाह्न)** से नियुक्त किया जाता है।

2. **श्री डेन देव अम्बाडन** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में उपर्युक्त उम्मीदवार स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता(आईपीसी) के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

[रानी सी.आर.]
अपर आयुक्त[का व सत]

सेवा में,

श्री डेन देव अम्बाडन,
सुपुत्र वरीद देवस्सी,
अम्बाडन हाउस, आनप्पारा डाक,
देवगिरी रोड, तुरवूर,
एर्णाकुलम, केरल - 683581

प्रतिलिपि समर्पित

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, कोच्चि

प्रतिलिपि :

1. मुख्य लेखा अधिकारी /वेतन एवं लेखा अधिकारी /प्रशासनिक अधिकारी) डी.डी.ओ ,(.केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क ,कोच्चि
2. अधीक्षक(सतर्कता/मु.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
3. अधीक्षक(सिस्टम्स) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि, वेबसाइट में उपलोड करने हेतु
4. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,मु.,कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/40/2023-Estt दिनांक:28.12.2023

आदेश सं.: 233 /2023

(डीजीएचआरडी नियुक्ति आदेश सं.तिरुवनंतपुरम जीएसटी & सीएक्स/कोच्चि/स्टेनोग्राफर-I/89293)

विषय :- एसएससी - आशुलिपिक परीक्षा, 2022 के माध्यम से आशुलिपिक ग्रेड-I के ग्रेड में नियुक्ति - तत्संबंधी ।

इस केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 2911.2023 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर, मंत्रालय द्वारा पत्र फाइल सं.ए.12034/एसएससी/6/2022-एडी.III (बी) दिनांक 12.09.2023 के माध्यम से **अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी** के अंतर्गत आशुलिपिक ग्रेड - । के रूप में नियुक्ति के लिए आवंटित एक उम्मीदवार, **श्री अमीत कुमार** को, ऐसे भत्ते, जिन्हें भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है, सहित के वेतन मैट्रिक्स के स्तर -4 (रु.25,500- रु.81,100) में दिनांक **28.12.2023 (पूर्वाह्न)** से उसके चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की शर्तों पर अस्थायी तौर पर केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र में आशुलिपिक ग्रेड - । के रूप में नियुक्त किया जाता है ।

2. **श्री अमीत कुमार** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में उपर्युक्त उम्मीदवार विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

(टी जी वेंकटेश)
आयुक्त

सेवा में,

श्री अमीत कुमार,
सुपुत्र शरवण प्रसाद,
अफ्फारदिह गाँव, महापुर डाक,
कवाकोल पुलिस थाना, नवाडा जिला,
बिहार - 805106

प्रतिलिपि समर्पित

1. मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि

प्रतिलिपि :

1. अधीक्षक (सतर्कता) , केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क,मु., कोच्चि
2. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.), केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मु.कोच्चि
3. अधीक्षक (सिस्टम्स), केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मुख्यालय, कोच्चि वेबसाइट में अपलोड करने हेतु |
4. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी,), केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मुख्यालय, कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/39/2023-Estt दिनांक :28.12.2023

आदेश सं.: 232/2023

विषय : कर सहायक के ग्रेड में स्थानांतरण एवं तैनाती - केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय - संबन्धित।

केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के कर सहायक के ग्रेड में निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनाती का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम व पदनाम (सर्वश्री)	जन्म तिथि	...से	... को
1.	अभिनव कुमार	07.03.1995	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय को स्था.आदेश के तहत	काक्कनाड मंडल

2. उपर्युक्त अधिकारी को कार्यमुक्त कर लेना चाहिए तथा वे अपने नए तैनात स्थान पर दिनांक **12.01.2024** तक कार्यभार ग्रहण कर लेना चाहिए |
3. अनुपालन दिनांक 17.01.2024 को रिपोर्ट करें |
4. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

[सी टी बिंदु]
उप आयुक्त[का व सत]

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति(पर्यवेक्षक अधिकारियों के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि

प्रति

1. केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के मंडल कार्यालयों के प्रभारी उप /सहायक आयुक्त
2. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी/,प्रशासनिक अधिकारी (डीडीओ),केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि
3. केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के मंडल कार्यालयों के प्रभारी प्रशासनिक अधिकारी (डीडीओ)
4. अधीक्षक (सत.), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
5. अधीक्षक (सिस्टम्स) - वेबसाइट में अपलोड करने हेतु
6. राजभाषा अनुभाग -हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

फाइल सं.II/(3)APPT/25/2020

आदेश सं.: 231 / 2023

विषय : केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क अधीक्षक के संवर्ग में पदोन्नति - संबन्धित।

श्रीमती गीतिका चिब, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक को,ऐसे भत्ते,जो लागू हो सकते हैं, सहित एवं पूर्व-संशोधित वेतनमान पर ग्रेड वेतन -4,800 / -सहित वेतन बैंड 9,300-34,800 रुपये(वेतन बैंड -2) के अनुरूप, वेतन मेट्रिक्स स्तर - 8 में,ग्रुप'बी' पद, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक के संवर्ग में तदर्थ और इन-सीटू आधार पर इस के साथ पदोन्नत किया किया जाता है | अधिकारी उच्च पद में तत्काल कार्यग्रहण करनी चाहिए | अधीक्षक के संवर्ग में उनकी वरिष्ठता दिनांक 26.07.2023 से प्रभावी रूप से नियत है और श्री बादल गफूर ए के ठीक नीचे और श्री अरविंद कुमार काजला के ऊपर रखी गयी है ।

2. उन्हें पदोन्नत पद में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से एक माह के भीतर कार्मिक व प्रशिक्षण का.ज्ञा. दिनांक 26.09.1981 और 05.07.1999 के शर्तों के अधीन वेतन निर्धारण करने के लिए अपना विकल्प दें । एक बार प्रयोग करने के बाद विकल्प अंतिम होगा | वह अधिकारी जिसे पहले ही एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम / संशोधित एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम के तहत वित्तीय उन्नयन प्रदान किया जा चुका है, अब वेतन निर्धारण लाभ का हकदार नहीं है।

3. निरीक्षकों की अधीक्षक के ग्रेड में पदोन्नति ओपी (सीएटी) संख्या 4305/2011, ओपी (सीएटी) 999/2012, ओपी (सीएटी) संख्या 998/212, ओपी (सीएटी) संख्या 968/2012, ओए सीएटी (ईबी) में सं. 180/00806/2014 और संबंधित न्यायालयों/न्यायाधिकरणों में अन्य लंबित मामले में उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 28.03.2012 के खिलाफ विभाग द्वारा दायर एसएलपी संख्या 20810/2012 के परिणाम के अधीन है।

4. अधिकारी के कार्यभार ग्रहण करने/ न करने के बारे में अनुपालन रिपोर्ट इस कार्यालय को भेज दी जानी चाहिए ।

[टी जी वेंकटेश]
आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति (संबन्धित अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रति :

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोयिक्कोड
3. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अपील आयुक्तालय, कोच्चि
4. सीमा शुल्क निवारक आयुक्त, कोचिन
5. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि
6. अपर महा निदेशक, डी जी जी आई /डी आर आई आंचलिक इकाई ,कोच्चि
7. केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि के मंडल कार्यालयों के प्रभारी सभी उप/सहायक आयुक्त
8. तिरुवनंतपुरम/ कोयिक्कोड / सीसीपी / ले.प., कोच्चि में कार्यरत उप/सहायक आयुक्त
9. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी,केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि /तिरुवनंतपुरम/कोयिक्कोड/सीसीपी/ ले.प.,कोच्चि
10. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), अधीक्षक(सत॰ /गोपनीय),कोच्चि/ कोयिक्कोड/ तिरुवनंतपुरम/ सीसीपी/ ले.प.
11. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु ।
12. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/23/2022-ESTT **दिनांक: 29.12.2023**

आदेश सं.: 230 / 2023

विषय : - हवलदार एवं हेड हवलदार के ग्रेडों में स्थानांतरण एवं तैनातियां - केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय - संबन्धित।

केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के हवलदार एवं हेड हवलदार के ग्रेडों में निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनातियों का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है ।

क्रम सं.	नाम व पदनाम (सर्वश्री)	जन्मतिथि	...से	... को
1	सेल्वम के हेड हवलदार	02.05.1967	मून्नार को स्था.आदेश के तेहत	एर्णाकुलम मंडल
2	अलेक्स टी ए हेड हवलदार	01.01.1968	मु.,कोच्चि को .आदेश के तेहत	आम्बल्लूर रेंज
3	जोषुआ सुनील उम्मन, हवलदार	09.09.2000	एर्णाकुलम मंडल	मु.,कोच्चि

2. उपर्युक्त अधिकारी को कार्यमुक्त कर लेना चाहिए तथा वे अपने नए तैनात स्थान पर दिनांक **12.01.2024** तक कार्यभार ग्रहण कर लेना चाहिए |
3. अनुपालन दिनांक 17.01.2024 को रिपोर्ट करें |
4. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

[सी टी बिंदु]
उप आयुक्त[का व सत]

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियां (संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारियों के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि

प्रति

1. केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के मंडल कार्यालयों के प्रभारी सभी उप /सहायक आयुक्त
2. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय
3. केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के मंडल कार्यालयों के प्रभारी प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ),
4. अधीक्षक(सतर्कता) केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
5. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
6. हिंदी कक्ष -हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/34/2023-ESTT. **दिनांक : .12.2023**

स्थापना आदेश सं.: 229 / 2023

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/निरीक्षक/86626)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2022' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित |

दिनांक 26.09.2023 को आयोजित रोज़गार मेले के बाद सूचित किए गए इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 22.09.2023 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अनारक्षित** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/07/2022 -Ad.III.B दिनांक 08.08.2023 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री नितिन मैथ्यू** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक **22.12.2023 (पूर्वाह्न)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्ववृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

2 **श्री नितिन मैथ्यू** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में सुसंगत **डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों** के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में **श्री नितिन मैथ्यू** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

(टी जी वेंकटेश)
आयुक्त

सेवा में,

श्री नितिन मैथ्यू,
33/946 बी,कुन्नुम्पुरत, एयुत्ताशान परम्ब, मारीक्कुन्नु डाक,
कैलिकट 12, कोयिक्कोड, केरल, पिन - 673012

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/34/2023-ESTT. **दिनांक : .12.2023**

स्थापना आदेश सं.: 228 / 2023

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/निरीक्षक/86637)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2022' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित |

दिनांक 26.09.2023 को आयोजित रोज़गार मेले के बाद सूचित किए गए इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 22.09.2023 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अनारक्षित** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/07/2022 -Ad.III.B दिनांक 08.08.2023 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री आदर्श के** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक **07.12.2023 (पूर्वाह्न)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्ववृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

2 **श्री आदर्श के** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में सुसंगत **डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों** के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में **श्री आदर्श के** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

टी.जी. वेंकटेश

(टी जी वेंकटेश)
आयुक्त

सेवा में,

श्री आदर्श के,
आदर्श मक्कणान्चेरी तायम, एमएलए रोड, कोवूर, कोयिक्कोड,
केरल, पिन - 673017

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/8/2020-Estt दिनांक / Date : 21.12.2023

आदेश सं.: 227 / 2023

विषय : आशुलिपिक ग्रेड- II की श्रेणी में तैनाती - केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय - संबन्धित।

आशुलिपिक ग्रेड- II की श्रेणी में निम्नलिखित तैनाती का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ से दिया जाता है ।

क्र. सं.	नाम (श्रीमती)	जन्म तिथि	स्थानांतरित	
			...से	...को
1	ऐश्वर्या एस नायर	03.01.1998	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय को स्था.आदेश के अधीन	अपर आयुक्त (का. व सत.) की इकाई, मु.कोच्चि

2. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

[सी टी बिंदु]
उप आयुक्त[का. व सत.]

सेवा में
सम्बंधित व्यक्ति

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
2. अपर आयुक्त(का व सत), केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि

प्रतिलिपि

1. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु.कोच्चि
2. अधीक्षक (सिस्टम्स/सतर्कता), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु.,कोच्चि
3. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु.,कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/32/2023-Estt **दिनांक: 21.12.2023**

स्थापना आदेश सं.: 226 / 2023

(डीजीएचआरडी नियुक्ति आदेश सं. तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/कर सहायक/86631)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग(एसएससी) के माध्यम से कर सहायक के ग्रेड में नियुक्ति- संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2022 - संबन्धित

इस केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव दिनांक 21.09.2023 की स्वीकृति पर, **ईडब्लियूएस (आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग) श्रेणी** के तहत कर सहायक के रूप में नियुक्ति के लिए मंत्रालय द्वारा पत्र फा.सं. A-12034/SSC/07/2021 - एडी-III.बी दिनांक 08.08.2023 के माध्यम से आवंटित एक उम्मीदवार **श्री तुषार शेखर** को अस्थायी क्षमता पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 4 में (रु.25,500- रु.81,100) में और भारत सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते में दिनांक **21.12.2023 (पूर्वाह्न)** से केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र में कर सहायक के रूप में नियुक्त किया गया है, जो चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन के अधीन है।

2 **श्री तुषार शेखर** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में उपर्युक्त उम्मीदवार स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता(आईपीसी) के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

(रानी सी आर)
अपर आयुक्त[का व सत]

सेवा में,

श्री तुषार शेखर,
सुपुत्र चंदर शेखर ,
ए- 2/9, सेक्टर 18,
रोहिणी, उत्तर पश्चिम दिल्ली,
दिल्ली - 110089

प्रतिलिपि समर्पित

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि

प्रतिलिपि :

1. अधीक्षक(सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,मु., कोच्चि
2. मुख्य लेखा अधिकारी /वेतन एवं लेखा अधिकारी /प्रशासनिक अधिकारी) डी.डी.ओ ,(.केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क , मु., कोच्चि
3. अधीक्षक(सिस्टम्स) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,मु.,कोच्चि, वेबसाइट में उपलोड करने हेतु
4. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,मु.,कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/39/2022-Estt दिनांक :21.12.2023

आदेश सं.: 225/2023

विषय : कर सहायक के ग्रेड में तैनातियां - केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र - संबन्धित।

कर सहायक के ग्रेड में निम्नलिखित तैनातियों का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम व पदनाम (सर्वश्री)	जन्म तिथि	स्थानांतरित	
			...से	... को
1.	अश्वनी कुमार	15.01.1997	कार्यग्रहण करने पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम आयुक्तालय
2.	अभिनव कुमार	07.03.1995	कार्यग्रहण करने पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय

2. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

[रानी सी आर]
अपर आयुक्त[का व सत]

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियां

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि / तिरुवनंतपुरम

प्रति

1. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी/,प्रशासनिक अधिकारी (डीडीओ),केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि//कोयिक्कोड
2. अधीक्षक (सिस्टम्स)/ हिंदी इकाई, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि
3. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/8/2020-Estt दिनांक / Date : 21.12.2023

आदेश सं.: 224 / 2023

विषय : आशुलिपिक ग्रेड- II की श्रेणी में तैनातियां - केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र - संबन्धित।

आशुलिपिक ग्रेड- II की श्रेणी में निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनातियों का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ से दिया जाता है ।

क्र. सं.	नाम (सर्वश्री)	जन्म तिथि	स्थानांतरित	
			...से	...को
1	अनंदु आर एस	09.07.1998	कार्यग्रहण करने पर	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम आयुक्तालय
2	ऐश्वर्या एस नायर	03.01.1998	कार्यग्रहण करने पर	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय
3	सिद्धार्थ पी शिवा	04.02.2001	कार्यग्रहण करने पर	सीसीओ-सीसीए

2. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

[रानी सी आर]
अपर आयुक्त[का. व सत.]

सेवा में
सम्बंधित व्यक्तियां (सम्बंधित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम

प्रतिलिपि

1. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु.कोच्चि
2. अधीक्षक (सिस्टम्स/सतर्कता), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु.,कोच्चि
3. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु.,कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/28/2023-ESTT दिनांक : 12.2023

आदेश सं.:223/2023

विषय : -केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के निरीक्षक के कैडर में स्थानांतरण एवं तैनाती - संबन्धित।

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, निरीक्षक के कैडर में निम्नलिखित स्थानांतरण और तैनाती का आदेश तत्काल प्रभाव से दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री /श्रीमती)	जन्म तिथि	...से	... को
1.	आदर्श के.	23.10.1996	नई भर्ती (सीजीएलई 2022)	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय

2. अधिकारी को अपने नए स्थान पर दिनांक **20.12.2023** तक कार्यभार ग्रहण कर लेना चाहिए |
3. तैनाती के नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पहले अधिकारी के कोई अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा |
4. दिनांक **22.12.2023** तक अनुपालन रिपोर्ट करें |

टी.जी. वेंकटेश

[टी जी वेंकटेश]
आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति(संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रति

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोयिक्कोड
3. आयुक्त, सीमाशुल्क(निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,(लेखा परीक्षा),कोच्चि

5. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,(अपील),कोच्चि
6. अपर महा निदेशक, डीजीजीआई/डीआरआई आंचलिक इकाई, तिरुवनंतपुरम/ कोयिक्कोड/ कोच्चि
7. केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि के सभी मंडल कार्यालयों के प्रभारी उप/ सहायक आयुक्त
8. तिरुवनंतपुरम/ कोयिक्कोड/ सीमाशुल्क(निवारक)/ लेखा परीक्षा, कोच्चि के उप/ सहायक आयुक्त
9. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम/ कोयिक्कोड/ सीमाशुल्क(निवारक)/ लेखा परीक्षा, कोच्चि
10. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ),अधीक्षक(गोपनीय/सतर्कता),कोच्चि/तिरुवनंतपुरम/ कोयिक्कोड/ सीमाशुल्क(निवारक)/ लेखा परीक्षा, कोच्चि
11. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
12. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु |

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/39/2023-Estt **दिनांक:08.12.2023**

आदेश सं.: 222 /2023

(डीजीएचआरडी नियुक्ति आदेश सं.तिरुवनंतपुरम जीएसटी & सीएक्स/कोच्चि/स्टेनोग्राफर-II/89297)

विषय :- एसएससी - आशुलिपिक परीक्षा, 2022 के माध्यम से आशुलिपिक ग्रेड-II के ग्रेड में नियुक्ति - तत्संबंधी ।

इस केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 28.11.2023 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर, मंत्रालय द्वारा पत्र फाइल सं.ए.12034/एसएससी/6/2022-एडी।।।। (बी) दिनांक 12.09.2023 के माध्यम से **अनारक्षित श्रेणी** के अंतर्गत आशुलिपिक ग्रेड - II के रूप में नियुक्ति के लिए आवंटित एक उम्मीदवार, **श्री सिद्धार्थ पी शिवा** को, ऐसे भत्ते, जिन्हें भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है, सहित के वेतन मैट्रिक्स के स्तर -4 (रु.25,500- रु.81,100) में दिनांक **08.12.2023 (पूर्वाह्न)** से उसके चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की शर्तों पर अस्थायी तौर पर केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र में आशुलिपिक ग्रेड - II के रूप में नियुक्त किया जाता है ।

2. **श्री सिद्धार्थ पी शिवा** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में उपर्युक्त उम्मीदवार विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

(रानी सी आर)
अपर आयुक्त[का व सत]

सेवा में,

श्री सिद्धार्थ पी शिवा,
सुपुत्र शिवदास के,
सी -5 /15, वशिष्ठ पार्क,
पंखा रोड, नई दिल्ली,
पश्चिम दिल्ली, पिन - 110046

प्रतिलिपि समर्पित

1. मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि

प्रतिलिपि :

1. अधीक्षक (सतर्कता) , केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क,मु., कोच्चि
2. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.), केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मु.कोच्चि
3. अधीक्षक (सिस्टम्स), केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मुख्यालय, कोच्चि वेबसाइट में अपलोड करने हेतु |
4. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी,), केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मुख्यालय, कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/32/2023-Estt **दिनांक: 08.12.2023**

स्थापना आदेश सं.: 221 / 2023

(डीजीएचआरडी नियुक्ति आदेश सं. तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/कर सहायक/86630)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग(एसएससी) के माध्यम से कर सहायक के ग्रेड में नियुक्ति- संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2022 - संबन्धित

इस केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव दिनांक 21.09.2023 की स्वीकृति पर, **ईडब्लियूएस (आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग) श्रेणी** के तहत कर सहायक के रूप में नियुक्ति के लिए मंत्रालय द्वारा पत्र फा.सं. A-12034/SSC/07/2021 - एडी-III.बी दिनांक 08.08.2023 के माध्यम से आवंटित एक उम्मीदवार **श्री अभिनव कुमार** को अस्थायी क्षमता पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 4 में (रु.25,500- रु.81,100) में और भारत सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते में दिनांक **07.12.2023 (अपराह्न)** से केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र में कर सहायक के रूप में नियुक्त किया गया है, जो चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन के अधीन है।

2 **श्री अभिनव कुमार** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में उपर्युक्त उम्मीदवार स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता(आईपीसी) के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

(रानी सी आर)
अपर आयुक्त[का व सत]

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM II/(39)/72/2021-Estt **दिनांक : .12.2023**

आदेश सं.: 220/2023

विषय :एमएसीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन प्रदान करना-सं.

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा.सं. 35034/3/2008-Estt(D) दिनांक 19-05-2009 और वित्त मंत्रालय के पत्र F.No.A-26017/76/2009-Ad.II.A दिनांक 17.6.2009 के अनुसरण में निम्नलिखित अधिकारीयों को एम् ए सी पी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन वेतन बैंड और ग्रेड वेतन के पदानुक्रम में निकटतम अगले उच्च ग्रेड वेतन में या वेतन मैट्रिक्स में निकटतम अगले उच्च स्तर में (जैसा भी मामला हो) उनके नामों के सामने सूचित दिनांक से प्रदान किया जाता है।

क्रम सं.	नाम व पदनाम (सर्वश्री /श्रीमती)	जन्म तिथि	वित्तीय उन्नयन प्रदान किया गया (प्रथम/द्वितीय/तृतीय वित्तीय उन्नयन)	वित्तीय उन्नयन की नियत तिथि	अनुशंसित ग्रेड पे और पे बैंड /पेमैट्रिक्स स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	सुजाता विजयन, निरीक्षक	09.11.1977	तृतीय	07.02.2023	स्तर - 8
2.	अभिनव सिंह बिष्ट, निरीक्षक	02.08.1985	प्रथम	09.12.2023	स्तर -8
3.	अक्षय सिंह भदौरिया,निरीक्षक	26.10.1990	प्रथम	09.12.2023	स्तर -8
4.	जयकुमार एस.,निरीक्षक	19.05.1977	तृतीय	01.04.2023	स्तर -8
5.	रितेश मांडे,निरीक्षक	03.06.1985	प्रथम	27.08.2022	स्तर -8
6.	आई एस जॉर्ज, हवलदार (सेवानिवृत्त)	10.09.1954	द्वितीय	01.10.2011	वे.बैंड-1 2000 (स्तर -3)
7.	ई टी सुरेन्द्रन, हेड हवलदार	10.04.1971	तृतीय	27.01.2022	स्तर -4
8.	एंड्रू पॉल एम जी, हेड हवलदार	15.01.1964	द्वितीय	24.05.2012	वे.बैंड-1 2000 (स्तर -3)
			तृतीय	24.05.2012	स्तर -4

*दिनांक 09.01.2012 एवं दिनांक 09.11.2012 को आयोजित स्क्रीनिंग समिति की बैठक की सिफारिशों की समीक्षा की गई है और श्री एंड्रू पॉल एम जी, हेड हवलदार को दिनांक 30.01.2012 के बजाय दिनांक 24.05.2012 से 2000 रुपये के ग्रेड वेतन में, वे.बैंड-1 में द्वितीय वित्तीय उन्नयन के लिए और दिनांक 30.01.2012 के बजाय दिनांक 24.05.2012 से स्तर 4 में तृतीय वित्तीय उन्नयन के लिए सिफारिश की गई है।

2. इन अधिकारियों को वित्तीय उन्नयन अन्य बातों के साथ, निम्न शर्तों के आधार पर दिया जाता है:

2.1 लाभार्थी को दिये गए वित्तीय उन्नयन से उनके पदनाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि यह वित्तीय लाभ उनके पुराने पदनाम को बनाए रखते हुये प्रदान किया गया है और कथित वित्तीय उन्नयन, उच्च स्तर से संबन्धित कोई विशेषाधिकार प्रदान नहीं करेगा।

2.2 एमएसीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन अधिकारी के लिए पूर्ण रूप से व्यक्तिगत है और संबन्धित अधिकारी को वास्तविक कार्यात्मक पदोन्नति प्रदान नहीं करेगा और यह उनके अंतर वरिष्ठता पदोन्नति से संबद्धता नहीं रखेगा और इस कारण एमएसीपी योजना के तहत कनिष्ठ अधिकारी को उच्च वेतनमान प्राप्त होने के आधार पर वरिष्ठ अधिकारी को अतिरिक्त वित्तीय उन्नयन प्राप्त नहीं होगा। एम ए सी पी योजना में **'वरिष्ठ-कनिष्ठ'** की धारणा का आशय नहीं है।

2.3 वित्तीय उन्नयन के हकदार होने से पहले यदि अधिकारी ने प्रदत्त नियमित पदोन्नति से इंकार किया हो तो वित्तीय उन्नयन प्राप्त नहीं होगा क्योंकि अधिकारी अवसर की कमी के कारण वृद्धिरुद्ध नहीं हुये हैं। लेकिन यदि वित्तीय उन्नयन वृद्धिरुद्धता के कारण प्राप्त हुआ है और उसके बाद यदि अधिकारी पदोन्नति अस्वीकार करते हैं तो यह वित्तीय उन्नयन वापस लेने का कारण नहीं बनेगा। इस कारण जब वे फिर से पदोन्नति के लिए सहमत होंगे तभी उन्हें आगे के वित्तीय उन्नयन का हक प्राप्त होगा और दूसरा वित्तीय उन्नयन भी इंकार के कारण रोक की अवधि के समय तक स्थगित रखा जाएगा।

2.4 नियमित पदोन्नति के समय प्राप्त वेतन नियतन का लाभ योजना के अधीन प्राप्त वित्तीय उन्नयन के समय भी प्राप्त होगा। इस कारण ऐसे उन्नयन के पहले आहरित वेतन बैंड और ग्रेड वेतन के कुल वेतन से 3% वेतन बढ़ा दिया जाएगा। इस लिए एमएसीपी योजना के अधीन प्रदत्त ग्रेड वेतन समान होने पर नियमित पदोन्नति के समय आगे वेतन नियतन नहीं किया जाएगा। वास्तविक पदोन्नति के समय यदि एमएसीपी योजना के अधीन प्राप्त ग्रेड वेतन उच्च पद का हो तो कोई वेतन नियतन प्राप्त नहीं होगा और ग्रेड वेतन का केवल अंतर प्राप्त होगा।

2.5 एमएसीपी योजना के अधीन वित्तीय उन्नयन जो स्वस्थानी है और जिसमें उच्च कार्य और ज़िम्मेदारी नहीं है वहाँ एक विशेष व्यवस्था के रूप में उच्च पद/ग्रेड वेतन में उनकी पदोन्नति/उन्नयन की तारीख से या उनके अगले वेतन वृद्धि की तारीख यानि वर्ष की पहली जुलाई से F.R. 22(I)(a)(1) के अधीन वेतन नियतन किया जाएगा। वेतन और वेतन वृद्धि की तारीख, व्यय विभाग के का.ज्ञा. 1/1/2008-IC दिनांक 13.09.2008 के स्पष्टीकरण सं.2 के अनुसार तय किया जाएगाया DOP &T का.ज्ञा.सं.35034 / 1/2017-Estt.D दिनांक 20.09.2018 के अनुसार तय किया जाएगा,जैसा भी मामला हो।

2.6 पुराना कोई मामला पुनः खोला नहीं जाएगा। इसके अलावा जब कभी एमएसीपी योजना कार्यान्वित किया जाएगा तब पुराने एसीपी योजना(अगस्त 1999) और एमएसीपी योजना के तहत उसी केडर में आए वित्तीय उन्नयन के कारण वेतनमान में हुये परिवर्तन को एक विसंगति के रूप में नहीं लिया जाएगा।

2.7 उच्च ग्रेड के वेतनमान में पदधारी के वेतन वृद्धि की तारीख (यानि वर्ष की 1 जुलाई या 1 जनवरी) के आधार पर वेतन नियतन केलिए विकल्प (इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से एक महीने के अंदर अमल किया जाये) स्वीकार्य है। इस तरह एक बार अमल में लाया गया विकल्प समझा जाएगा।

3. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने अपने दिनांक 21.07.2010 के पत्र डी.सं.62460/यूएस (डी)/2010 के माध्यम से स्पष्ट किया है कि 4 (चार) वर्ष पूरे होने के बाद अधीक्षक (समूह-'बी') अधिकारियों को

दिए गए गैर-कार्यात्मक ग्रेड के लाभ को डीओपी एंड टी के कार्यालय ज्ञापन (ओ.एम.) सं. 35034/3/2008-स्था. (डी) दिनांक 19.05.2009 के अनुबंध -1 के पैरा 8.1 के अनुसार वित्तीय उन्नयन (अपग्रेडेशन) के रूप में माना जाएगा और इसे एमएसीपी योजना के तहत एक वित्तीय उन्नयन के बदले में उपयुक्त किया जाएगा।

4. यह केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, कोच्चि के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(रानी सी आर)

अपर आयुक्त(का. व सत.)

सेवा में

संबधित व्यक्ति (संबंधित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रति प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त ,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त ,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
3. आयुक्त ,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम/ कोयिक्कोड/लेखा परीक्षा,कोच्चि/अपील, कोच्चि
4. सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त, कोचिन

प्रति

1. अपर /संयुक्त आयुक्त (का व सत), तिरुवनंतपुरम/कोयिक्कोड/लेखा परीक्षा,कोच्चि/ सीमा शुल्क (निवारक) कोचिन

(उन से अनुरोध किया जाता है कि वे एम ए सी पी आदेशों का परिचालन उनके अधीन कार्यरत मण्डल कार्यालयों /क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रभारी सहायक /उप आयुक्तों में करें)

2. वेतन एवं लेखा अधिकारी/ मुख्य लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम/कोयिक्कोड/लेखा परीक्षा,कोच्चि/ सीमा शुल्क गृह,कोचिन
3. सहायक/उप आयुक्त-एर्णाकुलम मंडल/काक्कनाड मंडल/ आलुवा मंडल/ पेरुम्बावूर मंडल/ इडुक्की मंडल/त्रिश्शूर मंडल/ चालक्कुडी मंडल
4. अधीक्षक, (गोपनीय-सतर्कता),मुख्यालय कोच्चि /प्रशासनिक अधिकारी(डीडीओ) मु.कोच्चि
5. अधीक्षक(सिस्टम्स) उन से अनुरोध है कि वे एमएसीपी आदेश को आयुक्तालय के वैबसाइट में अपलोड करें ।
6. हिंदी कक्ष, कोच्चि आयुक्तालय
7. महासचिव, सभी ग्रूप ख व ग अधिकारी संघ कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/32/2023-Estt **दिनांक: 05.12.2023**

स्थापना आदेश सं.: 219 / 2023

(डीजीएचआरडी नियुक्ति आदेश सं. तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/कर सहायक/86643)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग(एसएससी) के माध्यम से कर सहायक के ग्रेड में नियुक्ति- संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2022 - संबन्धित

इस केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव दिनांक 21.09.2023 की स्वीकृति पर, **अनुसूचित जन जाति श्रेणी** के तहत कर सहायक के रूप में नियुक्ति के लिए मंत्रालय द्वारा पत्र फा.सं. A-12034/SSC/07/2021 - एडी-III.बी दिनांक 08.08.2023 के माध्यम से आवंटित एक उम्मीदवार **श्री अश्वनी कुमार** को अस्थायी क्षमता पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 4 में (रु.25,500- रु.81,100) में और भारत सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते में दिनांक **05.12.2023 (पूर्वाह्न)** से केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र में कर सहायक के रूप में नियुक्त किया गया है, जो चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन के अधीन है।

2 **श्री अश्वनी कुमार** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में उपर्युक्त उम्मीदवार स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता(आईपीसी) के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

(रानी सी आर)
अपर आयुक्त[का व सत]

सेवा में,

श्री अश्वनी कुमार,
सुपुत्र नागेश्वर प्रसाद सिंह,
बनिया, भवानीपुर,
रंग्राचौक, भगलपुर,
बिहार - 853204

प्रतिलिपि समर्पित

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि

प्रतिलिपि :

1. अधीक्षक(सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,मु., कोच्चि
2. मुख्य लेखा अधिकारी /वेतन एवं लेखा अधिकारी /प्रशासनिक अधिकारी) डी.डी.ओ ,(.केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क , मु., कोच्चि
3. अधीक्षक(सिस्टम्स) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,मु.,कोच्चि, वेबसाइट में उपलोड करने हेतु
4. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,मु.,कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

फाइल सं.II/(3)APPT/25/2020 दिनांक : .12.2023

आदेश सं.: 218 / 2023

विषय : केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र, अधीक्षक के संवर्ग में पदोन्नति-संबन्धित।

निम्नलिखित केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षकों को,ऐसे भत्ते,जो लागू हो सकते हैं, सहित एवं पूर्व-संशोधित वेतनमान पर ग्रेड वेतन -4,800 / -सहित वेतन बैंड 9,300-34,800 रुपये(वेतन बैंड -2) के अनुरूप, वेतन मेट्रिक्स स्तर - 8 में,ग्रुप'बी' पद, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक के संवर्ग में **तदर्थ और इन-सीटू आधार पर** उच्च पद में कार्यभार ग्रहण की तारीख से एवं आगे के आदेश तक इस के साथ पदोन्नत किया किया जाता है |

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री /श्रीमती)	जन्म तिथि
1	मृदुल कुमार सिंह	22.06.1985
2	सुधीर दबास	26.05.1984
3	अरविंद गूलिया	24.10.1986
4	गौतम कुमार	01.01.1986
5	रजनीश	20.03.1983
6	पंकज	07.02.1986
7	संतोष रावत	15.07.1984
8	अमीत खत्री	19.09.1986
9	कमल कुमार	13.10.1988
10	वीरेश मिश्रा	04.09.1985
11	अभिजीत सिंह	14.10.1987
12	रवीन्द्र मारुती पालकर	16.08.1982
13	रितेश मांडे	03.06.1985
14	आशा	17.11.1985
15	रोहित खत्री	04.05.1985
16	बालेश्वर कुमार झा	02.06.1979
17	चेतन गुप्ता	05.11.1984
18	रामलाल	11.10.1986
19	अनंत विक्रम सिंह	20.04.1986
20	विवेक कुमार त्रिवेदी	01.12.1989
21	किरण शर्मा	26.08.1981
22	रवि कुमार	28.05.1988

23	शशिकांत सिंह	02.10.1982
24	विपिन यादव	02.10.1986
25	सुनील नागर	12.11.1981
26	श्याम कुमार शर्मा	10.03.1984
27	परिवेश कुमार स्वामी	23.01.1986
28	गौरव वत्स	31.12.1989
29	सुधीर खान जे	02.04.1973
30	शिवकुमार वी के	09.03.1987
31	नीता सुकुमारन	02.07.1975
32	मनीष के आर	14.07.1989
33	सिलीश पी एम	05.02.1987
34	अमन ग्रोवर	30.01.1987
35	विनु आर	05.03.1975
36	अभिनव सिंह बिष्ट	02.08.1985
37	निशांत सक्सेना	28.08.1990
38	दोराशाला जगदीश कुमार रेड्डी (अस्थि विकलांग)	17.11.1986

2. उपर्युक्त अधिकारियों को तत्काल तथा दिनांक **18.12.2023** तक उच्च पद ग्रहण करना चाहिए |

3. जो अधिकारी, क्रमांक 2 में सूचित अधिकारी को छोड़कर, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के बाहर प्रतिनियुक्ति/ऋण आधार पर काम कर रहे हैं, वे मूल क्षेत्र में पुनः शामिल होने के बाद ही दिनांक **18.12.2023** तक अधीक्षक का कार्यभार ग्रहण करेंगे ।

4. निरीक्षकों की अधीक्षक के ग्रेड में पदोन्नति ओपी (सीएटी) संख्या 4305/2011, ओपी (सीएटी) 999/2012, ओपी (सीएटी) संख्या 998/212, ओपी (सीएटी) संख्या 968/2012, ओए सीएटी (ईबी) में सं. 180/00806/2014 और संबंधित न्यायालयों/न्यायाधिकरणों में अन्य लंबित मामले में उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 28.03.2012 के खिलाफ विभाग द्वारा दायर एसएलपी संख्या 20810/2012 के परिणाम के अधीन है।

4. अधिकारी केकार्यभार ग्रहण करने/ न करने के बारे में अनुपालन रिपोर्ट दिनांक **20.12.2023** तक इस कार्यालय को भेज दी जानी चाहिए ।

टी जी. वेंकटेश

[टी जी वेंकटेश]
आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति (संबन्धित अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रति :

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोयिक्कोड
3. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अपील आयुक्तालय कोच्चि ,
4. सीमा शुल्क निवारक आयुक्त कोचिन ,
5. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा आयुक्तालय कोच्चि ,
6. अपर महा निदेशक कोच्चि, डी आर आई आंचलिक इकाई/ डी जी जी आई ,
7. केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि के मंडल कार्यालयों के प्रभारी सभी उप सहायक आयुक्त/
8. तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड / सीसीपी/ ले ,.प.कोच्चि में कार्यरत उप सहायक आयुक्त/
9. मुख्य लेखा अधिकारी वेतन एवं लेखा अधिकारी /,केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु/ कोच्चि.तिरुवनंतपुरम/कोयिक्कोड/सीसीपी /ले कोच्चि,.प.

10. प्रशासनिक अधिकारी ,(डी डी ओ)अधीक्षक/ सत॰)गोपनीय(,कोच्चि /कोयिक्कोड / तिरुवनंतपुरम /सीसीपी /ले .प.
11. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु ।
12. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/46/2023-Estt दिनांक : 01.12.2023

स्थापना आदेश सं.: 217 / 2023

(डीजीएचआरडी नियुक्ति आदेश सं. तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स /कोच्चि /हवलदार/89368)

विषय :- एसएससी मल्टी-टास्किंग (गैर-तकनीकी) स्टाफ और हवलदार (सीबीआईसी और सीबीएन) परीक्षा, 2021 के माध्यम से हवलदार के ग्रेड में नियुक्ति - संबन्धित

इस केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय द्वारा ईवीएन संख्या दिनांक 28.11.2023 की नियुक्ति के प्रस्ताव को स्वीकार करने पर, मल्टी टास्किंग (गैर-तकनीकी) कर्मचारी और हवलदार (सीबीआईसी और सीबीएन) परीक्षा 2022 के माध्यम से हवलदार के पद पर नियुक्ति के लिए मंत्रालय द्वारा आवंटित एक उम्मीदवार, **कुम.श्रुति संतोष एस.** को (जो अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से संबंधित है और **अनारक्षित श्रेणी** के तहत आवंटित है), वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 में चरित्र और पूर्ववृत्तों के सत्यापन के अधीन, अस्थायी क्षमता पर (रु.18,000- रु.56,900) में और भारत सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते में केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र में हवलदार के रूप में दिनांक **01.12.2023(पूर्वाह्न)** से नियुक्त किया जाता है।

2. **कुम.श्रुति संतोष एस.**को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगी । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में उपर्युक्त उम्मीदवार स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगी या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगी तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता(आईपीसी) के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

[रानी सी.आर.]
अपर आयुक्त[का व सत]

सेवा में,

कुम.श्रुति संतोष एस.,
सुपुत्री श्री संतोष कुमार पी ए,
श्रुतिलयम टीसी-79 /287,
करिक्ककम, आणयरा डाक,
तिरुवनंतपुरम, केरल - 695029

प्रतिलिपि समर्पित

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, कोच्चि

प्रतिलिपि :

1. मुख्य लेखा अधिकारी /वेतन एवं लेखा अधिकारी /प्रशासनिक अधिकारी) डी.डी.ओ ,(.केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क ,कोच्चि
2. अधीक्षक(सतर्कता/मु.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
3. अधीक्षक(सिस्टम्स) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि, वेबसाइट में उपलोड करने हेतु
4. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,मु.,कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/39/2023-Estt **दिनांक:01.12.2023**

आदेश सं.: 216 /2023

(डीजीएचआरडी नियुक्ति आदेश सं.तिरुवनंतपुरम जीएसटी & सीएक्स/कोच्चि/स्टेनोग्राफर-II/89300)

विषय :- एसएससी - आशुलिपिक परीक्षा, 2022 के माध्यम से आशुलिपिक ग्रेड-II के ग्रेड में नियुक्ति - तत्संबंधी ।

इस केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 28.11.2023 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर, मंत्रालय द्वारा पत्र फाइल सं.ए.12034/एसएससी/6/2022-एडी।III (बी) दिनांक 12.09.2023 के माध्यम से **अनारक्षित श्रेणी** के अंतर्गत आशुलिपिक ग्रेड - II के रूप में नियुक्ति के लिए आवंटित एक उम्मीदवार, **श्री अनंदु आर.एस.** को, ऐसे भत्ते, जिन्हें भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है, सहित के वेतन मैट्रिक्स के स्तर -4 (रु.25,500- रु.81,100) में दिनांक **01.12.2023 (पूर्वाह्न)** से उसके चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की शर्तों पर अस्थायी तौर पर केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र में आशुलिपिक ग्रेड - II के रूप में नियुक्त किया जाता है ।

2. **श्री अनंदु आर.एस.** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में उपर्युक्त उम्मीदवार विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

(रानी सी आर)
अपर आयुक्त[का व सत]

सेवा में,

श्री अनंदु आर.एस.,
सुपुत्र राजेंद्रन नायर,
शिवशक्ति, पीआरए -सी44ए,
पिरयिल पेयाड डाक, विलप्पिल,
तिरुवनंतपुरम, केरल -695573

प्रतिलिपि समर्पित

1. मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि

प्रतिलिपि :

1. अधीक्षक (सतर्कता) , केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क,मु., कोच्चि
2. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.), केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मु.कोच्चि
3. अधीक्षक (सिस्टम्स), केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मुख्यालय, कोच्चि वेबसाइट में अपलोड करने हेतु |
4. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी,), केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मुख्यालय, कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/39/2023-Estt **दिनांक:01.12.2023**

आदेश सं.: 215 /2023

(डीजीएचआरडी नियुक्ति आदेश सं.तिरुवनंतपुरम जीएसटी & सीएक्स/कोच्चि/स्टेनोग्राफर-II/89295)

विषय :- एसएससी - आशुलिपिक परीक्षा, 2022 के माध्यम से आशुलिपिक ग्रेड-II के ग्रेड में नियुक्ति - तत्संबंधी ।

इस केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 28.11.2023 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर, मंत्रालय द्वारा पत्र फाइल सं.ए.12034/एसएससी/6/2022-एडी।III (बी) दिनांक 12.09.2023 के माध्यम से **अनारक्षित श्रेणी** के अंतर्गत आशुलिपिक ग्रेड - II के रूप में नियुक्ति के लिए आवंटित एक उम्मीदवार, **श्रीमती ऐश्वर्या एस नायर** को, ऐसे भत्ते, जिन्हें भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है, सहित के वेतन मैट्रिक्स के स्तर -4 (रु.25,500- रु.81,100) में दिनांक **01.12.2023 (पूर्वाह्न)** से उसके चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की शर्तों पर अस्थायी तौर पर केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र में आशुलिपिक ग्रेड - II के रूप में नियुक्त किया जाता है ।

2. **श्रीमती ऐश्वर्या एस नायर** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगी । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में उपर्युक्त उम्मीदवार विलयन के लिए योग्य नहीं होगी या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगी तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

(रानी सी आर)
अपर आयुक्त[का व सत]

सेवा में,

श्रीमती ऐश्वर्या एस नायर,
सुपुत्री वेणुगोपालन पी.,
श्रीवल्सम, टीसी 18/268(2),
पुन्नक्कमुगल, पवरतला लेन,
पीआरए-153, अरमडा डाक,
तिरुवनंतपुरम, केरल -695032

प्रतिलिपि समर्पित

1. मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि

प्रतिलिपि :

1. अधीक्षक (सतर्कता) , केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क,मु., कोच्चि
2. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.), केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मु.कोच्चि
3. अधीक्षक (सिस्टम्स), केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मुख्यालय, कोच्चि वेबसाइट में अपलोड करने हेतु |
4. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी,), केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मुख्यालय, कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/23/2022-ESTT दिनांक: 06.12.2023

आदेश सं.: 214 / 2023

विषय : - हवलदार एवं हेड हवलदार ग्रेडों में स्थानांतरण एवं तैनातियां - केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय - संबन्धित।

केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के हेड हवलदार एवं हवलदार के ग्रेडों में निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनातियों का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है ।

क्रम सं.	नाम व पदनाम (सुश्री/ सर्वश्री/श्रीमती)	जन्मतिथि	...से	... को
1	एलिज़ाबेथ षीबा एम.पी., हेड हवलदार	01.01.1969	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि को स्था.आदेश के तहत	मु.कोच्चि
2	सेल्वम के., हेड हवलदार	02.05.1967	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि को स्था.आदेश के तहत	मून्नार रेंज
3	अलेक्स टी ए., हेड हवलदार	01.01.1968	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि को स्था.आदेश के तहत	मु.कोच्चि
4	साबु एम.जे.,हेड हवलदार	19.03.1967	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि को स्था.आदेश के	चालक्कुडी मंडल

			तहत	
5	शांतकुमारी सी पी., हेड हवलदार	30.01.1965	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि को स्था.आदेश के तहत	कुन्नमकुलम रेंज
6	जोस एंटणी, हेड हवलदार	15.04.1972	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि	काक्कनाड मंडल
7	सौरव टी पी., हवलदार	28.03.1998	एर्णाकुलम मंडल	मु.कोच्चि
8	अजय अलेक्स, हवलदार	02.11.1998	काक्कनाड मंडल	मु.कोच्चि
9	चंद्रन पी एस., हेड हवलदार	20.05.1970	कुन्नमकुलम रेंज	त्रिश्शूर मंडल
10	साजन वी जी., हेड हवलदार	10.10.1969	मु.कोच्चि	एर्णाकुलम मंडल

2. उपर्युक्त अधिकारी को अपने नए स्थान पर दिनांक **18.12.2023** तक कार्यभार ग्रहण कर लेना चाहिए |
3. दिनांक 22.12.2023 तक अनुपालन रिपोर्ट करें |
4. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

[सी टी बिंदु]
उप आयुक्त[का व सत]

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियां (संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारियों के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि

प्रति

1. केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के मंडल कार्यालयों के प्रभारी सभी उप /सहायक आयुक्त
2. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी/ केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
3. केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि आयुक्तालय के मंडल कार्यालयों में प्रभारी प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ)
4. अधीक्षक(सतर्कता) केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
5. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
6. राजभाषा अनुभाग - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/4/2023-ESTT दिनांक : .11.2023

आदेश सं.: 213 / 2023

विषय : -केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के निरीक्षक के कैडर में स्थानांतरण एवं तैनातियां -संबन्धित।

अंतर आयुक्तालय स्थानांतरण आदेश संख्या 210/2023 दिनांक 29.11.2023 जारी करने के परिणामस्वरूप, केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के निरीक्षक संवर्ग में निम्नलिखित स्थानांतरण और तैनातियों का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है ।

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री /श्रीमती)	जन्म तिथि	...से	... को
1.	रितेश मांडे	03.06.1985	(हवाई अड्डा, कण्णूर), सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन को स्था.आदेश के तहत	एर्णाकुलम मंडल*
2.	सनूपकुमार एन	16.11.1992	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि को स्था.आदेश के तहत	सत्यापन कक्ष, मु.कोच्चि
3.	पी ए दासन	25.05.1964	आलुवा मंडल	त्रिश्शूर मंडल

* अधिकारी को हवाई अड्डा, कण्णूर में कार्यग्रहण करने के लिए दिनांक 31.12.2023 को कोच्चि कोच्चि आयुक्तालय से कार्यमुक्त किया जाएगा ।

2. पर्यवेक्षक अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिकारी द्वारा उचित तौर पर कार्यमुक्त /कार्य सौंपने से सम्बंधित नोट आपस में आदान प्रदान करने के बाद ही उनको कार्यमुक्त किया जा रहा है ताकि निर्विघ्न परिवर्तन सुनिश्चित हो सके | अधिकारी को अपने नए स्थान पर दिनांक **01.12.2023** तक कार्यभार ग्रहण कर लेना चाहिए | निर्धारित समय के भीतर कार्यमुक्त नहीं होने पर पर्यवेक्षक अधिकारी ज़िम्मेदार होंगे |

3. तैनाती के नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पहले अधिकारी के कोई अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा |

4. दिनांक **04.12.2023** तक अनुपालन रिपोर्ट करें |

ह/-
[मनीष कुमार]
आयुक्त

//अनुप्रमाणित//

उप आयुक्त [का. व सत.]

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति (संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रति

1. केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि के मंडल कार्यालयों के प्रभारी सभी उप /सहायक आयुक्त
2. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि
3. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), अधीक्षक (गोपनीय/सतर्कता) कोच्चि
4. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
5. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु |

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/23/2022-ESTT दिनांक: 05.12.2023

आदेश सं.: 212 / 2023

विषय : - हवलदार के ग्रेड में स्थानांतरण एवं तैनातियां - केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र - संबन्धित।

केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के हवलदार एवं हेड हवलदार के ग्रेड में निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनातियों का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है ।

क्रम सं.	नाम व पदनाम (सर्वश्री/सुश्री)	जन्मतिथि	...से	... को
1	श्रीकुमार एम के., हेड हवलदार	15.05.1968	(हवाई अड्डा/यूबी/आई एवं ई, करिपुर) को स्था.आदेश के त	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम में ही रखा गया
2	दिलीपन पी., हेड हवलदार	10.05.1969	(हवाई अड्डा/यूबी/आई एवं ई, करिपुर) को स्था.आदेश के तहत	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोयिक्कोड में ही रखा गया
3	श्रीराज पी., हेड हवलदार	20.03.1968	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोयिक्कोड	(हवाई अड्डा/यूबी/आई एवं ई, करिपुर), सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन
4	बालन के.हेड हवलदार	05.05.1968	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन	(हवाई अड्डा/यूबी/आई एवं ई, करिपुर), सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन
5	राम कृष्ण मेकला,हवलदार	14.05.1998	कार्यग्रहण करने पर	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन
6	श्रुती संतोष एस.,	15.09.1998	कार्यग्रहण करने पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय

	हवलदार			उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम

2. हवाई अड्डों/यूबी/आई एंड ई में तैनात अधिकारी प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं पर उन्हें पहले स्थानांतरित करने के विभाग के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना 1 (एक) वर्ष की अवधि के लिए हैं।

3. यह मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

[सी टी बिंदु]

उप आयुक्त[का व सत]

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति (संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोयिक्कोड
3. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क तिरुवनंतपुरम
4. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,लेखा परीक्षा, कोच्चि
5. सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त, कोच्चि
6. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,अपील, कोच्चि
7. अपर महा निदेशक, डीजीजीआई/ डीआरआई आंचलिक इकाई, तिरुवनंतपुरम/ कोयिक्कोड/ कोच्चि

प्रति

1. केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के मंडल कार्यालयों के प्रभारी सभी उप /सहायक आयुक्त
2. केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम/ कोयिक्कोड/ सीमा शुल्क (निवारक)/ लेखा परीक्षा आयुक्तालयों के उप /सहायक आयुक्त
3. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी/ केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम/कोच्चि / कोयिक्कोड/ लेखा परीक्षा/ सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय
4. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम/कोच्चि / कोयिक्कोड/ लेखा परीक्षा/ सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय
5. अधीक्षक(सतर्कता) केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम/कोच्चि / कोयिक्कोड/ लेखा परीक्षा/ सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय
6. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
7. हिंदी कक्ष -हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/4/2023-ESTT दिनांक : .11.2023

आदेश सं.: 211 / 2023

विषय : -केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के अधीक्षक के कैडर में स्थानांतरण एवं तैनातियां -संबन्धित।

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अधीक्षक संवर्ग में निम्नलिखित स्थानांतरण और तैनातियों का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है ।

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री /श्रीमती)	जन्म तिथि	...से	... को
1.	उमादेवी एम	11.05.1973	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	(हवाई अड्डा, कण्णूर), सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
2.	एस प्रणय	09.03.1988	पदोन्नति पर	(हवाई अड्डा, कण्णूर), सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
3.	मुनियप्पन पी	19.05.1976	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम

2. पर्यवेक्षक अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिकारी द्वारा उचित तौर पर कार्यमुक्त /कार्य सौंपने से सम्बंधित नोट आपस में आदान प्रदान करने के बाद ही उनको कार्यमुक्त किया जा रहा है ताकि निर्विघ्न परिवर्तन सुनिश्चित हो सके | अधिकारी को अपने नए स्थान पर दिनांक **08.12.2023** तक कार्यभार ग्रहण कर लेना चाहिए | निर्धारित समय के भीतर कार्यमुक्त नहीं होने पर पर्यवेक्षक अधिकारी ज़िम्मेदार होंगे |

3. तैनाती के नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पहले अधिकारी के कोई अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा |

4. यह मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

4. दिनांक **11.12.2023** तक अनुपालन रिपोर्ट करें |

ह/-

[मनीष कुमार]

आयुक्त

//अनुप्रमाणित//

उप आयुक्त [का. व सत.]

सेवा में

संबंन्धित व्यक्तियां (संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रति

1. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम
2. सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त, कोच्चि
3. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि
4. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), अधीक्षक (गोपनीय/सतर्कता) कोच्चि
5. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
6. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु |

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/28/2023-ESTT दिनांक : .11.2023

आदेश सं.: 210 / 2023

विषय : -केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पादशुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के निरीक्षक के कैडर में स्थानांतरण एवं तैनातियां -संबन्धित।

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के निरीक्षक संवर्ग में निम्नलिखित स्थानांतरण और तैनातियों का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है ।

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री /श्रीमती)	जन्म तिथि	...से	... को
1.	बिजु एन	14.05.1968	(हवाई अड्डा, कण्णूर), सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
2.	रितेश मांडे	03.06.1985	चंडीगढ़ अंचल से प्रत्यावर्तन पर	(हवाई अड्डा, कण्णूर), सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन*
3.	सनूप कुमार एन	16.11.1992	कार्यग्रहण करने पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
4.	सितुन प्रकाश	25.01.1997	कार्यग्रहण करने पर	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
5.	अभिषेक वर्मा	23.09.2000	कार्यग्रहण करने पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम

*अधिकारी को केवल दिनांक 01.01.2024 को हवाई अड्डा, कण्णूर में कार्यग्रहण करना है और दिनांक 31.12.2023 तक कोच्चि आयुक्तालय में तैनात किया गया है।

2. पर्यवेक्षक अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिकारी द्वारा उचित तौर पर कार्यमुक्त /कार्य सौंपने से सम्बंधित नोट आपस में आदान प्रदान करने के बाद ही उनको कार्यमुक्त किया जा रहा है ताकि निर्विघ्न परिवर्तन सुनिश्चित हो सके | अधिकारी को अपने नए स्थान पर दिनांक **08.12.2023** तक कार्यभार ग्रहण कर लेना चाहिए | निर्धारित समय के भीतर कार्यमुक्त नहीं होने पर पर्यवेक्षक अधिकारी ज़िम्मेदार होंगे |

3. तैनाती के नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पहले अधिकारी के कोई अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा |

4. यह मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

4. दिनांक **11.12.2023** तक अनुपालन रिपोर्ट करें |

ह/-
[मनीष कुमार]
आयुक्त

//अनुप्रमाणित//

उप आयुक्त [का. व सत.]

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियां (संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रति

1. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि
2. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), अधीक्षक (गोपनीय/सतर्कता) कोच्चि
3. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
4. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु |
5. सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त, कोच्चि
6. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM II/(39)/72/2021-Estt **दिनांक : 14.12.2023**

आदेश सं.: 220/2023 दिनांक 08.12.2023 का शुद्धिपत्र

विषय :एमएसीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन प्रदान करना-सं.

आदेश संख्या 220/2023 दिनांक 08.12.2023 में आंशिक संशोधन करते हुए, आदेश के क्रम संख्या 8 पर अधिकारी के संबंध में निम्नलिखित परिवर्तन किया जा रहा है।

क्रम सं.	नाम व पदनाम (सर्वश्री /श्रीमती)	जन्म तिथि	वित्तीय उन्नयन प्रदान किया गया (प्रथम/द्वितीय/तृतीय वित्तीय उन्नयन)	वित्तीय उन्नयन की नियत तिथि	अनुशंसित ग्रेड पे और पे बैंड /पेमैट्रिक्स स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	एंड्रू पॉल एम जी, हेड हवलदार	15.01.1964	द्वितीय	24.05.2012	वे.बैंड-1 2000 (स्तर -3)
			तृतीय	24.05.2022	स्तर -4

*दिनांक 09.01.2012 एवं दिनांक 09.11.2022 को आयोजित स्क्रीनिंग समिति की बैठक की सिफारिशों की समीक्षा की गई है और श्री एंड्रू पॉल एम जी, हेड हवलदार को दिनांक 30.01.2012 के बजाय दिनांक 24.05.2012 से 2000 रुपये के ग्रेड वेतन में, वे.बैंड-1 में द्वितीय वित्तीय उन्नयन के लिए और दिनांक 30.01.2022 के बजाय दिनांक 24.05.2022 से स्तर 4 में तृतीय वित्तीय उन्नयन के लिए सिफारिश की गई है।

(रानी सी आर)
अपर आयुक्त(का. व सत.)

सेवा में

संबधित व्यक्ति (संबंधित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रति प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त ,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त ,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
3. आयुक्त ,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम/ कोयिक्कोड/लेखा परीक्षा,कोच्चि/अपील, कोच्चि
4. सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त, कोचिन

प्रति

1. अपर /संयुक्त आयुक्त (का व सत), तिरुवनंतपुरम/कोयिक्कोड/लेखा परीक्षा,कोच्चि/ सीमा शुल्क (निवारक) कोचिन

(उन से अनुरोध किया जाता है कि वे एम ए सी पी आदेशों का परिचालन उनके अधीन कार्यरत मण्डल कार्यालयों /क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रभारी सहायक /उप आयुक्तों में करें)

2. वेतन एवं लेखा अधिकारी/ मुख्य लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम/कोयिक्कोड/लेखा परीक्षा,कोच्चि/ सीमा शुल्क गृह,कोचिन
3. सहायक/उप आयुक्त-एर्णाकुलम मंडल/काक्कनाड मंडल/ आलुवा मंडल/ पेरुम्बावूर मंडल/ इडुक्की मंडल/त्रिश्शूर मंडल/ चालक्कुडी मंडल
4. अधीक्षक, (गोपनीय-सतर्कता),मुख्यालय कोच्चि /प्रशासनिक अधिकारी(डीडीओ) मु.कोच्चि
5. अधीक्षक(सिस्टम्स) उन से अनुरोध है कि वे एमएसीपी आदेश को आयुक्तालय के वैबसाइट में अपलोड करें ।
6. हिंदी कक्ष, कोच्चि आयुक्तालय
7. महासचिव, सभी ग्रूप ख व ग अधिकारी संघ कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/23/2022-ESTT दिनांक: 24.11.2023

आदेश सं.: 209 / 2023

विषय : - हेड हवलदार ग्रेड में स्थानांतरण एवं तैनातियां - केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र - संबन्धित।

केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के हेड हवलदार के ग्रेड में निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनातियों का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है ।

क्रम सं.	नाम व पदनाम (सुश्री/ सर्वश्री/श्रीमती)	जन्मतिथि	वर्तमान आयुक्तालय	...को तैनात
1	एलिज़बेत षीबा एम पी	09.01.1969	(हवाई अड्डा, करिपुर) सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि
2	सेल्वम के	02.05.1967	(हवाई अड्डा, करिपुर) सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि
3	अलेक्स टी ए	01.01.1968	(हवाई अड्डा, करिपुर) सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि
4	सुरेन्द्रन ई टी	10.04.1971	(हवाई अड्डा, करिपुर) सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोयिक्कोड
5	विमला पी	31.05.1964	(हवाई अड्डा, करिपुर) सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोयिक्कोड
6	लिल्ली थॉमस	20.05.1969	(हवाई अड्डा, करिपुर) सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोयिक्कोड
7	साबु एम जे	19.03.1967	(यूबी, करिपुर) सीमा	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय

			शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन	उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि
8	शांतकुमारी सी पी	30.01.1965	(यूबी, करिपुर) सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
9	कमारुधीन पी	10.05.1970	(यूबी, करिपुर) सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन
10	वी के राजेश	01.06.1971	(एसीसी(आई व ई), करिपुर) सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन
11	बाबुराजन के	22.05.1970	(हवाई अड्डा, ट्रिवेनड्रम) सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम
12	टी राजु	24.05.1975	(हवाई अड्डा, ट्रिवेनड्रम) सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम
13	के बालु	12.05.1970	(हवाई अड्डा, ट्रिवेनड्रम) सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम
14	अनिल कुमार आर	17.05.1975	(हवाई अड्डा, ट्रिवेनड्रम) सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम
15	ए प्रसन्नकुमार	28.04.1966	(हवाई अड्डा, ट्रिवेनड्रम) सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम
16	जे एंटणी	24.03.1970	(एसीसी(आई व ई), ट्रिवेनड्रम) सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम
17	थॉमस ज़ेवियर सी	08.04.1970	(हवाई अड्डा, कण्णूर) सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड
18	दीपक कुमार के के	15.04.1970	(एसीसी(आई व ई), कण्णूर) सीमा शुल्क (निवारक)	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड

			आयुक्तालय, कोचिन	
19	सजेश कुमार आर	16.04.1968	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड	(हवाई अड्डा/यूबी/आई व ई, करिपुर) सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन)
20	सुनील एम के	01.01.1973	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि	(हवाई अड्डा/यूबी/आई व ई, करिपुर) सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन)
21	उण्णिकण्णन पी ओ	31.05.1973	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड	(हवाई अड्डा/यूबी/आई व ई, करिपुर) सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन)
22	मुरुगन एम	26.05.1969	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि	(हवाई अड्डा/यूबी/आई व ई, करिपुर) सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन)
23	के बी सेबास्टियन	18.03.1975	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड	(हवाई अड्डा/यूबी/आई व ई, करिपुर) सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन)
24	श्रीकुमार एम के	15.05.1968	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम	(हवाई अड्डा/यूबी/आई व ई, करिपुर) सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन)
25	शाजि एस	24.12.1964	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि	(हवाई अड्डा/यूबी/आई व ई, करिपुर) सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन)
26	अब्दुल करीम पी के	10.01.1966	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि	(हवाई अड्डा/यूबी/आई व ई, करिपुर) सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन)
27	दिलीपन पी	10.05.1969	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड	(हवाई अड्डा/यूबी/आई व ई, करिपुर) सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन)
28	टाइटस के टी	30.05.1968	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि	(हवाई अड्डा/यूबी/आई व ई, करिपुर) सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन)
29	मुकेश पी	11.03.1967	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय	(हवाई अड्डा/यूबी/आई व ई,

			उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड	करिपुर) सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन)
30	प्रसन्नकुमारी पी	21.04.1966	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम	(हवाई अड्डा/यूबी/आई व ई, तिरुवनंतपुरम) सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन)
31	शाजिमोन एल	06.05.1972	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम	(हवाई अड्डा/यूबी/आई व ई, तिरुवनंतपुरम) सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन)
32	षीजा पी एस	30.05.1966	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम	(हवाई अड्डा/यूबी/आई व ई, तिरुवनंतपुरम) सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन)
33	रमणी जी	28.05.1970	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम	(हवाई अड्डा/यूबी/आई व ई, तिरुवनंतपुरम) सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन)
34	संतोष कुमार के	20.05.1976	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड	(हवाई अड्डा/ आई व ई, कण्णूर) सीमा शुल्क (निवारक)
35	पीताम्बरन के	10.10.1966	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड	(हवाई अड्डा/ आई व ई, कण्णूर) सीमा शुल्क (निवारक)
36	सावित्री एम	20.05.1967	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन)	(हवाई अड्डा/ आई व ई, कण्णूर) सीमा शुल्क (निवारक)
37	वल्सन एम के	27.01.1966	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन)	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, लेखा परिक्षा कोच्चि
38	जोस एंटणी	15.04.1972	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, लेखा परिक्षा कोच्चि	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि

2. हवाई अड्डों/यूबी/आई एंड ई में तैनात अधिकारी प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं पर उन्हें पहले स्थानांतरित करने के विभाग के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना 1 (एक) वर्ष की अवधि के लिए हैं।

3. पर्यवेक्षक अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिकारी द्वारा उचित तौर पर कार्यमुक्त /कार्य सौंपने से सम्बंधित नोट आपस में आदान प्रदान करने के बाद ही उनको कार्यमुक्त किया जा रहा है ताकि निर्विघ्न परिवर्तन सुनिश्चित हो सके | अधिकारी को अपने नए स्थान पर दिनांक **04.12.2023** तक

कार्यभार ग्रहण कर लेना चाहिए | निर्धारित समय के भीतर कार्यमुक्त नहीं होने पर पर्यवेक्षक अधिकारी ज़िम्मेदार होंगे |

3. तैनाती के नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पहले अधिकारी के कोई अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा |

4. यह मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

5. दिनांक 08.12.2023 तक अनुपालन रिपोर्ट करें |

4. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

[सी टी बिंदु]
उप आयुक्त[का व सत]

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियां (संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारियों के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम
3. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोयिककोड़
4. सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त, कोच्चि
5. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क(लेखा परीक्षा),कोच्चि
6. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क(अपील),कोच्चि
7. अपर महा निदेशक, डीजीजीआई/डीआरआई आंचलिक इकाई, तिरुवनंतपुरम/ कोयिककोड़/ कोच्चि

प्रति

1. केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के मंडल कार्यालयों के प्रभारी सभी उप /सहायक आयुक्त
2. उप/सहायक आयुक्त, तिरुवनंतपुरम/ कोयिककोड़/ सीमा शुल्क (निवारक)/अपील / लेखा परीक्षा,कोच्चि
3. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी/ केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम/कोच्चि / कोयिक्कोड/ लेखा परीक्षा/ अपील /सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय
4. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम/कोच्चि / कोयिक्कोड/ लेखा परीक्षा/अपील /सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय
5. अधीक्षक(सतर्कता) केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
7. हिंदी कक्ष -हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/23/2023-Estt दिनांक : 21.11.2023

स्थापना आदेश सं.: 208 / 2023

(डीजीएचआरडी नियुक्ति आदेश सं. तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स /कोच्चि /हवलदार/86624)

विषय :- एसएससी मल्टी-टास्किंग (गैर-तकनीकी) स्टाफ और हवलदार (सीबीआईसी और सीबीएन) परीक्षा, 2021 के माध्यम से हवलदार के ग्रेड में नियुक्ति - संबन्धित

इस केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव दिनांक 18.07.2023 की स्वीकृति पर, मंत्रालय द्वारा पत्र फा.सं. ए.12034/ एसएससी/ 06/2020-एडी.III.बी दिनांक 09.05.2023 और डीजीएचआरडी के पत्र एफ.सं.8/बी/37/एचआरडी (एचआरएम)/2019/पीटी.1 दिनांक 11.05.2023 के माध्यम से हवलदार के रूप में नियुक्ति के लिए आवंटित एक उम्मीदवार **श्री राम कृष्ण मेकला** को **अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी** में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 में चरित्र और पूर्ववृत्तों के सत्यापन के अधीन, अस्थायी क्षमता पर (रु.18,000- रु.56,900) में और भारत सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते में केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र में हवलदार के रूप में दिनांक **21.11.2023(पूर्वाह्न)** से नियुक्त किया जाता है।

2. **श्री राम कृष्ण मेकला** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में उपर्युक्त उम्मीदवार स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता(आईपीसी) के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

[रानी सी.आर.]
अपर आयुक्त[का व सत]

सेवा में,

श्री राम कृष्ण मेकला,
सुपुत्र एम मल्लिकार्जुना,
नारायणपुरम गाँव, धनपुरम डाक,
अडोनी मंडल, कुरनूल जिला,
आंध्र प्रदेश - 518302

प्रतिलिपि समर्पित

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, कोच्चि

प्रतिलिपि :

1. मुख्य लेखा अधिकारी /वेतन एवं लेखा अधिकारी /प्रशासनिक अधिकारी) डी.डी.ओ ,(.केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क ,कोच्चि
2. अधीक्षक(सतर्कता/मु.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
3. अधीक्षक(सिस्टम्स) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि, वेबसाइट में उपलोड करने हेतु
4. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,मु.,कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/34/2023-ESTT. **दिनांक : .11.2023**

स्थापना आदेश सं.: 207 / 2023

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/निरीक्षक/86672)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2022' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित ।

दिनांक 26.09.2023 को आयोजित रोज़गार मेले के बाद सूचित किए गए इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 22.09.2023 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अनुसूचित जाति** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/07/2022 - Ad.III.B दिनांक 08.08.2023 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री अभिषेक वर्मा** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900-रु.1,42,400) में दिनांक **15.11 .2023 (पूर्वाह्न)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्ववृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

श्री अभिषेक वर्मा को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में सुसंगत **डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों** के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, **श्री अभिषेक वर्मा** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा

के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

मनीष

(मनीष कुमार)
आयुक्त

सेवा में,

श्री अभिषेक वर्मा,
वार्ड नं.7, कंचनपुर, श्रीमाधोपुर, सिकर,
राजस्थाण, पिन - 332715

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/34/2023-ESTT. **दिनांक : .11.2023**

स्थापना आदेश सं.: 206 / 2023

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/निरीक्षक/86635)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2022' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित ।

दिनांक 26.09.2023 को आयोजित रोज़गार मेले के बाद सूचित किए गए इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 22.09.2023 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अनारक्षित** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/07/2022 -Ad.III.B दिनांक 08.08.2023 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री सितुन प्रकाश पी के** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900-रु.1,42,400) में दिनांक **09.11 .2023 (पूर्वाह्न)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्ववृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

श्री सितुन प्रकाश पी के को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में सुसंगत **डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों** के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, **श्री सितुन प्रकाश पी के** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

(मनीष कुमार)
आयुक्त

सेवा में,

श्री सितुन प्रकाश पी के,
सिंशालायम, चालोड, एदयन्नूर डाक, कण्णूर,

केरल, पिन - 670595

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/34/2023-ESTT. **दिनांक : .11.2023**

स्थापना आदेश सं.: 205 / 2023

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/निरीक्षक/86645)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2022' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित ।

दिनांक 26.09.2023 को आयोजित रोज़गार मेले के बाद सूचित किए गए इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 22.09.2023 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अनारक्षित** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/07/2022 -Ad.III.B दिनांक 08.08.2023 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री सनूपकुमार एन** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक **06.11 .2023 (पूर्वाह्न)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्ववृत एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

श्री सनूपकुमार एन को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में सुसंगत **डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों** के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, **श्री सनूपकुमार एन** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

मनीष

(मनीष कुमार)
आयुक्त

सेवा में,

श्री सनूपकुमार एन.,
कूटकुन्नेल, एयचेरी, कोट्टयम,

केरल, पिन - 686651

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/34/2023-ESTT. **दिनांक : .11.2023**

स्थापना आदेश सं.: 204 / 2023

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/निरीक्षक/86634)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2022' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित |

दिनांक 26.09.2023 को आयोजित रोज़गार मेले के बाद सूचित किए गए इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 22.09.2023 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अनारक्षित** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/07/2022 -Ad.III.B दिनांक 08.08.2023 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री शबरीश के एम** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक **03.11 .2023 (अपराह्न)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्ववृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

श्री शबरीश के एम को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में सुसंगत **डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों** के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, **श्री शबरीश के एम** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

मनीष

(मनीष कुमार)
आयुक्त

सेवा में,

श्री शबरीश के एम,
श्रीकृष्ण निवास, अयक्काड, त्रिक्कारियूर डाक, कोतमंगलम,

एर्णाकुलम, केरल, पिन - 686692

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/34/2023-ESTT. **दिनांक : .11.2023**

स्थापना आदेश सं.: 203 / 2023

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/निरीक्षक/86663)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2022' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित ।

दिनांक 26.09.2023 को आयोजित रोज़गार मेले के बाद सूचित किए गए इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 22.09.2023 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अन्य पिछड़ा वर्ग** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/07/2022 - Ad.III.B दिनांक 08.08.2023 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री उत्कर्ष सिंह** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900-रु.1,42,400) में दिनांक **01.11 .2023 (पूर्वाह्न)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्ववृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

श्री उत्कर्ष सिंह को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में सुसंगत **डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों** के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, **श्री उत्कर्ष सिंह** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित

जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

मनीष

(मनीष कुमार)
आयुक्त

सेवा में,

श्री उत्कर्ष सिंह,
207 -ए /35, नई बस्ती, मिर्जापुर, कल्याणपुर, कानपूर, कानपूर नगर,
उत्तर प्रदेश, पिन - 208017

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/34/2023-ESTT. **दिनांक : .11.2023**

स्थापना आदेश सं.: 202 / 2023

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/निरीक्षक/86658)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2022' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित |

दिनांक 26.09.2023 को आयोजित रोज़गार मेले के बाद सूचित किए गए इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 22.09.2023 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अन्य पिछड़ा वर्ग** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/07/2022 - Ad.III.B दिनांक 08.08.2023 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री अरविंद कुमार गीला** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक **31.10 .2023 (पूर्वाहन)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्ववृत्त एंव जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

श्री अरविंद कुमार गीला को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में सुसंगत **डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों** के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, **श्री अरविंद कुमार गीला** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित

जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

मनीष

(मनीष कुमार)
आयुक्त

सेवा में,

श्री अरविंद कुमार गीला,
गाँव गदरी, तहसील - किशनगढ़, रेनवाल, जिला जयपुर,
राजस्थान, पिन - 303602

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/23/2022-ESTT **दिनांक: 13.11.2023**

आदेश सं.: 201 / 2023

विषय : - हवलदार एवं हेड हवलदार ग्रेडों में स्थानांतरण एवं तैनातियां - केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय - संबन्धित।

केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के हेड हवलदार एवं हवलदार के ग्रेडों में निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनातियों का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है ।

क्रम सं.	नाम व पदनाम (सुश्री/ सर्वश्री/श्रीमती)	जन्मतिथि	...से	... को
1	प्रभा एन पी	15.03.1968	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि को स्था.आदेश के तहत	काक्कनाड रेंज 4 व 5
2	राजु टी के., हवलदार	01.03.1967	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि को स्था.आदेश के तहत	त्रिश्शूर मंडल
3	थॉमस जैक्सन एम जे हेड हवलदार	23.04.1973	काक्कनाड रेंज 1 से 5	काक्कनाड रेंज 1, 2 व 3

2. उपर्युक्त अधिकारी को अपने नए स्थान पर दिनांक **16.11.2023** तक कार्यभार ग्रहण कर लेना चाहिए ।
3. दिनांक 20.11.2023 तक अनुपालन रिपोर्ट करें ।
4. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

[सी टी बिंदु]
उप आयुक्त[का व सत]

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियां (संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारियों के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि

प्रति

1. केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के मंडल कार्यालयों के प्रभारी सभी उप /सहायक आयुक्त
2. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी/ केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम/कोच्चि / कोयिक्कोड/ लेखा परीक्षा/ सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय
3. केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि आयुक्तालय के मंडल कार्यालयों में प्रभारी प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ)
4. अधीक्षक(सतर्कता) केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
5. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
6. हिंदी कक्ष -हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/28/2023-ESTT दिनांक : 11.2023

आदेश सं.:200/2023

विषय : -केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के निरीक्षक के कैडर में स्थानांतरण एवं तैनातियां -संबन्धित।

अंतर आयुक्तालय स्थानांतरण आदेश संख्या 196/2023 दिनांक 08.11.2023 जारी करने के परिणामस्वरूप, केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के निरीक्षक के संवर्ग में निम्नलिखित स्थानांतरण और तैनातियों का आदेश तत्काल प्रभाव से दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री /श्रीमती)	जन्म तिथि	...से	... को
1.	आर्द्रा बी	10.12.1995	कोच्चि आयुक्तालय को स्था.आदेश के तहत	न्यायनिर्णयन अनुभाग, मु.कोच्चि
2.	राम किशोर के	05.11.1993	कोच्चि आयुक्तालय को स्था.आदेश के तहत	एर्णाकुलम रेंज 5
3.	सुमीत कुमार रंजन	07.08.1996	कोच्चि आयुक्तालय को स्था.आदेश के तहत	एर्णाकुलम रेंज 1
4.	उत्कर्ष सिंह	19.10.1998	कोच्चि आयुक्तालय को स्था.आदेश के तहत	सिस्टम्स,मु.,कोच्चि
5.	शबरीश के एम	29.05.1995	कोच्चि आयुक्तालय को स्था.आदेश के तहत अनुभाग,मु.कोच्चि	अपवंचनरोधी, मु.,कोच्चि

2. पर्यवेक्षक अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिकारी द्वारा उचित तौर पर कार्यमुक्त /कार्य सौंपने से सम्बंधित नोट आपस में आदान प्रदान करने के बाद ही उनको कार्यमुक्त किया जा रहा है ताकि निर्विघ्न परिवर्तन सुनिश्चित हो सके | अधिकारी को अपने नए स्थान पर दिनांक **10.11.2023** तक

कार्यभार ग्रहण कर लेना चाहिए | निर्धारित समय के भीतर कार्यमुक्त नहीं होने पर पर्यवेक्षक अधिकारी ज़िम्मेदार होंगे |

3. तैनाती के नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पहले अधिकारी के कोई अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा |

4. दिनांक **13.11.2023** तक अनुपालन रिपोर्ट करें |

[मनीष कुमार]
आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति(संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रति

1. केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि के सभी मंडल कार्यालयों के प्रभारी उप/ सहायक आयुक्त
2. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
3. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ),अधीक्षक(गोपनीय/सतर्कता)कोच्चि
4. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइटमेंअपलोडकरनेहेतु।
5. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु |

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/4/2023-ESTT दिनांक :06.11.2023

आदेश सं.: 199 / 2023

विषय : - केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के आधीक्षक एवं निरीक्षक के कैडर में स्थानांतरण एवं तैनातियां - संबन्धित।

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक एवं निरीक्षक के कैडर में निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनातियों का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री /श्रीमती) एवं पदनाम	जन्म तिथि	...से	... को
1.	अजीत कुमार, अधीक्षक	08.07.1983	(हवाई अड्डा,कण्णूर), सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम
2.	रामकृष्ण दसारी, निरीक्षक	20.04.1990	(हवाई अड्डा,कण्णूर), सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम

2. पर्यवेक्षक अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिकारी द्वारा उचित तौर पर कार्यमुक्त /कार्य सौंपने से सम्बंधित नोट आपस में आदान प्रदान करने के बाद ही उनको कार्यमुक्त किया जा रहा है ताकि निर्विघ्न परिवर्तन सुनिश्चित हो सके | अधिकारी को अपने नए स्थान पर दिनांक **06.11.2023** तक कार्यभार ग्रहण कर लेना चाहिए | निर्धारित समय के भीतर कार्यमुक्त नहीं होने पर पर्यवेक्षक अधिकारी ज़िम्मेदार होंगे |

3. यह मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

4. दिनांक **08.11.2023** तक अनुपालन रिपोर्ट करें |

मनीष

[मनीष कुमार]
आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति (संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रति

1. सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त, कोच्चि
2. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम
3. अधीक्षक(गोपनीय/सतर्कता)कोच्चि
4. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
5. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु |

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/23/2022-ESTT दिनांक: 08.11.2023

आदेश सं.: 198 / 2023

विषय : - हवलदार के ग्रेड में तैनातियां - केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र - संबन्धित।

केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के हवलदार के ग्रेड में निम्नलिखित तैनातियों का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है ।

क्रम सं.	नाम व पदनाम (सुश्री/ सर्वश्री/श्रीमती)	जन्मतिथि	...से	... को
1	वीणा एम जे	20.09.1996	कार्यग्रहण करने पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड
2	प्रभा एन पी	15.03.1968	कार्यग्रहण करने पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
3	राजु टी के	01.03.1967	कार्यग्रहण करने पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
4	कार्त्यानी सी	10.04.1967	कार्यग्रहण करने पर	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन
5	सुन्दरन एम	10.03.1967	कार्यग्रहण करने पर	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन
6	शंकरनकुट्टी के	15.04.1968	कार्यग्रहण करने पर	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन
7	रुगमणी सी	15.05.1967	कार्यग्रहण करने पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड
8	मुहम्मद शेरिफ एम एच	18.04.1971	कार्यग्रहण करने पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय

				उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम
9	मनोज पी	20.12.1968	कार्यग्रहण करने पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम
10	राजन वी के	06.02.1969	कार्यग्रहण करने पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम
11	अन्सारी के एम	25.05.1971	कार्यग्रहण करने पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम
12	रमा एल	11.05.1967	कार्यग्रहण करने पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम
13	गिरीश कुमार एस	15.05.1969	कार्यग्रहण करने पर	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन
14	जयकुमार के	12.05.1969	कार्यग्रहण करने पर	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन
15	अम्बिली राज बी	30.05.1973	कार्यग्रहण करने पर	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन
16	अनिलकुमार डी	17.05.1973	कार्यग्रहण करने पर	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन
17	सजिकुमार जी	30.05.1971	कार्यग्रहण करने पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम

2. यह मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

[सी टी बिंदु]
उप आयुक्त[का व सत]

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियां (संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारियों के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोयिक्कोड
3. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क तिरुवनंतपुरम
4. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,लेखा परीक्षा, कोच्चि
5. सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त, कोच्चि
6. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,अपील, कोच्चि
7. अपर महा निदेशक, डीजीजीआई/ डीआरआई आंचलिक इकाई, तिरुवनंतपुरम/ कोयिक्कोड/ कोच्चि

ति

1. केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के मंडल कार्यालयों के प्रभारी सभी उप /सहायक आयुक्त
2. केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम/ कोयिक्कोड/ सीमा शुल्क (निवारक)/ लेखा परीक्षा आयुक्तालयों के उप /सहायक आयुक्त
3. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी/ केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम/कोच्चि / कोयिक्कोड/ लेखा परीक्षा/ सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय
4. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम/कोच्चि / कोयिक्कोड/ लेखा परीक्षा/ सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय
5. अधीक्षक(सतर्कता) केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम/कोच्चि / कोयिक्कोड/ लेखा परीक्षा/ सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय
6. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
7. हिंदी कक्ष -हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/39/2022-Estt दिनांक :08.11.2023

आदेश सं.:197/2023

विषय : कर सहायक के ग्रेड में तैनातियां - केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र - संबन्धित।

कर सहायक के ग्रेड में निम्नलिखित तैनातियों का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम व पदनाम (सर्वश्री)	जन्म तिथि	स्थानांतरित	
			...से	... को
1.	द्रुपद नायर	21.05.1997	कार्यग्रहण करने पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम आयुक्तालय
2.	रिंकेश कुमार बीलवाल	19.12.1997	कार्यग्रहण करने पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोयिक्कोड आयुक्तालय

2. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

[सी टी बिंदु]
उप आयुक्त[का व सत]

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियां(पर्यवेक्षी अधिकारियों के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि /कोयिक्कोड/ तिरुवनंतपुरम

प्रति

1. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी/,प्रशासनिक अधिकारी (डीडीओ),केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि//कोयिक्कोड/ तिरुवनंतपुरम
2. अधीक्षक (सिस्टम्स)/ हिंदी इकाई, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि
3. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/28/2023-ESTT दिनांक : .11.2023

आदेश सं.:196/2023

विषय : -केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पादशुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के निरीक्षक के कैडर में स्थानांतरण एवं तैनातियां -संबन्धित।

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के निरीक्षक संवर्ग में निम्नलिखित स्थानांतरण और तैनातियों का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है ।

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री /श्रीमती)	जन्म तिथि	...से	... को
1.	आर्द्रा बी	10.12.1995	नई भर्ती (सीजीएलई 2022)	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
2.	ऋतिक	23.09.2000	नई भर्ती (सीजीएलई 2022)	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
3.	राम किशोर के	05.11.1993	नई भर्ती (सीजीएलई 2022)	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
4.	राहुल सोनी	03.11.1999	नई भर्ती (सीजीएलई 2022)	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
5.	बिपुल पंडित	15.02.1995	नई भर्ती (सीजीएलई 2022)	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
6.	सुमीत कुमार रंजन	07.08.1996	नई भर्ती (सीजीएलई 2022)	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
7.	पलाश साहु	24.08.1994	नई भर्ती (सीजीएलई 2022)	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
8.	नीरज कुमार झुरावत	22.12.2002	नई भर्ती (सीजीएलई 2022)	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,अपील आयुक्तालय, कोच्चि
9.	अरविंद कुमार गीला	01.06.1995	नई भर्ती (सीजीएलई 2022)	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
10.	उत्कर्ष सिंह	19.10.1998	नई भर्ती (सीजीएलई 2022)	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि

11.	शबरीश के एम	29.05.1995	नई भर्ती (सीजीएलई 2022)	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि

2. अधिकारी को अपने नए स्थान पर दिनांक **07.11.2023** तक कार्यभार ग्रहण कर लेना चाहिए |

3. तैनाती के नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पहले अधिकारी के कोई अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा |

4. यह मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

4. दिनांक **09.11.2023** तक अनुपालन रिपोर्ट करें |

[मनीष कुमार]
आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियां (संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रति

1. आयुक्त, केंद्रीयकरएवंकेंद्रीयउत्पादशुल्क,तिरुवनंतपुरम
2. आयुक्त, केंद्रीयकरएवंकेंद्रीयउत्पादशुल्क,कोयिककोड़
3. सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त, कोच्चि
4. आयुक्त, केंद्रीयकरएवंकेंद्रीयउत्पादशुल्क(लेखा परीक्षा),कोच्चि
5. आयुक्त, केंद्रीयकरएवंकेंद्रीयउत्पादशुल्क(अपील),कोच्चि
6. अपर महा निदेशक, डीजीजीआई/डीआरआई आंचलिक इकाई,तिरुवनंतपुरम/कोयिककोड़/कोच्चि
7. केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि के सभी मंडल कार्यालयों के प्रभारी उप/सहायक आयुक्त
8. उप/सहायकआयुक्त, तिरुवनंतपुरम/कोयिककोड़/सीमा शुल्क (निवारक)/लेखा परीक्षा,कोच्चि
9. मुख्यलेखाअधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम/ कोयिककोड़/ सीमा शुल्क (निवारक)/लेखा परीक्षा,कोच्चि
10. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), अधीक्षक (गोपनीय/सतर्कता) कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम/ कोयिककोड़/ सीमा शुल्क (निवारक)/लेखा परीक्षा,कोच्चि
11. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
12. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु |

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/23/2023-Estt दिनांक : 06.11.2023

स्थापना आदेश सं.: 195 / 2023

(डीजीएचआरडी नियुक्ति आदेश सं. तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स /कोच्चि /हवलदार/85162)

विषय :- एसएससी मल्टी-टास्किंग (गैर-तकनीकी) स्टाफ और हवलदार (सीबीआईसी और सीबीएन) परीक्षा, 2021 के माध्यम से हवलदार के ग्रेड में नियुक्ति - संबन्धित

इस केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव दिनांक 18.07.2023 की स्वीकृति पर, मंत्रालय द्वारा पत्र फा.सं. ए.12034/ एसएससी/ 06/2020-एडी.III.बी दिनांक 09.05.2023 और डीजीएचआरडी के पत्र एफ.सं.8/बी/37/एचआरडी (एचआरएम)/2019/पीटी.1 दिनांक 11.05.2023 के माध्यम से हवलदार के रूप में नियुक्ति के लिए आवंटित एक उम्मीदवार **कु. वीणा एम जे** को **अनारक्षित श्रेणी** में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 में चरित्र और पूर्ववृत्तों के सत्यापन के अधीन, अस्थायी क्षमता पर (रु.18,000- रु.56,900) में और भारत सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते में केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र में हवलदार के रूप में दिनांक **03.11.2023(पूर्वाह्न)** से नियुक्त किया जाता है।

2. **कु.वीणा एम जे** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगी । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में उपर्युक्त उम्मीदवार स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगी या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगी तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता(आईपीसी) के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

[रानी सी.आर.]
अपर आयुक्त[का व सत]

सेवा में,

कु. वीणा एम जे,
सुपुत्री जयन एम डी,
मोयिकुन्नत मना, पणिक्कमडम रोड,
अरक्किनार डाक, कोयिक्कोड जिला,
केरल - 673028

प्रतिलिपि समर्पित

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, कोच्चि

प्रतिलिपि :

1. मुख्य लेखा अधिकारी /वेतन एवं लेखा अधिकारी /प्रशासनिक अधिकारी) डी.डी.ओ ,(.केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क ,कोच्चि
2. अधीक्षक(सतर्कता/मु.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
3. अधीक्षक(सिस्टम्स) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि, वेबसाइट में उपलोड करने हेतु
4. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,मु.,कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(39)/155/2021-Estt **दिनांक:31.10.2023**

आदेश सं.:194/2023

विषय :- अंशकालिक अनियत मजदूरों का नियमितीकरण - हवलदार ग्रेड में नियुक्ति - संबन्धित

बोर्ड के पत्र F.No.18013/25/2009-AD.IIIB दिनांक 05.12.2022 के अनुसार और दिनांक 25.10.2023 को आयोजित समिति की सिफारिश के आधार पर, जिसमें सीबीआईसी 2020 की अंशकालिक अनियत मजदूर (नियमितीकरण) योजना के तहत अंशकालिक मजदूरों के नियमितीकरण पर विचार किया गया था, निम्नलिखित अंशकालिक अनियत मजदूरों को एतद्द्वारा केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र में हवलदार (समूह 'सी' गैर-राजपत्रित, गैर-अनुसचिवीय) के रूप में कार्य करने के लिए चरित्र और पूर्ववृत्तों के सत्यापन के अधीन तथा भारत सरकार द्वारा पद पर कार्यग्रहण करने की तारीख से स्वीकृत किए जा सकने वाले भत्ते सहित वेतन मैट्रिक्स में स्तर -1 (18,000-56,900) में नियुक्त किया जाता है ।

क्रम सं,	नाम (सर्वश्री /श्रीमती)	श्रेणी	जन्म तिथि
1	प्रभा एन.पी.	अ.पि.व.	15.03.1968
2	राजु टी के	अ.जा.	01.03.1967
3	कार्त्यानी सी	अ.जा	10.04.1967
4	सुन्दरन एम	अ.जा	10.03.1967
5	शंकरन कुट्टी के	अ.जा	15.04.1968
6	रुगमणी सी	अ.जा	15.05.1967
7	मुहम्मद शेरिफ एम एच	अ.पि.व.	18.04.1971
8	मनोज पी	अ.पि.व.	20.12.1968
9	राजन वी के	अ.जा.	06.02.1969
10	अन्सारी के एम	अ.पि.व.	25.05.1971
11	रमा एल	अ.जा.	11.05.1967
12	गिरीश कुमार एस	अ.पि.व.	15.05.1969
13	जयाकुमार के	अ.पि.व.	12.05.1969
14	अम्बिली राज बी	अ.पि.व.	30.05.1973
15	अनिलकुमार डी	अ.पि.व.	17.05.1973
16	सजिकुमार जी	अ.पि.व.	30.05.1971

2. यदि वे नियुक्ति के इस प्रस्ताव में उल्लिखित शर्तों को स्वीकार करते हैं, तो उन्हें दिनांक **17.11.2023** को या उससे पहले उपायुक्त (का व सत), केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय राजस्व भवन, आई एस प्रेस रोड, कोच्चि में उपस्थित होना चाहिए। यदि वे निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने में विफल रहते हैं, तो नियुक्ति के इस आदेश को रद्द माना जाएगा।

3. आपको ड्यूटी के लिए रिपोर्टिंग के समय फोटोकॉपी के 3 (तीन) सेट के साथ निम्नलिखित दस्तावेज (ओरिजिनल में) लाने की आवश्यकता है:

क. मैट्रिकुलेशन/हाईस्कूल प्रमाण पत्र जिसमें जन्मतिथि दर्शाई गई हो|

ख. शैक्षणिक योग्यता और विभिन्न स्तरों पर अध्ययन किए गए विषयों को दर्शाने वाले अन्य सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र |

ग. अनुभव के संबंध में आपके दावे के समर्थन में प्रमाण पत्र और पाठ्येतर गतिविधियों से संबंधित प्रमाण पत्र ।

घ. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग / भूतपूर्व सेवा / दिव्यांग के रूप में आपके दावे के समर्थन में प्रमाण पत्र, यदि लागू हो।

ड. आधार कार्ड |

4. आपको निम्नलिखित दस्तावेज लाने होंगे। [दस्तावेजों का प्रारूप कोच्चि कमिश्नरी की वेबसाइट पर उपलब्ध है - http://www.cenexcisekochi.gov.in/SSC-भर्ती/]।

क. पहचान प्रमाण पत्र और चरित्र प्रमाण पत्र (अनुलग्नक-II) के साथ सत्यापन फॉर्म की पूरी तरह से भरी 3 (तीन) प्रतियां।

ख. आपको 'अनुलग्नक-I' में दी गई सेवा की शर्तों को स्वीकार करना चाहिए |

ग. आपको चिकित्सा अधिकारी से, जो सिविल सर्जन के पद से नीचे का न हो, चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित चिकित्सा परीक्षा से गुजरना होगा। (अनुलग्नक-III - उम्मीदवार विवरण और घोषणा और चिकित्सा प्रमाणपत्र)। **प्रमाण पत्र तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।**

5. उन्हें सूचित किया गया है कि हवलदार के पद पर उनकी नियुक्ति पूरी तरह से अस्थायी और अनंतिम आधार पर है और उन्हें बिना कोई कारण बताए किसी भी समय सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है।

6. उन्हें आगे सूचित किया जाता है कि वे दो साल की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे। नियुक्ति प्राधिकारी, यदि वह उचित समझे, परिवीक्षा की अवधि बढ़ा सकता है।

7. कार्यभार ग्रहण करते समय विभाग उम्मीदवार को कोई यात्रा या अन्य व्यय नहीं देगा।

(रानी सी आर)
अपर आयुक्त[का व सत]

सेवा में,

1. **श्रीमती प्रभा एन.पी. , अंशकालिक अनियत मजदूर,**
   केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
2. **श्री राजु टी के, अंशकालिक अनियत मजदूर,**
   केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
3. **श्रीमती कार्त्यानी सी. ,अंशकालिक अनियत मजदूर,**
   केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
4. **श्री सुन्दरन एम. ,अंशकालिक अनियत मजदूर,**
   केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
5. **श्री शंकरन कुट्टी के. ,अंशकालिक अनियत मजदूर,**
   केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
6. **श्रीमती रुगमणी सी. ,अंशकालिक अनियत मजदूर,**
   केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
7. **श्री मुहम्मद शेरिफ एम एच., अंशकालिक अनियत मजदूर,**
   केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि

8. **श्री मनोज पी. ,अंशकालिक अनियत मजदूर,**
   केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
9. **श्री राजन वी के. ,अंशकालिक अनियत मजदूर,**
   केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
10. **श्री अन्सारी के एम. ,अंशकालिक अनियत मजदूर,**
    केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
11. **श्रीमती रमा एल. ,अंशकालिक अनियत मजदूर,**
    केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
12. **श्री गिरीश कुमार एस. ,अंशकालिक अनियत मजदूर,**
    केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
13. **श्री जयकुमार के. ,अंशकालिक अनियत मजदूर,**
    केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
14. **श्री अम्बिली राज बी., अंशकालिक अनियत मजदूर,**
    केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
15. **श्री अनिल कुमार डी., अंशकालिक अनियत मजदूर,**
    केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
16. **श्री सजिकुमार जी., अंशकालिक अनियत मजदूर,**
    केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि

(पर्यवेक्षक अधिकारियों के ज़रिए)

प्रतिलिपि समर्पित

1. मुख्य आयुक्त,केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्कएवं सीमा शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम/कोयिक्कोड/लेखा परीक्षा/अपील/ सीसीपी

प्रतिलिपि :

1. अपर /संयुक्त आयुक्त (का व सत), केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोयिक्कोड/ सीसीपी
2. कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम/कोयिक्कोड/लेखा परीक्षा/अपील/सीसीपी के अधीनस्थ सभी मंडल कार्यालयों के प्रभारी सहायक /उप आयुक्त
3. अधीक्षक)सतर्कता/सिस्टम्स (केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम/कोयिक्कोड/लेखा परीक्षा/अपील/सीसीपी
4. मुख्य लेखा अधिकारी /वेतन एवं लेखा अधिकारी /प्रशासनिकअधिकारी) डी.डी.ओ ,(केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम/कोयिक्कोड/लेखा परीक्षा/अपील/सीसीपी
5. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/32/2023-Estt-Part-(1) **दिनांक: 30.10.2023**

स्थापना आदेश सं.: 193 / 2023

(डीजीएचआरडी नियुक्ति आदेश सं. तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/कर सहायक/86642)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग(एसएससी) के माध्यम से कर सहायक के ग्रेड में नियुक्ति- संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2022 - संबन्धित

इस केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव दिनांक 21.09.2023 की स्वीकृति पर, **अनुसूचित जाति श्रेणी** के तहत कर सहायक के रूप में नियुक्ति के लिए मंत्रालय द्वारा पत्र फा.सं. A-12034/SSC/07/2021 - एडी-III.बी दिनांक 08.08.2023 के माध्यम से आवंटित एक उम्मीदवार **श्री रिंकेश कुमार बीलवाल** को अस्थायी क्षमता पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 4 में (रु.25,500-रु.81,100) में और भारत सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते में दिनांक **30.10.2023 (अपराह्न)** से केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र में कर सहायक के रूप में नियुक्त किया गया है, जो चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन के अधीन है।

2 **श्री रिंकेश कुमार बीलवाल** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में उपर्युक्त उम्मीदवार स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता(आईपीसी) के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

(रानी सी आर)
अपर आयुक्त[का व सत]

सेवा में,

श्री रिंकेश कुमार बीलवाल,
सुपुत्र हरिचरण बैरवा,
गाँव -ओलुपुरा, डाक -माकनपुर,
जिला व तहसील - करौली,
राजस्थान - 322255

प्रतिलिपि समर्पित

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि

प्रतिलिपि :

1. अधीक्षक(सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,मु., कोच्चि
2. मुख्य लेखा अधिकारी /वेतन एवं लेखा अधिकारी /प्रशासनिक अधिकारी) डी.डी.ओ ,(.केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क , मु., कोच्चि
3. अधीक्षक(सिस्टम्स) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,मु.,कोच्चि, वेबसाइट में उपलोड करने हेतु
4. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,मु.,कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/32/2023-Estt **दिनांक: 30.10.2023**

स्थापना आदेश सं.: 192 / 2023

(डीजीएचआरडी नियुक्ति आदेश सं. तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/कर सहायक/86628)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग(एसएससी) के माध्यम से कर सहायक के ग्रेड में नियुक्ति- संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2022 - संबन्धित

इस केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव दिनांक 21.09.2023 की स्वीकृति पर, **अनारक्षित श्रेणी** के तहत कर सहायक के रूप में नियुक्ति के लिए मंत्रालय द्वारा पत्र फा.सं. A-12034/SSC/07/2021 - एडी-III.बी दिनांक 08.08.2023 के माध्यम से आवंटित एक उम्मीदवार **श्री द्रुपद नायर** को अस्थायी क्षमता पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 4 में (रु.25,500- रु.81,100) में और भारत सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते में दिनांक **27.10.2023 (पूर्वाह्न)** से केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र में कर सहायक के रूप में नियुक्त किया गया है, जो चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन के अधीन है।

2 **श्री द्रुपद नायर** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में उपर्युक्त उम्मीदवार स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता(आईपीसी) के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

(रानी सी आर)
अपर आयुक्त[का व सत]

सेवा में,

श्री द्रुपद नायर,
सुपुत्र राजेन्द्रनाथन नायर एम,
शिवदर्शनम, 133-बी, न्यू कण्णिमेल नगर,
II माइलस्टोन, किलिकोल्लूर,
कोल्लम, केरल - 691004

प्रतिलिपि समर्पित

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि

प्रतिलिपि :

1. अधीक्षक(सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,मु., कोच्चि
2. मुख्य लेखा अधिकारी /वेतन एवं लेखा अधिकारी /प्रशासनिक अधिकारी) डी.डी.ओ ,(.केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क , मु., कोच्चि
3. अधीक्षक(सिस्टम्स) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,मु.,कोच्चि, वेबसाइट में उपलोड करने हेतु
4. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,मु.,कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/34/2023-ESTT.

स्थापना आदेश सं.: 191 / 2023

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/निरीक्षक/86669)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2022' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित |

दिनांक 26.09.2023 को आयोजित रोज़गार मेले के बाद सूचित किए गए इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 22.09.2023 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अनुसूचित जाति** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/07/2022 - Ad.III.B दिनांक 08.08.2023 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री सुमीत कुमार रंजन** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक **10.10 .2023 (पूर्वाह्न)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्ववृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

श्री सुमीत कुमार रंजन को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में सुसंगत **डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों** के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, **श्री सुमीत कुमार रंजन** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित

जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

(मनीष कुमार)
आयुक्त

सेवा में,

श्री सुमीत कुमार रंजन,
रबिदास की देखभाल में, अम्बेडकर नगर, सिलाओ डाक, सिलाओ थाना,सिलाओ,
नालंदा, बिहार, पिन -803117

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, कैंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/34/2023-ESTT.

स्थापना आदेश सं.: 190 / 2023

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/निरीक्षक/86648)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2022' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित ।

दिनांक 26.09.2023 को आयोजित रोज़गार मेले के बाद सूचित किए गए इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 22.09.2023 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अनारक्षित** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/07/2022 -Ad.III.B दिनांक 08.08.2023 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री शुभम कुमार झा** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900-रु.1,42,400) में दिनांक **29.09.2023 (पूर्वाह्न)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्ववृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

2 **श्री शुभम कुमार झा** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में सुसंगत **डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों** के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में **श्री शुभम कुमार झा** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

(मनीष कुमार)
आयुक्त

सेवा में,

श्री शुभम कुमार झा,
हाउस नं. 57, शिवपुर, शिव मंदिर के पीछे, गोड्डा जिला,
झारखण्ड, पिन - 814133

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/34/2023-ESTT.

स्थापना आदेश सं.: 189 / 2023

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/निरीक्षक/86655)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2022' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित |

दिनांक 26.09.2023 को आयोजित रोज़गार मेले के बाद सूचित किए गए इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 22.09.2023 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अन्य पिछड़ा वर्ग** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/07/2022 - Ad.III.B दिनांक 08.08.2023 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री सौरव कुमार** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900-रु.1,42,400) में दिनांक **03.10 .2023 (पूर्वाह्न)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्ववृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

श्री सौरव कुमार को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में सुसंगत **डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों** के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, **श्री सौरव कुमार** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित

जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

(मनीष कुमार)
आयुक्त

सेवा में,

श्री सौरव कुमार,
गाँव उत्तरनवन, डाक उत्तरनवन, थाना रहुई बिहार शरीफ,
नालंदा, बिहार, पिन - 803119

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/34/2023-ESTT.

स्थापना आदेश सं.: 188 / 2023

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/निरीक्षक/86649)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2022' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित |

दिनांक 26.09.2023 को आयोजित रोज़गार मेले के बाद सूचित किए गए इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 22.09.2023 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अनारक्षित** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/07/2022 -Ad.III.B दिनांक 08.08.2023 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री ऋतिक** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक **19.10.2023 (पूर्वाह्न)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्ववृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

2 **श्री ऋतिक** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में सुसंगत **डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों** के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में **श्री ऋतिक** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

मनीष

(मनीष कुमार)
आयुक्त

सेवा में,

श्री ऋतिक,
गाँव बसौडी, डाक -बरोली, जिला -सोनीपत,
हरयाणा, पिन - 131021

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/34/2023-ESTT.

स्थापना आदेश सं.: 187 / 2023

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/निरीक्षक/86647)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2022' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित ।

दिनांक 26.09.2023 को आयोजित रोज़गार मेले के बाद सूचित किए गए इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 22.09.2023 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अनारक्षित** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/07/2022 -Ad.III.B दिनांक 08.08.2023 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री राणा भानु प्रताप सिंह** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900-रु.1,42,400) में दिनांक **05.10.2023 (पूर्वाह्न)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्ववृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

2 **श्री राणा भानु प्रताप सिंह** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में सुसंगत **डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों** के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में **श्री राणा भानु प्रताप सिंह** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

मनीष

(मनीष कुमार)
आयुक्त

सेवा में,

श्री राणा भानु प्रताप सिंह,
न्यू कॉलोनी, दीपु गर्हा, हजारीबाघ जिला,
झारखण्ड, पिन - 825301

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/34/2023-ESTT.

स्थापना आदेश सं.: 186 / 2023

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/निरीक्षक/86650)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2022' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित ।

दिनांक 26.09.2023 को आयोजित रोज़गार मेले के बाद सूचित किए गए इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 22.09.2023 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अन्य पिछड़ा वर्ग** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/07/2022 - Ad.III.B दिनांक 08.08.2023 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री राम किशोर के** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900-रु.1,42,400) में दिनांक **11.10 .2023 (पूर्वाह्न)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्ववृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

श्री राम किशोर के को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में सुसंगत **डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों** के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, **श्री राम किशोर के** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित

जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

मनीष

(मनीष कुमार)
आयुक्त

सेवा में,

श्री राम किशोर के,
अम्मा कियक्केतोडी, डाक- गुरुवायूरप्पन कॉलेज, कोयिक्कोड़,
केरल, पिन - 673014

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/34/2023-ESTT.

स्थापना आदेश सं.: 185 / 2023

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/निरीक्षक/86665)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2022' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित |

दिनांक 26.09.2023 को आयोजित रोज़गार मेले के बाद सूचित किए गए इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 22.09.2023 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **ईडब्लियूएस** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/07/2022 -Ad.III.B दिनांक 08.08.2023 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री रजनीश राई** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक **06.10 .2023 (पूर्वाह्न)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्ववृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

श्री रजनीश राई को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में सुसंगत **डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों** के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, **श्री रजनीश राई** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित

जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

(मनीष कुमार)
आयुक्त

सेवा में,

श्री रजनीश राई,
गाँव एवं डाक - अम्ला, तहसील -घोसी, माऊ, उत्तर प्रदेश,
पिन - 275301

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/34/2023-ESTT.

स्थापना आदेश सं.: 184 / 2023

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/निरीक्षक/86666)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग **'सीजीएलई 2022' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क** निरीक्षक के केडर में **नियुक्ति -संबन्धित |**

दिनांक 26.09.2023 को आयोजित रोज़गार मेले के बाद सूचित किए गए इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 22.09.2023 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **ईडब्लियूएस** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, **नई दिल्ली** पत्र फा.सं. A-12034/SSC/07/2022 -Ad.III.B दिनांक 08.08.2023 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री राहुल** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक **06.10 .2023** (पूर्वाह्न) से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्ववृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

श्री राहुल को सूचित किया जाता है कि **नियुक्ति** की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में सुसंगत डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, श्री राहुल स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित

जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

(मनीष कुमार)
आयुक्त

सेवा में,

श्री राहुल,
ए 395, ए -ब्लाक, शहीद सुखदेव नगर, वैज़्पुर इंडस्ट्रियल एरिया, जिला उत्तर पश्चिम दिल्ली, दिल्ली, पिन - 110052

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/34/2023-ESTT.

स्थापना आदेश सं.: 183 / 2023

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/निरीक्षक/86674)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2022' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित |

दिनांक 26.09.2023 को आयोजित रोज़गार मेले के बाद सूचित किए गए इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 22.09.2023 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अन्य पिछड़ा वर्ग** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/07/2022 - Ad.III.B दिनांक 08.08.2023 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री राहुल सोनी** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900-रु.1,42,400) में दिनांक **09.10 .2023 (पूर्वाह्न)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्ववृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

श्री राहुल सोनी को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में सुसंगत **डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों** के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, **श्री राहुल सोनी** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित

जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

(मनीष कुमार)
आयुक्त

सेवा में,

श्री राहुल सोनी,
14 केशव नगर ब्लाक कॉलोनी, गुरूद्वारे के पास, जिला शियोपुर,
मध्य प्रदेश, पिन - 476337

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/34/2023-ESTT.

स्थापना आदेश सं.: 182 / 2023

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/निरीक्षक/86661)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग **'सीजीएलई 2022' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क** निरीक्षक के केडर में **नियुक्ति -संबन्धित |**

दिनांक 26.09.2023 को आयोजित रोज़गार मेले के बाद सूचित किए गए इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 22.09.2023 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अन्य पिछड़ा वर्ग** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/07/2022 - Ad.III.B दिनांक 08.08.2023 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री पलाश साहु** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900-रु.1,42,400) में दिनांक 19.10 .2023 **(पूर्वाह्न)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्ववृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

श्री पलाश साहु को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में सुसंगत डीओपीटी कार्यालय **ज्ञापनों** के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, **श्री पलाश साहु** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित

जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

(मनीष कुमार)
आयुक्त

सेवा में,

श्री पलाश साहु,
422, सी सेक्टर, शक्ति नगर, बीएचईएल भोपाल,
मध्य प्रदेश, पिन -462024

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/34/2023-ESTT.

स्थापना आदेश सं.: 181 / 2023

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/निरीक्षक/86673)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग **'सीजीएलई 2022' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क** निरीक्षक के केडर में **नियुक्ति -संबन्धित |**

दिनांक 26.09.2023 को आयोजित रोज़गार मेले के बाद सूचित किए गए इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 22.09.2023 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अनुसूचित जन जाति** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/07/2022 -Ad.III.B दिनांक 08.08.2023 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री नीरज कुमार** झुरावत को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक **09.10 .2023 (पूर्वाह्न)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्ववृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

श्री नीरज कुमार झुरावत को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में सुसंगत डीओपीटी **कार्यालय ज्ञापनों** के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, श्री **नीरज कुमार झुरावत** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित

जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

(मनीष कुमार)
आयुक्त

सेवा में,

श्री नीरज कुमार झुरावत,
144 शिव गोरक्षा नगर, मॉडल टाउन, मालविया नगर, जयपुर जिला,
राजस्थान, पिन - 302017

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/34/2023-ESTT.

स्थापना आदेश सं.: 180 / 2023

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/निरीक्षक/86633)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग **'सीजीएलई 2022' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क** निरीक्षक के केडर में **नियुक्ति -संबन्धित |**

दिनांक 26.09.2023 को आयोजित रोज़गार मेले के बाद सूचित किए गए इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 22.09.2023 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अनारक्षित** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/07/2022 -Ad.III.B दिनांक 08.08.2023 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्रीमती मारवा बषीर** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900-रु.1,42,400) में दिनांक **26.09.2023 (पूर्वाह्न)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्ववृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

2 **श्रीमती** मारवा बषीर को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगी । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में सुसंगत डीओपीटी कार्यालय **ज्ञापनों** के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय श्रीमती मारवा **बषीर** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगी या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगी तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

मनीष

(मनीष कुमार)
आयुक्त

सेवा में,

श्रीमती मारवा बषीर,
चेराट्टू हाउस, मद्रसा लेन, आलुवा-1, एर्णाकुलम,
केरल, पिन - 683101

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, कैंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/34/2023-ESTT.

स्थापना आदेश सं.: 179 / 2023

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/निरीक्षक/86668)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2022' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित |

दिनांक 26.09.2023 को आयोजित रोज़गार मेले के बाद सूचित किए गए इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 22.09.2023 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अनुसूचित जाति** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/07/2022 - Ad.III.B दिनांक 08.08.2023 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री कसुकुर्ती निखिल** चक्रवर्ती को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक **05.10 .2023 (अपराह्न)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्ववृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

श्री कसुकुर्ती निखिल **चक्रवर्ती** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में सुसंगत डीओपीटी **कार्यालय ज्ञापनों** के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, **श्री कसुकुर्ती निखिल चक्रवर्ती** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित

जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

मनीष

(मनीष कुमार)
आयुक्त

सेवा में,

श्री कसुकुर्ती निखिल चक्रवर्ती,
डोर नं. 6 -1-158, शान्तिनगर, पेरला, चिरला, प्रकाशम,
आंध्र प्रदेश, पिन -523157

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/34/2023-ESTT.

स्थापना आदेश सं.: 178 / 2023

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/निरीक्षक/86651)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग **'सीजीएलई 2022' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क** निरीक्षक के केडर में **नियुक्ति -संबन्धित |**

दिनांक 26.09.2023 को आयोजित रोज़गार मेले के बाद सूचित किए गए इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 22.09.2023 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अन्य पिछड़ा वर्ग** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/07/2022 - Ad.III.B दिनांक 08.08.2023 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री गोकुल सुरेश** एस को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक **05.10 .2023 (पूर्वाह्न)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्ववृत एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

श्री गोकुल सुरेश **एस** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में सुसंगत डीओपीटी **कार्यालय ज्ञापनों** के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, **श्री गोकुल सुरेश एस** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित

जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

मनीष

(मनीष कुमार)
आयुक्त

सेवा में,

श्री गोकुल सुरेश एस,
अलकापुरी, के पी लेन, तेन्नूर, नेमम डाक, तिरुवनंतपुरम, केरल, पिन -695020

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोचि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/34/2023-ESTT.

स्थापना आदेश सं.: 177 / 2023

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/निरीक्षक/86641)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग **'सीजीएलई 2022' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क** निरीक्षक के केडर में **नियुक्ति -संबन्धित |**

दिनांक 26.09.2023 को आयोजित रोज़गार मेले के बाद सूचित किए गए इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 22.09.2023 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अनारक्षित** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/07/2022 -Ad.III.B दिनांक 08.08.2023 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **सुश्री एस गायत्री** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक 26.09 .2023 (पूर्वाह्न) से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्ववृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

2 **सुश्री एस** गायत्री को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगी । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में सुसंगत **डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों** के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में सुश्री **एस गायत्री** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगी या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगी तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

मनीष

(मनीष कुमार)
आयुक्त

सेवा में,

सुश्री एस गायत्री,
हरिभवन, कचनी कारकुलम, तिरुवनंतपुरम,
केरल - 695564

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/34/2023-ESTT.

स्थापना आदेश सं.: 176 / 2023

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/निरीक्षक/86656)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2022' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित ।

दिनांक 26.09.2023 को आयोजित रोज़गार मेले के बाद सूचित किए गए इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 22.09.2023 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अन्य पिछड़ा वर्ग** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/07/2022 - Ad.III.B दिनांक 08.08.2023 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री धर्मेन्द्र राज़** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900-रु.1,42,400) में दिनांक **26.09 .2023 (पूर्वाह्न)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्ववृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

श्री धर्मेन्द्र राज़ को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में सुसंगत **डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों** के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, **श्री धर्मेन्द्र राज़** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित

जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

(मनीष कुमार)
आयुक्त

सेवा में,

श्री धर्मेन्द्र राज़,
सी 120, अक्षर बिहार सोसाइटी, लीजेंड होटल के पीछे, तरसाली बैपास, तरसाली, वड़ोदरा,
गुजरात, पिन - 390009

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/34/2023-ESTT.

स्थापना आदेश सं.: 175 / 2023

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/निरीक्षक/86654)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग **'सीजीएलई 2022' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित |**

दिनांक 26.09.2023 को आयोजित रोज़गार मेले के बाद सूचित किए गए इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 22.09.2023 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अन्य पिछड़ा वर्ग** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/07/2022 - Ad.III.B दिनांक 08.08.2023 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री बिपुल पंडित** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900-रु.1,42,400) में दिनांक 19.10.2023 **(पूर्वाह्न)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्ववृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

श्री बिपुल पंडित को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में सुसंगत **डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों** के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, **श्री बिपुल पंडित** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित

जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

मनीष

(मनीष कुमार)
आयुक्त

सेवा में,

श्री बिपुल पंडित,
704 बी एम रोड, चम्पदनी डाक, बैद्यपती, हुगली जिला, पश्चिम बंगाल, पिन - 712222

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/34/2023-ESTT.

स्थापना आदेश सं.: 174 / 2023

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/निरीक्षक/86636)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2022' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित |

दिनांक 26.09.2023 को आयोजित रोज़गार मेले के बाद सूचित किए गए इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 22.09.2023 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अनारक्षित** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/07/2022 -Ad.III.B दिनांक 08.08.2023 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री अषर बी षिबिन** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक **26.09.2023 (पूर्वाह्न)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्ववृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

2 **श्री अषर बी षिबिन** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में सुसंगत **डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों** के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय **श्री अषर बी षिबिन** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

मनीष

(मनीष कुमार)
आयुक्त

सेवा में,

श्री अषर बी षिबिन,
शबनम, वडक्कुमतला पूर्व, करुनागप्पल्ली, कोल्लम,
केरल, पिन - 690536

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/34/2023-ESTT.

स्थापना आदेश सं.: 173 / 2023

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/निरीक्षक/86644)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2022' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित |

दिनांक 26.09.2023 को आयोजित रोज़गार मेले के बाद सूचित किए गए इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 22.09.2023 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अन्य पिछड़ा वर्ग** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/07/2022 - Ad.III.B दिनांक 08.08.2023 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री अश्विन अशोक** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक **26.09.2023 (पूर्वाहन)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्ववृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

श्री अश्विन अशोक को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में सुसंगत **डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों** के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, **श्री अश्विन अशोक** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित

जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

(मनीष कुमार)
आयुक्त

सेवा में,

श्री अश्विन अशोक,
इंदिरा मंदिरम, न्जारक्कल, पेरिनाड डाक, कोल्लम,
केरल, पिन - 691601

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/34/2023-ESTT.

स्थापना आदेश सं.: 172 / 2023

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/निरीक्षक/86646)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2022' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित |

दिनांक 26.09.2023 को आयोजित रोज़गार मेले के बाद सूचित किए गए इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 22.09.2023 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अनारक्षित** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/07/2022 -Ad.III.B दिनांक 08.08.2023 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री अश्विन जी** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक **29.09.2023 (पूर्वाह्न)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्ववृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

2 , **श्री अश्विन जी** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में सुसंगत **डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों** के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में , **श्री अश्विन जी** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

मनीष

(मनीष कुमार)
आयुक्त

सेवा में,

श्री अश्विन जी,
15/282, श्रीरागम, लाल नगर, पुदुप्परियारम डाक, पालक्काड,
केरल, पिन - 678731

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/34/2023-ESTT.

स्थापना आदेश सं.: 171 / 2023

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/निरीक्षक/86660)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2022' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित |

दिनांक 26.09.2023 को आयोजित रोज़गार मेले के बाद सूचित किए गए इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 22.09.2023 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अन्य पिछड़ा वर्ग** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/07/2022 - Ad.III.B दिनांक 08.08.2023 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री अर्जुन एम** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900-रु.1,42,400) में दिनांक **26.09.2023 (पूर्वाह्न)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्ववृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

श्री अर्जुन एम को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में सुसंगत **डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों** के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, **श्री अर्जुन एम** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित

जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

(मनीष कुमार)
आयुक्त

सेवा में,

श्री अर्जुन एम,
पंचवडी हाउस, मुण्डियनकावु परम्बु, वल्लिक्कुन्नु डाक,
मलप्पुरम, केरल, पिन - 673314

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/34/2023-ESTT.

स्थापना आदेश सं.: 170 / 2023

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/निरीक्षक/86640)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2022' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित |

दिनांक 26.09.2023 को आयोजित रोज़गार मेले के बाद सूचित किए गए इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 22.09.2023 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अनारक्षित** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/07/2022 -Ad.III.B दिनांक 08.08.2023 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **सुश्री आर्द्रा बी** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक **09.10.2023 (अपराह्न)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्ववृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

2 **सुश्री आर्द्रा बी** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगी । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में सुसंगत **डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों** के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में **सुश्री आर्द्रा बी** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगी या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगी तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

मनीष

(मनीष कुमार)
आयुक्त

सेवा में,

सुश्री आर्द्रा बी,
उतिरकुलत्तु, पूवारानी डाक, पाला,
कोट्टयम, केरल - 686577

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/34/2023-ESTT.

स्थापना आदेश सं.: 169 / 2023

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/निरीक्षक/86639)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2022' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित |

दिनांक 26.09.2023 को आयोजित रोज़गार मेले के बाद सूचित किए गए इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 22.09.2023 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अनारक्षित** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/07/2022 -Ad.III.B दिनांक 08.08.2023 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री अनंत कृष्णन एच** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900-रु.1,42,400) में दिनांक **04.10 .2023 (पूर्वाहन)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्ववृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

2 **श्री अनंत कृष्णन एच** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में सुसंगत **डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों** के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में **श्री अनंत कृष्णन एच** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

मनीष

(मनीष कुमार)
आयुक्त

सेवा में,

श्री अनंत कृष्णन एच,
सूर्यकान्तम, ओट्टक्काल डाक, तेन्मला,
कोल्लम, केरल, पिन - 691308

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/34/2023-ESTT.

स्थापना आदेश सं.: 168 / 2023

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/निरीक्षक/86659)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2022' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित |

दिनांक 26.09.2023 को आयोजित रोज़गार मेले के बाद सूचित किए गए इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 22.09.2023 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अन्य पिछड़ा वर्ग** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/07/2022 - Ad.III.B दिनांक 08.08.2023 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री अमीन अहम्मेद सुहैल के** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक **26.09.2023 (पूर्वाह्न)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्ववृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

2 **श्री अमीन अहम्मेद सुहैल के** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में सुसंगत **डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों** के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, **श्री अमीन अहम्मेद सुहैल के** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित

जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

(मनीष कुमार)
आयुक्त

सेवा में,

श्री अमीन अहम्मेद सुहैल के,
कोटियरी हाउस, करन्तुर डाक, बारास्ता कुन्नमंगलम,
कोयिक्कोड, केरल - 673571

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/34/2023-ESTT.

स्थापना आदेश सं.: 167 / 2023

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/निरीक्षक/86632)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग **'सीजीएलई 2022' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क** निरीक्षक के **केडर में नियुक्ति -संबन्धित |**

दिनांक 26.09.2023 को आयोजित रोज़गार मेले के बाद सूचित किए गए इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 22.09.2023 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अनारक्षित** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/07/2022 -Ad.III.B दिनांक 08.08.2023 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री अलोक एम एंटणी** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900-रु.1,42,400) में दिनांक **26.09.2023 (पूर्वाह्न)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्ववृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

2 **श्री अलोक** एम एंटणी को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में सुसंगत **डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों** के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में **श्री अलोक एम एंटणी** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

मनीष

(मनीष कुमार)
आयुक्त

सेवा में,

श्री अलोक एम एंटणी,
मुरिक्कल हाउस, पून्जार डाक, कोट्टयम,
केरल, पिन - 686581

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/34/2023-ESTT.

स्थापना आदेश सं.: 166 / 2023

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/निरीक्षक/86662)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2022' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित |

दिनांक 26.09.2023 को आयोजित रोज़गार मेले के बाद सूचित किए गए इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 22.09.2023 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अन्य पिछड़ा वर्ग** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/07/2022 - Ad.III.B दिनांक 08.08.2023 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री आकाश अरविंद पी** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक **29.09.2023 (पूर्वाह्न)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्ववृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

2 **श्री आकाश अरविंद पी** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में सुसंगत **डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों** के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, **श्री आकाश अरविंद पी** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित

जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

मनीष
(मनीष कुमार)
आयुक्त

सेवा में,

श्री आकाश अरविंद पी,
नं.5, एस व एस एन्क्लेव, 5वीं क्रॉस आर ए रोड, एजिपुरा, विवेक नगर डाक,
बैंगलूर, कर्नाटक, पिन -560047

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/34/2023-ESTT.

स्थापना आदेश सं.: 165 / 2023

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/निरीक्षक/86664)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2022' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित ।

दिनांक 26.09.2023 को आयोजित रोज़गार मेले के बाद सूचित किए गए इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 22.09.2023 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अन्य पिछड़ा वर्ग** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/07/2022 - Ad.III.B दिनांक 08.08.2023 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री अजय राजकुमार** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900-रु.1,42,400) में दिनांक **03.10.2023 (पूर्वाह्न)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्ववृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

2 **श्री अजय राजकुमार** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में सुसंगत **डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों** के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, **श्री अजय राजकुमार** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित

जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

(मनीष कुमार)
आयुक्त

सेवा में,

श्री अजय राजकुमार,
गाँव पुरैनी, डाक -पुरैनी, थाना - गिरियक, नालन्दा,
बिहार - 803109

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/34/2023-ESTT.

स्थापना आदेश सं.: 164 / 2023

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/निरीक्षक/86657)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2022' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित |

दिनांक 26.09.2023 को आयोजित रोज़गार मेले के बाद सूचित किए गए इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 22.09.2023 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अन्य पिछड़ा वर्ग** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/07/2022 - Ad.III.B दिनांक 08.08.2023 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री अजय धकर** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900-रु.1,42,400) में दिनांक **06.10.2023 (पूर्वाह्न)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्ववृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

2 , **श्री अजय धकर** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में सुसंगत **डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों** के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, **श्री अजय धकर** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित

जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

(मनीष कुमार)
आयुक्त

सेवा में,

श्री अजय धकर,
गाँव बस्तोरी, डाक -रीझोनी, तहसील -कैलारस, जिला -मोरेना,
मध्य प्रदेश, पिन - 476224

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/34/2023-ESTT.

स्थापना आदेश सं.: 163 / 2023

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/निरीक्षक/86653)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2022' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित |

दिनांक 26.09.2023 को आयोजित रोज़गार मेले के बाद सूचित किए गए इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 22.09.2023 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अन्य पिछड़ा वर्ग** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/07/2022 - Ad.III.B दिनांक 08.08.2023 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री अजय ए एस** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900-रु.1,42,400) में दिनांक **26.09.2023 (पूर्वाह्न)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्ववृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

2 **श्री अजय ए एस** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में सुसंगत **डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों** के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में **श्री अजय ए एस** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित

जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

मनीष
(मनीष कुमार)
आयुक्त

सेवा में,

श्री अजय ए एस,
ऐश्वर्या नीन्डकरा, कोल्लम,
केरल, पिन - 691582

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/34/2023-ESTT.

स्थापना आदेश सं.: 162 / 2023

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/निरीक्षक/86638)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2022' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित |

दिनांक 26.09.2023 को आयोजित रोज़गार मेले के बाद सूचित किए गए इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 22.09.2023 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अनारक्षित** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/07/2022 -Ad.III.B दिनांक 08.08.2023 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **सुश्री ऐश्वर्या के डेविस** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900-रु.1,42,400) में दिनांक **05.10.2023 (पूर्वाह्न)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्ववृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

2 **सुश्री ऐश्वर्या के डेविस** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगी । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में सुसंगत **डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों** के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में **सुश्री ऐश्वर्या के डेविस** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगी या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगी तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

मनीष

(मनीष कुमार)
आयुक्त

सेवा में,

सुश्री ऐश्वर्या के डेविस,
कण्णमपुया हाउस, वेल्लिलम रोड, माम्ब्रा डाक, पश्चिम कोरट्टी,
त्रिश्शूर, केरल - 680308

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/4/2023-ESTT दिनांक : 10.2023

आदेश सं.:161/2023

विषय : -केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के निरीक्षक के कैडर में स्थानांतरण एवं तैनातियां -संबन्धित।

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के संवर्ग में निम्नलिखित स्थानांतरण और तैनातियों का आदेश तत्काल प्रभाव से दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री /श्रीमती) एवं पदनाम	जन्म तिथि	...से	... को
1.	सुमीत कुमार वार्ष्णेय, निरीक्षक	01.11.1987	सत्यापन कक्ष, मु.,कोच्चि	सीसीओ में अतिरिक्त प्रभार सहित सत्यापन कक्ष
2.	राजीव के, निरीक्षक	08.04.1974	एर्णाकुलम रेंज -1	सीसीओ
3.	खुर्षीद आलम खान	16.08.1991	सिस्टम्स,मु.,कोच्चि	सीसीओ

2. पर्यवेक्षक अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिकारी द्वारा उचित तौर पर कार्यमुक्त /कार्य सौंपने से सम्बंधित नोट आपस में आदान प्रदान करने के बाद ही उनको कार्यमुक्त किया जा रहा है ताकि निर्विघ्न परिवर्तन सुनिश्चित हो सके | अधिकारी को अपने नए स्थान पर दिनांक **27.10.2023** तक कार्यभार ग्रहण कर लेना चाहिए | निर्धारित समय के भीतर कार्यमुक्त नहीं होने पर पर्यवेक्षक अधिकारी ज़िम्मेदार होंगे |

3. यह मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

4. दिनांक **30.10.2023** तक अनुपालन रिपोर्ट करें |

मनीष

[मनीष कुमार]
आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति(संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रति

1. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
2. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ),अधीक्षक(गोपनीय/सतर्कता)कोच्चि
3. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
4. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु |

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/39/2023-Estt दिनांक : 12.10.2023

आदेश सं.:160/2023

विषय : कार्यकारी सहायक /कर सहायक के ग्रेडों में स्थानांतरण एवं तैनातियां - केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय - संबन्धित।

कार्यकारी सहायक /कर सहायक के ग्रेडों में निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनातियों का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम व पदनाम (सर्वश्री/श्रीमती/कु.)	जन्म तिथि	स्थानांतरित	
			...से	... को
1.	अल्गा विन्नी जेम्स, ईए	17.05.1993	स्थापना अनुभाग, मु. कोच्चि को स्था.आदेश के तहत	लेखा (व्यय) अनुभाग, मु.कोच्चि
2.	बिजली बाबु, ईए	1 .10.1971	लेखा अनुभाग, मु.कोच्चि	एर्णाकुलम मंडल
3.	वैष्णवी ई के., टीए	09.04.1999	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय को स्था.आदेश के तहत	स्थापना अनुभाग, मु. कोच्चि
4.	करुण विजय एम., एलडीसी	03.08.1993	मुख्यालय अनुभाग,मु.,कोच्चि तथा सीआरयू कार्य हेतु श्री हरिकृष्णन ए आर का लिंक अधिकारी	सवोत्तम एवं मुख्यालय अनुभाग,मु.,कोच्चि तथा सीआरयू कार्य हेतु श्री हरिकृष्णन ए आर का लिंक अधिकारी

2 .उपर्युक्त आदेश का अनुपालन दिनांक 20.10.2023 तक किया जाना चाहिए तथा अनुपालन रिपोर्ट इस कार्यालय में दिनांक 27.10.2023 तक पहुंच जाना चाहिए |

8. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

[सी टी बिंदु]
उप आयुक्त[का व सत]

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियां(पर्यवेक्षी अधिकारियों के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि /कोयिक्कोड

प्रति

1. उप आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,एर्णाकुलम मंडल
2. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी/,प्रशासनिक अधिकारी (डीडीओ),केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि
3. अधीक्षक (सिस्टम्स)/(प्रशासन)/(सतर्कता), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि
4. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/34/2020-ESTT **दिनांक:12.10.2023**

आदेश सं.:159/2023

विषय : -प्रशासनिक अधिकारी के ग्रेड में स्थानांतरण एवं तैनाती - केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय - संबन्धित।

केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के प्रशासनिक अधिकारी के ग्रेड में निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनाती का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नामव पदनाम (श्रीमती)	जन्मतिथि	...से	... को
1	सिन्धुमोल के के	29.05.1970	एर्णाकुलम मंडल के अतिरिक्त प्रभार के साथ काक्कनाड मंडल	काक्कनाड मंडल

2. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

[रानी सी आर]
अपर आयुक्त[का व सत]

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति (संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारियों के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि

प्रति

1. केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,एर्णाकुलम मंडल/काक्कनाड मंडल के प्रभारी उप /सहायक आयुक्त
2. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी/केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम/कोच्चि /कोयिक्कोड/लेखा परीक्षा/सीमा शुल्क (निवारक)आयुक्तालय

3. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम/कोच्चि /कोयिक्कोड/लेखा परीक्षा/सीमा शुल्क (निवारक)आयुक्तालय
4. अधीक्षक(सतर्कता) केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम/कोच्चि /कोयिक्कोड/लेखा परीक्षा/सीमा शुल्क (निवारक)आयुक्तालय
5. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइटमेंअपलोडकरनेहेतु।
6. हिंदी कक्ष -हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/23/2022-ESTT **दिनांक:17.10.2023**

आदेश सं.:158/2023

विषय : -हेड हवलदार एवं हवालदार के ग्रेड में स्थानांतरण एवं तैनातियां -केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय - संबन्धित।

केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के हेड हवलदार एवं हवालदार के ग्रेड में निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनातियों का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नामव पदनाम (सुश्री/ सर्वश्री/श्रीमती)	जन्मतिथि	...से	... को
1	पवित्रन ए के., हवलदार	01.01.1996	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि को स्था.आदेश के तहत	मु.कोच्चि
2	कुमारी पी सी., हवलदार	16.08.1966	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि को स्था.आदेश के तहत	पेरुम्बावूर मंडल
3	मोल्ली वी के., हवलदार	20.05.1967	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि को स्था.आदेश के तहत	तोडुपुया रेंज
4	कुंजुमोन के., हेड हवलदार	08.03.1970	मुवाट्टुपुया रेंज	आलुवा मंडल
5	राजन ए एम हेड हवलदार	14.05.1964	आलुवा मंडल को स्था.आदेश के तहत	मु.कोच्चि में ही रखा गया
6	पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा, हवलदार	27.02.1995	पेरुम्बावूर मंडल को स्था.आदेश के तहत	मु.कोच्चि

7	अजय अलेक्स, हवलदार	02.11.1998	मु.कोच्चि	काक्कनाड मंडल
8	अरुण कुमार एम., हेड हवलदार	17.04.1965	एर्णाकुलम मंडल	एर्णाकुलम रेंज 1, 2 व 3
9	जोषुआ सुनील उम्मेन, हवलदार	09.09.2000	एर्णाकुलम रेंज 3 व 4	एर्णाकुलम मंडल
10	एबिन साबु, हवलदार	16.11.1998	काक्कनाड रेंज 1 से 5	काक्कनाड मंडल
11	सौरव टी पी, हवलदार	28.03.1998	एर्णाकुलम रेंज 1 व 2	एर्णाकुलम मंडल
12	एन ए क्रिस्टोफर हेड हवलदार	08.03.1965	एर्णाकुलम रेंज 5 व 6	एर्णाकुलम रेंज 4,5 व 6
13	थॉमस जैक्सन एम जे., हेड हवलदार	23.04.1973	काक्कनाड मंडल	काक्कनाड रेंज 1 से 5

2. उपर्युक्त अधिकारियों को कार्यमुक्त कर लेना चाहिए तथा वे नए तैनात स्थान पर दिनांक 20.10.2023 तक कार्यभर ग्रहण कर लेना चाहिए |

3. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

4. अनुपालन दिनांक 27.10.2023 को रिपोर्ट करें |

[सी टी बिंदु]
उप आयुक्त[का व सत]

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियां (संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारियों के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि

प्रति

1. केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि आयुक्तालय के मंडल कार्यालयों के प्रभारी सभी उप /सहायक आयुक्त
2. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी/केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम/कोच्चि /कोयिक्कोड/लेखा परीक्षा/सीमा शुल्क (निवारक)आयुक्तालय
3. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम/कोच्चि /कोयिक्कोड/लेखा परीक्षा/सीमा शुल्क (निवारक)आयुक्तालय
4. अधीक्षक(सतर्कता) केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम/कोच्चि /कोयिक्कोड/लेखा परीक्षा/सीमा शुल्क (निवारक)आयुक्तालय
5. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइटमेंअपलोडकरनेहेतु।
6. हिंदी कक्ष -हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/28/2023-ESTT दिनांक : 10.2023

आदेश सं.:157/2023

विषय : -केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के निरीक्षक के कैडर में स्थानांतरण एवं तैनातियां -संबन्धित।

अंतर आयुक्तालय स्थानांतरण आदेश संख्या 156/2023 दिनांक 09.10.2023 जारी करने के परिणामस्वरूप, केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के निरीक्षक के संवर्ग में निम्नलिखित स्थानांतरण और तैनातियों का आदेश तत्काल प्रभाव से दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री /श्रीमती)	जन्म तिथि	...से	... को
1.	अलोक एम एंटणी	02.02.1997	कोच्चि आयुक्तालय को स्था.आदेश के तहत	काक्कनाड रेंज
2.	अज़हर बी षिबिन	28.02.1999	कोच्चि आयुक्तालय को स्था.आदेश के तहत	एर्णाकुलम मंडल
3.	ऐश्वर्या के डेविस	26.04.1997	कोच्चि आयुक्तालय को स्था.आदेश के तहत	समीक्षा अनुभाग,मु.कोच्चि
4.	अनिरुद्ध सिंह	09.02.1996	बकाया /प्रशिक्षण अनुभाग,मु.कोच्चि	बकाया / सूचना अधिकार /प्रशिक्षण अनुभाग,मु.कोच्चि
5.	किरण एस	05.02.1993	तकनीकी /सूचना अधिकार अनुभाग,मु.कोच्चि	तकनीकी अनुभाग,मु.कोच्चि

2. पर्यवेक्षक अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिकारी द्वारा उचित तौर पर कार्यमुक्त /कार्य सौंपने से सम्बंधित नोट आपस में आदान प्रदान करने के बाद ही उनको कार्यमुक्त किया जा रहा है ताकि निर्विघ्न परिवर्तन सुनिश्चित हो सके | अधिकारी को अपने नए स्थान पर दिनांक **12.10.2023** तक कार्यभार ग्रहण कर लेना चाहिए | निर्धारित समय के भीतर कार्यमुक्त नहीं होने पर पर्यवेक्षक अधिकारी ज़िम्मेदार होंगे |

3. तैनाती के नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पहले अधिकारी के कोई अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा |

4. दिनांक **13.10.2023** तक अनुपालन रिपोर्ट करें |

[मनीष कुमार]
आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति(संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रति

1. केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि के सभी मंडल कार्यालयों के प्रभारी उप/ सहायक आयुक्त
2. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
3. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ),अधीक्षक(गोपनीय/सतर्कता)कोच्चि
4. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइटमेंअपलोडकरनेहेतु।
5. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु |

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/28/2023-ESTT दिनांक : .10.2023

आदेश सं.:156/2023

विषय : -केंद्रीय करएवंकेंद्रीय उत्पादशुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के निरीक्षक के कैडर में स्थानांतरण एवं तैनातियां -संबन्धित।

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के निरीक्षक संवर्ग में निम्नलिखित स्थानांतरण और तैनातियों का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है ।

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री /श्रीमती)	जन्म तिथि	...से	... को
1.	अभिषेक मीना	28.10.1996	नई भर्ती (सीजीएलई 2021)	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
2.	अलोक एम एंटणी	02.02.1997	नई भर्ती (सीजीएलई 2022)	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
3.	मरवा बशीर	25.02.1998	नई भर्ती (सीजीएलई 2022)	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
4.	अषर बी षिबिन	28.02.1999	नई भर्ती (सीजीएलई 2022)	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
5.	ऐश्वर्या के डेविस	26.04.1997	नई भर्ती (सीजीएलई 2022)	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
6.	अनंत कृष्णन एच	14.12.1996	नई भर्ती (सीजीएलई 2022)	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
7.	एस गायत्री	05.12.1998	नई भर्ती (सीजीएलई 2022)	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
8.	अश्विन अशोक	20,02.1999	नई भर्ती (सीजीएलई 2022)	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
9.	अश्विन जी	0510.1999	नई भर्ती (सीजीएलई 2022)	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम
10.	राणा भानु प्रताप सिंह	17.02.2001	नई भर्ती (सीजीएलई 2022)	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन

11.	शुभम कुमार झा	22.01.1996	नई भर्ती (सीजीएलई 2022)	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड
12.	गोकुल सुरेश एस	08.04.1998	नई भर्ती (सीजीएलई 2022)	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
13.	अजय ए एस	29.12.1998	नई भर्ती (सीजीएलई 2022)	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
14.	सौरव कुमार	14.11.2001	नई भर्ती (सीजीएलई 2022)	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम
15.	धर्मेन्द्र राज़	02.01.2001	नई भर्ती (सीजीएलई 2022)	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड
16.	अजय धकर	20.07.2000	नई भर्ती (सीजीएलई 2022)	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
17.	अमीन अहम्मेद सुहैल के	22.05.1995	नई भर्ती (सीजीएलई 2022)	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
18.	अर्जुन एम	15.05.1994	नई भर्ती (सीजीएलई 2022)	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम
19.	आकाश अरविंद पी	29.01.1994	नई भर्ती (सीजीएलई 2022)	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड
20.	अजय राज कुमार	03.12.1996	नई भर्ती (सीजीएलई 2022)	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
21.	रजनीश राय	05.01.1996	नई भर्ती (सीजीएलई 2022)	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
22.	राहुल	05.06.1998	नई भर्ती (सीजीएलई 2022)	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचि
23.	कसुकुर्ती निखिल चक्रवर्ती	28.06.1995	नई भर्ती (सीजीएलई 2022)	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचि

2. अधिकारी को अपने नए स्थान पर दिनांक 11.10.2023 तक कार्यभार ग्रहण कर लेना चाहिए |

3. तैनाती के नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पहले अधिकारी के कोई अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा |

4. यह मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

4. दिनांक **13.10.2023** तक अनुपालन रिपोर्ट करें |

मनीष

[मनीष कुमार]
आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियां (संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रति

1. आयुक्त, केंद्रीयकरएवंकेंद्रीयउत्पादशुल्क,तिरुवनंतपुरम
2. आयुक्त, केंद्रीयकरएवंकेंद्रीयउत्पादशुल्क,कोयिककोड़
3. सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त, कोच्चि
4. आयुक्त, केंद्रीयकरएवंकेंद्रीयउत्पादशुल्क(लेखा परीक्षा),कोच्चि
5. आयुक्त, केंद्रीयकरएवंकेंद्रीयउत्पादशुल्क(अपील),कोच्चि
6. अपर महा निदेशक, डीजीजीआई/डीआरआई आंचलिक इकाई,तिरुवनंतपुरम/कोयिककोड़/कोच्चि
7. केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि के सभी मंडल कार्यालयों के प्रभारी उप/सहायक आयुक्त
8. उप/सहायकआयुक्त, तिरुवनंतपुरम/कोयिककोड़/सीमा शुल्क (निवारक)/लेखा परीक्षा,कोच्चि
9. मुख्यलेखाअधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम/ कोयिककोड़/ सीमा शुल्क (निवारक)/लेखा परीक्षा,कोच्चि
10. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), अधीक्षक (गोपनीय/सतर्कता) कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम/ कोयिककोड़/ सीमा शुल्क (निवारक)/लेखा परीक्षा,कोच्चि
11. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
12. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु |

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/39/2023-Estt दिनांक :09.10.2023

आदेश सं.:155/2023

विषय : कार्यकारी सहायक /कर सहायक/ अवर श्रेणी लिपिक के ग्रेड में स्थानांतरण एवं तैनाती केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र -संबन्धित।

कार्यकारी सहायक /कर सहायक/अवर श्रेणी लिपिक के ग्रेडों में निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनातियों का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम व पदनाम (सर्वश्री/श्रीमती/कु.)	जन्म तिथि	स्थानांतरित	
			...से	... को
1.	सेतु आर., ईए	21.10.1985	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय	सीसीओ-सीसीए
2.	श्रीजित के वी., एलडीसी	14.04.1990	सीसीओ-सीसीए को स्था.आदेश के तहत	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय (काक्कनाड मंडल) में ही रखा गया
3.	वैष्णवी ई के., टीए	09.04.1999	कार्यग्रहण करने पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय
4.	नितिन ओ., टीए	17.02.1995	कार्यग्रहण करने पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोयिक्कोड आयुक्तालय

2 .उपर्युक्त आदेश का अनुपालन दिनांक 13.10.2023 तक किया जाना चाहिए तथा अनुपालन रिपोर्ट इस कार्यालय में दिनांक 20.10.2023 तक पहुंच जाना चाहिए |

3. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

[सी टी बिंदु]
उप आयुक्त[का व सत]

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/23/2022-ESTT दिनांक: 09.10.2023

आदेश सं.: 154 / 2023

विषय : - हवलदार के ग्रेड में स्थानांतरण एवं तैनातियां - केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र - संबन्धित।

केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के हवलदार के ग्रेड में निम्नलिखित तैनातियों का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है ।

क्रम सं.	नाम व पदनाम (सुश्री/ सर्वश्री/श्रीमती)	जन्मतिथि	...से	... को
1	पवित्रन ए के	01.01.1966	कार्यग्रहण करने पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि
2	राधामणी टी आर	07.05.1972	कार्यग्रहण करने पर	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन
3	गीता एन एम	26.05.1968	कार्यग्रहण करने पर	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन
4	बीवी कुञ्ज के एच	18.05.1971	कार्यग्रहण करने पर	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन
5	लता के के	28.03.1968	कार्यग्रहण करने पर	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन
6	प्रशांत पी आर	25.05.1972	कार्यग्रहण करने पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम
7	थादेवोउस के वी	01.02.1968	कार्यग्रहण करने पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम
8	सेल्वराज बी एम	30.05.1968	कार्यग्रहण करने पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,

				तिरुवनंतपुरम
9	पार्वती ए	10.07.1966	कार्यग्रहण करने पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोयिक्कोड
10	कुमारी पी सी	16.08.1966	कार्यग्रहण करने पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि
11	मोल्ली वी के	20.05.1967	कार्यग्रहण करने पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि
12	बैजु एम पी	30.05.1971	कार्यग्रहण करने पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम
13	सयन के एम	21.04.1966	कार्यग्रहण करने पर	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन
14	अनिक चौधरी	25.06.1996	कार्यग्रहण करने पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम

2. यह मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

[सी टी बिंदु]
उप आयुक्त[का व सत]

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियां (संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारियों के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोयिक्कोड
3. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क तिरुवनंतपुरम
4. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,लेखा परीक्षा, कोच्चि
5. सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त, कोच्चि
6. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,अपील, कोच्चि
7. अपर महा निदेशक, डीजीजीआई/ डीआरआई आंचलिक इकाई, तिरुवनंतपुरम/ कोयिक्कोड/ कोच्चि

प्रति

1. केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के मंडल कार्यालयों के प्रभारी सभी उप /सहायक आयुक्त
2. केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम/ कोयिक्कोड/ सीमा शुल्क (निवारक)/ लेखा परीक्षा आयुक्तालयों के उप /सहायक आयुक्त
3. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी/ केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम/कोच्चि / कोयिक्कोड/ लेखा परीक्षा/ सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय

4. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम/कोच्चि / कोयिक्कोड/ लेखा परीक्षा/ सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय
5. अधीक्षक(सतर्कता) केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम/कोच्चि / कोयिक्कोड/ लेखा परीक्षा/ सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय
6. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
7. हिंदी कक्ष -हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/23/2023-Estt दिनांक : .10.2023

स्थापना आदेश सं.: 153 / 2023

(डीजीएचआरडी नियुक्ति आदेश सं. तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स /कोच्चि /हवलदार/85165)

विषय :- एसएससी मल्टी-टास्किंग (गैर-तकनीकी) स्टाफ और हवलदार (सीबीआईसी और सीबीएन) परीक्षा, 2021 के माध्यम से हवलदार के ग्रेड में नियुक्ति - संबन्धित

इस केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव दिनांक 18.07.2023 की स्वीकृति पर, मंत्रालय द्वारा पत्र फा.सं. ए.12034/ एसएससी/ 06/2020-एडी.III.बी दिनांक 09.05.2023 और डीजीएचआरडी के पत्र एफ.सं.8/बी/37/एचआरडी (एचआरएम)/2019/पीटी.1 दिनांक 11.05.2023 के माध्यम से हवलदार के रूप में नियुक्ति के लिए आवंटित एक उम्मीदवार **श्री अनिक चौधरी** को **अनारक्षित श्रेणी** में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 में चरित्र और पूर्ववृत्तों के सत्यापन के अधीन, अस्थायी क्षमता पर (रु.18,000- रु.56,900) में और भारत सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते में केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र में हवलदार के रूप में दिनांक **05.10.2023(पूर्वाह्न)** से नियुक्त किया जाता है।

2. **श्री अनिक चौधरी** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में उपर्युक्त उम्मीदवार स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता(आईपीसी) के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

[रानी सी.आर.]
अपर आयुक्त[का व सत]

सेवा में,

श्री अनिक चौधरी ,
सुपुत्र शमिन्द्र नाथ चौधरी,
180 3ए, गोस्वामी पारा रोड, बल्ली,
हावड़ा जिला, पश्चिम बंगाल - 711201

प्रतिलिपि समर्पित

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, कोच्चि

प्रतिलिपि :

1. मुख्य लेखा अधिकारी /वेतन एवं लेखा अधिकारी /प्रशासनिक अधिकारी) डी.डी.ओ ,(.केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क ,कोच्चि
2. अधीक्षक(सतर्कता/मु.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
3. अधीक्षक(सिस्टम्स) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि, वेबसाइट में उपलोड करने हेतु
4. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,मु.,कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

II/(13)/54/2020-ESTT **दिनांक: .11.2023**

स्थापना परिपत्र सं.01 /2023

निम्नलिखित पत्र की और ध्यान आमंत्रित किया जाता है |

क्रम सं.	फाइल सं. एवं दिनांक	विषय
1	GCCO/II/(3)/50/2020-ADMN.दिनांक 31.10.2023	एसईजेड में सीमा शुल्क अधीक्षक के पद को भरना - संबंधित

उपरोक्त पत्र की प्रति सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए इसके साथ संलग्न है।

सी. टी. बिंदु

[सी टी बिंदु]

उप आयुक्त[का.व सत.]

संलग्न : यथोपरी

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/I(18)/1/2020-ADMN दिनांक: 14.11.2023

विषय : वर्ष 2024 के दौरान केरल में केंद्र सरकार के अधिकारियों द्वारा मनाई जाने वाली बंद छुट्टियों और प्रतिबंधित छुट्टियों की सूची - सम्बंधित ।

कृपया सचिव एवं खजांची, **CGEWCC,** तिरुवनंतपुरम से प्राप्त केरल में केंद्र सरकार के कार्यालयों में मनाई जाने वाली बंद छुट्टियों और प्रतिबंधित छुट्टियों की सूची प्रेषित करने वाले पत्र सं. Welfare/A&E/ CGEWCC / 2023 दिनांक 10.11.2023 संलग्न देखें |

संलग्न : यथोपरि

[बिंदु सी टी]
उप आयुक्त[का.व सत.]

सेवा में :

1. प्रशासनिक अधिकारी, एर्णाकुलम मंडल /काक्क्नाड मंडल /आलुवा मंडल /त्रिश्शूर मंडल /चालक्कुडी मंडल /पेरुम्बावूर मंडल /इडुक्की मंडल
2. सभी अनुभाग प्रमुख, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मु.,कोच्चि/ ई डी पी कक्ष

/1642025/2023

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

File No.: GEXCOM/II/(3)/36/2020-ESTT

ORDER No. 239/2023

Sub: Promotion to the cadre of Superintendent, Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone - reg.

The following Inspector of Central Tax & Central Excise are hereby promoted on ad-hoc and in-situ basis to the cadre of Superintendent of Central Tax & Central Excise, Group'B' post, in Level-8 of the Pay Matrix (corresponding to pay band of Rs. 9,300-34,800 (PB-2) GP – Rs. 4,800/- in pre-revised scale) plus such allowances as may be applicable with effect from the date of assuming charge of the higher post and until further orders.

Sl No	Name(S/Shri/Smt)	Date of Birth
1	BHUPAL KUMAR	12.02.1987

2. The officer mentioned above should join the higher post on or after **01.01.2024** and not later than **10.01.2024.**

3. The promotion of the Inspector to the grade of Superintendent is subject to the final outcome of SLP No. 20810/2012 filed by the Department against High Court Order dated 28.03.2012 in OP (CAT) No. 4305/2011, OP (CAT) No. 999/2012, OP (CAT) No.998/2012, OP (CAT) No. 968/2012, O.A. No. 180/00806/2014 in CAT (EB), OA Nos. 523/2023, 527/2023, 543/2023 of CAT (Ernakulam Bench) and the judgment in Civil Appeal arising out of SLP(C) No: 16161/2018 in Hariharan vs Harshavardhan case now pending with the Larger Bench of the Hon'ble Supreme Court and any other pending cases in concerned Courts/Tribunals.

done 02/04/2024

4. The compliance report about joining/non-joining of the officer should be sent to this office by **15.01.2024**.

5. Hindi version follows.

/1642025/2023

Signed by
Venkatesh T G
Date: 29-12-2023 16:21:55

[T G VENKATESH]
COMMISSIONER

To:

The Individual (Through the Supervisory Officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copies to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kozhikode.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Kochi.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Audit), Kochi.**
5. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Appeals), Kochi.**
6. **The Additional Director General, DGGI/ DRI Regional Unit, Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Kochi.**
7. **All Dy./Asstt. Commissioner in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi.**
8. **The Deputy/Asst. Commissioner in Thiruvananthapuram/ Kozhikode/Custom Preventive/ Audit, Kochi.**
9. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Hqrs. Kochi/ Thiruvananthapuram/ Kozhikode/Custom Preventive/ Audit, Kochi.**
10. **The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Kochi/Kozhikode/ Thiruvananthapuram /CCP / Audit.**
11. **The Superintendent (Systems)) – for uploading in website.**
12. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

/1642383/2023

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/31/2020-Estt. **Date: 29.12.2023**

ORDER No. 238/2023

Sub: Promotion to the grade of Assistant Sub-Inspector (Weapons) – Reg.

The following Head Havaldar is hereby promoted to the grade of Assistant Sub-Inspector (Weapons), Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial, in Level - 3 of the pay matrix (Rs.21,700-69,100) plus allowance as may be sanctioned by the Government of India from time to time, with effect from the date of joining the promoted post.

Sl. No.	Name (Smt.)	Date of Birth	Present Commissionerate
1.	N Parvathy	15-06-1964	Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin

2. The Officer should join the promoted post on or before **12.01.2024**, failing which this order will be treated as cancelled. Refusal, if any, should be submitted in writing immediately. The Officer will have to exercise option for pay fixation in terms of Department of Personnel & Training O.M. dated 26.09.1981, 05.07.1999 and 27.07.2017 within one month from the date of joining the promoted post. The option once exercised shall be final.

3. The compliance report by the Controlling Officer/officer concerned regarding joining/non-joining of the officer should be sent to this office by **17.01.2024**.

4. Hindi version follows.

Signed by
Rani C R
Date: 29-12-2023 17:15:01

(Rani C.R.)
Additional Commissioner (P&V)

09/01/2024

To

The Individual (Through the supervisory officer concerned).

'1642383/2023

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi/ Kozhikode/ Thiruvananthapuram.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit Kochi.**
5. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals Kochi**

Copy to:

1. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.**
2. **The Administrative Officer (DDO), Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin.**
3. **The Superintendent (Vig.), Central Tax & Central Excise, Kochi/ Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin.**
4. **The Superintendent (System), Central Tax & Central Excise, Kochi – for uploading in website.**
5. **Official Language Section – for Hindi Version.**
6. **The Secretary, Kerala Central Excise Group 'C' Officers Association, Kochi.**

/164177/2023

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/28/2020–Estt. **Date: 29.12.2023**

ORDER NO. 237/2023

Sub: Promotion to the grade of Tax Assistant – Reg.

The following Lower Division Clerks are hereby promoted to the grade of Tax Assistant in Level – 4 of the pay matrix (Rs. 25,500-81,100) plus such allowances as may be sanctioned by Government of India from time to time with effect from the date of joining the promoted post.

Sl. No.	Name (S/Shri.)	Date of Birth	Present place of posting
1.	Mohammed Basheer C.	19.01.1972	Kozhikode Commissionerate
2.	Baiju K.S.	27.05.1974	Kochi Commissionerate

2. The officers should join the promoted post on or before **12.01.2024** failing which this order will be treated as cancelled. Refusal, if any, should be submitted in writing immediately. They will have to exercise option for pay fixation in terms of DoPT OMs dated 26.09.1981, 05.07.1999 and 27.07.2017 within one month from the date of joining the promoted post. The option once exercised shall be final.

3. The compliance report by the Controlling Officers/Officers concerned regarding joining/non-joining of the officers should be sent to this office by **17.01.2024**.

09/04/2024

4. Hindi version follows.

Signed by
Rani C R
Date: 29-12-2023 15:49:36

[Rani C.R.]
Additional Commissioner [P&V]

To

The individuals (Through the supervisory officers concerned).

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi/Kozhikode.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**

Copy to:

1. **The Superintendent (Vig/Systems/Headquarters), Central Tax and Central Excise, Hqrs Kochi.**
2. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise, Hqrs Kochi.**
3. **The Senior Translation Officer, Central Tax and Central Excise, Hqrs Kochi.**

/1640[illegible]/2023

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/46/2023-Estt **Date: 29.12.2023**

ORDER NO. 236/2023
(DGHRD Appointment Order No. Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/HAVALDAR/89369)

Sub: Appointment to the grade of Havaldar, through SSC Multi-Tasking (Non-Technical) Staff, and Havaldar (CBIC & CBN) Examination, 2022 – Reg.

On acceptance of this Central Tax and Central Excise Commissionerate's Offer of appointment of even no. dated 28.11.2023, **Shri. Dane Dev Ambadan,** a candidate allocated by the Ministry for appointment to the post of Havaldar through Multi Tasking (Non-Technical) Staff, and Havaldar (CBIC & CBN) Examination 2022 under **UR-ESM category**, is appointed as Havaldar in Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone on temporary capacity, subject to verification of character and antecedents, in Level – 1 in the pay matrix (Rs. 18,000-56,900) plus such allowances as may be sanctioned by the Government of India with effect from **29.12.2023 (F.N).**

2. **Shri. Dane Dev Ambadan** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The Appointing Authority may, if he thinks fit, extend the period of probation.

3. If on the expiration of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, the appointing authority is of the opinion that the above candidate is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiration of such

done 09/04/2024

period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the caste/tribe certificate being verified through the proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC/ST/OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provision of the I.P.C. or any other Act, for the time being in force, for production of false certificate (applicable in respect of SC/ST/OBC candidates).

5. Hindi version follows.

Signed by
Rani C R
Date: 29-12-2023 11:40:26

[Rani C.R.]
Additional Commissioner [P&V]

To

Shri. Dane Dev Ambadan,
S/o Shri. Vareeth Devassy
Ambadan House, Anappara PO,
Devagiri Road, Thuravur,
Ernakulam, Kerala-683581.

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**

Copy to:

1. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The Superintendent (Vigilance/Hqrs.), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi - for uploading on website.**
4. **The Senior Translation Officer, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**

/1638[illegible]/2023

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/40/2023-Estt **Date: 28.12.2023**

ORDER NO. 233/2023
(DGHRD Appointment Order No. Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/STENOGRAPHER-I/89293)

Sub: Appointment to the grade of Stenographer Grade-I through SSC – Stenographer Examination, 2022 – Reg

On acceptance of this Central Tax and Central Excise Commissionerate's Offer of appointment of even no. dated 29.11.2023, **Shri. Amit Kumar,** a candidate allocated by the Ministry for appointment as Stenographer Grade-I under **OBC category** vide letter F.No.A.12034/SSC/6/2022-Ad.III(B) dated 12.09.2023, is appointed as Stenographer Grade-I in Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone on temporary capacity, subject to verification of character and antecedents, in Level – 6 in the pay matrix (Rs. 35,400-1,12,400) plus such allowances as may be sanctioned by the Government of India with effect from **28.12.2023 (F.N).**

2. **Shri. Amit Kumar** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The Appointing Authority may, if he thinks fit, extend the period of probation.

3. If on the expiration of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, the appointing authority is of the opinion that the above candidate is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiration of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

done 09/01/2024

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the caste/tribe certificate being verified through the proper

channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC/ST/OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provision of the I.P.C. or any other Act, for the time being in force, for production of false certificate (applicable in respect of SC/ST/OBC candidates).

5. Hindi version follows.

Signed by
Venkatesh T G
Date: 28-12-2023 16:13:38

[T.G. Venkatesh]
Commissioner

To

Shri. Amit Kumar,
S/o Sharvan Prasad,
Vill-Affardih, PO - Mahapur,
PS- Kawakol, Nawada District,
Bihar – 805 106.

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**

Copy to:

1. **The Superintendent (Vigilance), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi - for uploading on website.**
4. **The Senior Translation Officer, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**

/16391[illegible]/2023

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/39/2022-ESTT Date: 28.12.2023

ORDER NO. 232/2023

Sub: Transfer & Posting in the grade of Tax Assistant - Central Tax and Central Excise, Kochi Commissionerate - Reg.

The following transfer & posting in the grade of Tax Assistant of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate, is hereby ordered with immediate effect:

Sl. No.	Name (Shri.)	Date of Birth	From	To
1	Abhinav Kumar	07.03.1995	UoT to Central Tax and Central Excise, Kochi Commissionerate	Kakkanad Division

2. The above officers must be relieved and should join their new place of posting latest by **12.01.2024**.
3. Report compliance on 17.01.2024.
4. This is issued with the approval of the competent authority.
5. Hindi Version follows.

dom 09/01/2024

Signed by
Bindu C T
Date: 28-12-2023 17:31:03

[C.T. Bindu]
Deputy Commissioner [P&V]

To:

The Individual (Through the Supervisory Officers concerned).

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi.**

/1639146/2023

Copy to:

1. **All Deputy / Assistant Commissioners in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate.**
2. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer/ Administrative Officer (DDO), Central Tax & Central Excise, Hqrs Kochi.**
3. **The Administrative Officer (DDO), Central Tax & Central Excise, in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate.**
4. **The Superintendent (Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
5. **The Superintendent (Systems) – for uploading in website.**
6. **Official Language Section – for Hindi Version.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

File No. II/(3)/APPT/25/2020-ESTT.

ORDER No. 231/2023

Sub: Promotion to the cadre of Superintendent of Central Excise & Customs - reg.

Smt. Geetika Chib, Inspector of Central Tax & Central Excise is hereby promoted to the cadre of Superintendent of Central Tax & Central Excise, Group 'B' post, on ad-hoc & in-situ basis, in Level-8 of the Pay Matrix (corresponding to pay band of Rs. 9,300- 34,800 (PB-2) GP – Rs. 4,800/- in pre- revised scale) plus such allowances as may be applicable. The officer should join the higher post immediately. Her seniority in the cadre of Superintendent is assigned w.e.f 26.07.2023 and placed immediately below Shri. Badal Gaffoor A and above Shri. Aravind Kumar Kajla.

2 . The officer will have to exercise the option for pay fixation in terms of DoPT O.M dated 26.09.1981 and 05.07.1999 within one month from the date of issue of this order. Option once exercised shall be final. The officer who has already been granted Financial upgradation under Assured Career Progression Scheme/Modified Assured Career Progression Scheme is not entitled for pay fixation benefits now.

3. The promotion of the Inspector to the grade of Superintendent is subject to the final outcome of SLP No. 20810/2012 filed by the Department against High Court Order dated 28.03.2012 in OP (CAT) No. 4305/2011, OP (CAT) No. 999/2012, OP (CAT) No.998/2012, OP (CAT) No. 968/2012, O.A. No. 180/00806/2014 in CAT (EB), OA Nos. 523/2023, 527/2023, 543/2023 of CAT (Ernakulam Bench) and the judgment in Civil Appeal arising out of

done 08/04/2024

SLP(C) No: 16161/2018 in Hariharan vs Harshavardhan case now pending with the Larger Bench of the Hon'ble Supreme Court and any other pending cases in concerned Courts/ Tribunals.

4 . The compliance report about joining/non-joining of the officer should be sent to this office.

5. Hindi version follows.

Signed by
Venkatesh T G
Date: 29-12-2023 18:58:05

[T G VENKATESH]
COMMISSIONER

To:
The Individual (Through the Supervisory Officer concerned)

Copy submitted to:
1. The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.

Copy to:
1. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram.
2. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kozhikode.
3. The Commissioner of Customs (Preventive), Kochi.
4. The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Audit), Kochi.
5. The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Appeals), Kochi.
6. The Additional Director General, DGGI/ DRI Regional Unit, Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Kochi.
7. All Dy./Asstt. Commissioner in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi.
8. The Deputy/Asst. Commissioner in Thiruvananthapuram/ Kozhikode/Custom Preventive/ Audit, Kochi.
9. The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Hqrs. Kochi/ Thiruvananthapuram/ Kozhikode/Custom Preventive/ Audit, Kochi.
10. The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Kochi/Kozhikode/ Thiruvananthapuram /CCP / Audit.
11. The Superintendent (Systems)) – for uploading in website.
12. Hindi Cell – for Hindi Version.

/164069/2023

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/23/2022-ESTT Date: 29.12.2023

ORDER NO. 230/2023

Sub: Transfer & Postings in the grades of Havaldar & Head Havaldar - Central Tax and Central Excise, Kochi Commissionerate - Reg.

The following transfer & postings in the grades of Head Havaldar & Havaldar of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate, are hereby ordered with immediate effect:

Sl. No.	Name & Designation (S/Shri.)	Date of Birth	From	To
1	Selvam K., Head Havaldar	02.05.1967	UoT to Munnar Range	Ernakulam Division
2	Alex T.A., Head Havaldar	01.01.1968	UoT to Hqrs, Kochi	Amballur Range
3	Joshua Sunil Oommen, Havaldar	09.09.2000	Ernakulam Division	Hqrs, Kochi

2. The above officers must be relieved and should join their new place of posting latest by **12.01.2024**.

3. Report compliance on 17.01.2024.

4. This is issued with the approval of the competent authority.

5. Hindi Version follows.

Signed by
Bindu C T
Date: 29-12-2023 10:00:37

[C.T. Bindu]
Deputy Commissioner [P&V]

done 8/01/2024

To:

The Individuals (Through the Supervisory Officers concerned).

1640069/2023

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi.**

Copy to:

1. **All Deputy / Assistant Commissioners in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate.**
2. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer/ Administrative Officer (DDO), Central Tax & Central Excise, Hqrs Kochi.**
3. **The Administrative Officer (DDO), Central Tax & Central Excise, in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate.**
4. **The Superintendent (Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
5. **The Superintendent (Systems) – for uploading in website.**
6. **Official Language Section – for Hindi Version.**

/1631330/2023

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोचि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/34/2023-ESTT. **Date: .12.2023**

ESTABLISHMENT ORDER NO. 229/2023

(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/ 86626)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2022 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate's offer of appointment of even no. dated 22.09.2023, communicated after the Rozgar Mela held on 26.09.2023, **Shri. Nithin Mathew**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F. No. A.12034/SSC/07/2022-Ad.lll.B dated 08.08.2023 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **UR** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and caste certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level–7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **22.12.2023 (F.N).**

2. **Shri. Nithin Mathew** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant ***DoPT O.M.s*** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **Shri. Nithin Mathew** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

done 5/1/2024

Generated from eOffice by VYSHNAVI E K, TA(VEK)-Estt-CGST-COK, TAX ASSISTANT-ESTABLISHMENT, CGST-COMMISSIONERATE-KOCHI on 03/01/2024 12:1

/1631330/2023

4. Hindi version follows.

Signed by
Venkatesh T G
Date: 26-12-2023 12:55:43

[T G VENKATESH]
COMMISSIONER

To

SHRI. NITHIN MATHEW
33/946 B, KUNNUMPURATH. EZHUTHASSAN PARAMBA, MARIKKUNNU P O , CALICUT 12, KOZHIKODE, KERALA, PIN 673012

Copy Submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**
5. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.**
6. **The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.**
7. **The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
8. **The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
9. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

Generated from eOffice by VYSHNAVI E K, TA(VEK)-Estt-CGST-COK, TAX ASSISTANT-ESTABLISHMENT, CGST-COMMISSIONERATE-KOCHI on 03/01/2024 12:18

/1631336/2023

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/34/2023-ESTT. **Date: .12.2023**

ESTABLISHMENT ORDER NO. 228/2023

(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/ 86637)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2022 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate's offer of appointment of even no. dated 22.09.2023, communicated after the Rozgar Mela held on 26.09.2023, **Shri. Adharsh K**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F. No. A.12034/SSC/07/2022-Ad.lll.B dated 08.08.2023 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **UR** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and caste certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level–7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **07.12.2023 (F.N).**

2. **Shri. Adharsh K** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant ***DoPT O.M.***s in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **Shri. Adharsh K** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for

Generated from eOffice by VYSHNAVI E K, TA(VEK)-Estt-CGST-COK, TAX ASSISTANT-ESTABLISHMENT, CGST-COMMISSIONERATE-KOCHI on 03/01/2024 12:1.

'1631336/2023

permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. Hindi version follows.

Signed by
Venkatesh T G
Date: 26-12-2023 12:56:31

[T G VENKATESH]
COMMISSIONER

To

SHRI. ADHARSH K
ADARSH MAKKANANCHERRY THAZHAM,
MLA ROAD, KOVOOR, KOZHIKODE,
KERALA, PIN 673017

Copy Submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**
5. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.**
6. **The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.**
7. **The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
8. **The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
9. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

Generated from eOffice by VYSHNAVI E K, TA(VEK)-Estt-CGST-COK, TAX ASSISTANT-ESTABLISHMENT, CGST-COMMISSIONERATE-KOCHI on 03/01/2024 12:17

/1626781/2023

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/8/2020-Estt **Date: 21.12.2023**

ORDER NO. 227/2023

Sub: Posting in the grade of Stenographer Grade-II – Central Tax and Central Excise, Kochi Commissionerate - Reg.

The following posting in the grade of Stenographer Grade-II is hereby ordered with immediate effect:

Sl. No	Name (S/Smt.)	Date of birth	Transferred	
			From	To
1.	Aiswarya S. Nair	03.01.1998	UOT to Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate	ADC (P&V)'s Unit, Hqrs Kochi

2. This is issued with the approval of the competent authority.

3. Hindi version follows.

Signed by
Bindu C T
Date: 22-12-2023 11:32:53

[C.T. Bindu]
Deputy Commissioner [P&V]

To

The individual

Copy submitted to:

1. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**
2. **The Additional Commissioner (P&V), Central Tax and Central Excise, Hqrs Kochi.**

done 5/1/2024

/1626781/2023

Copy to:

1. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The Superintendent (Systems)/(Vigilance), Central Tax and Central Excise, Hqrs Kochi.**
3. **The Hindi Translation Officer, Central Tax and Central Excise, Hqrs Kochi.**

/1624203/2023

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/32/2023-Estt **Date: 21.12.2023**

ORDER NO. 226/2023
(DGHRD Appointment Order No. Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/TAX ASSISTANT/86631)

Sub: Appointment to the grade of Tax Assistant through SSC – Combined Graduate Level Examination, 2022 – Reg

On acceptance of this Central Tax and Central Excise Commissionerate's Offer of appointment of even no. dated 21.09.2023, **Shri. Tushar Shekhar,** a candidate allocated by the Ministry for appointment as Tax Assistant under **EWS category** vide letter F.No.A.12034/SSC/07/2022-Ad.III(B) dated 08.08.2023, is appointed as Tax Assistant in Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone on temporary capacity, subject to verification of character and antecedents, in Level – 4 in the pay matrix (Rs. 25,500-81,100) plus such allowances as may be sanctioned by the Government of India with effect from **21.12.2023 (F.N).**

2. **Shri. Tushar Shekhar** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The Appointing Authority may, if he thinks fit, extend the period of probation.

3. If on the expiration of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, the appointing authority is of the opinion that the above candidate is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiration of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

done 5/1/2024

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the caste/tribe certificate being verified through the proper channel and if the verification reveals that his claim to

belong to SC/ST/OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provision of the I.P.C. or any other Act, for the time being in force, for production of false certificate (applicable in respect of SC/ST/OBC candidates).

5. Hindi version follows.

Signed by
Rani C R
Date: 21-12-2023 14:08:50

[Rani C.R.]
Additional Commissioner [P&V]

To

Shri. Tushar Shekhar
S/o Chander Shekhar,
A-2/9, Sector 18,
Rohini, North West Delhi,
Delhi - 110089.

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**

Copy to:

1. **The Superintendent (Vigilance), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi - for uploading on website.**
4. **The Senior Translation Officer, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**

/1623766/2023

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/39/2022-Estt **Date: 21.12.2023**

ORDER NO. 225/2023

Sub: Postings in the grade of Tax Assistant – Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone - Reg.

The following postings in the grade of Tax Assistant are hereby ordered with immediate effect:

Sl. No	Name (S/Shri.)	Date of birth	Transferred	
			From	To
1.	Ashwani Kumar	15.01.1997	On joining	Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Commissionerate
2.	Abhinav Kumar	07.03.1995	On joining	Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate

2. This is issued with the approval of the competent authority.

3. Hindi version follows.

Signed by
Rani C R
Date: 21-12-2023 12:51:15

[Rani C.R.]
Additional Commissioner [P&V]

To

The individuals.

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**

done 05/04/2024

1623766/2023

2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi/ Thiruvananthapuram.**

Copy to:

1. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi/ Thiruvananthapuram.**
2. **The Superintendent (Systems)/Superintendent (Vigilance), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Senior Translation Officer, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**

/1623828/2023

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/8/2020-Estt **Date: 21.12.2023**

ORDER NO. 224/2023

Sub: Postings in the grade of Stenographer Grade-II – Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone - Reg.

The following postings in the grade of Stenographer Grade-II are hereby ordered with immediate effect:

Sl. No	Name (S/Shri.)	Date of birth	Posted	
			From	To
1.	Anandu R.S.	09.07.1998	On joining	Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Commissionerate
2.	Aiswarya S. Nair	03.01.1998	On joining	Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate
3.	Sidharth P. Siva	04.02.2001	On joining	CCO-CCA

2. This is issued with the approval of the competent authority.

3. Hindi version follows.

Signed by
Rani C R
Date: 21-12-2023 13:01:33

[Rani C.R.]
Additional Commissioner [P&V]

done
04/01/2024

To

The individuals.

1623828/2023

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi/Thiruvananthapuram.**

Copy to:

1. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi/Thiruvananthapuram.**
2. **The Superintendent (Systems)/(Vigilance), Central Tax and Central Excise, Hqrs Kochi.**
3. **The Hindi Translation Officer, Central Tax and Central Excise, Hqrs Kochi.**

/1622316/2023

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/28/2023-ESTT. **Date: .12.2023**

ORDER No. 223 /2023

Sub: Transfer & Posting in the cadre of Inspector, Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone - reg.

The following transfer & posting in the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise is hereby ordered with immediate effect.

Sl No	Name (S/Shri./Smt.)	DOB	From	To
1.	ADHARSH K	23.10.1996	New recruit (CGLE 2022)	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi

2. The officer is to join his new place of posting latest by **20.12.2023**.

3. No representation shall be entertained from the officer before his joining the new place of posting.

4. This is issued with the approval of the Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.

5. Report compliance by 22.12.2023.

Signed by Venkatesh T G
Date: 20-12-2023 17:16:43
Reason: Approved

[T G VENKATESH]
COMMISSIONER

done 04/01/2024

To:

The Individuals (Through the Supervisory Officer concerned)

Copy submitted to:

Generated from eOffice by VYSHNAVI E K, TA(VEK)-Estt-CGST-COK, TAX ASSISTANT-ESTABLISHMENT, CGST-COMMISSIONERATE-KOCHI on 02/01/2024 11:0

1622316/2023

1. The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.

Copies to:

1. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram.
2. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kozhikode.
3. The Commissioner of Customs (Preventive), Kochi.
4. The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Audit), Kochi.
5. The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Appeals), Kochi.
6. The Additional Director General, DGGI/ DRI Regional Unit, Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Kochi.
7. All Dy./Asstt. Commissioner in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi.
8. The Deputy/Asst. Commissioner in Thiruvananthapuram/Kozhikode /Custom Preventive/ Audit, Kochi.
9. The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Hqrs. Kochi/ Thiruvananthapuram/ Kozhikode/Custom Preventive/ Audit, Kochi.
10. The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Kochi/Kozhikode/ Thiruvananthapuram /CCP / Audit.
11. The Superintendent (EDP) – for uploading in website.
12. Hindi Cell – for Hindi Version.

Generated from eOffice by VYSHNAVI E K, TA(VEK)-Estt-CGST-COK, TAX ASSISTANT-ESTABLISHMENT, CGST-COMMISSIONERATE-KOCHI on 02/01/2024 11:05

/1593156/2023

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/39/2023-Estt **Date: 08.12.2023**

ORDER NO. 222/2023
(DGHRD Appointment Order No. Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/STENOGRAPHER-II/89297)

Sub: Appointment to the grade of Stenographer Grade-II through SSC – Stenographer Examination, 2022 – Reg

On acceptance of this Central Tax and Central Excise Commissionerate's Offer of appointment of even no. dated 28.11.2023, **Shri. Sidharth P. Siva,** a candidate allocated by the Ministry for appointment as Stenographer Grade-II under **UR category** vide letter F.No.A.12034/SSC/6/2022-Ad.III(B) dated 12.09.2023, is appointed as Stenographer Grade-II in Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone on temporary capacity, subject to verification of character and antecedents, in Level – 4 in the pay matrix (Rs. 25,500-81,100) plus such allowances as may be sanctioned by the Government of India with effect from **08.12.2023 (F.N).**

2. **Shri. Sidharth P. Siva** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The Appointing Authority may, if he thinks fit, extend the period of probation.

3. If on the expiration of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, the appointing authority is of the opinion that the above candidate is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiration of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

done 8/12/2023

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the caste/tribe certificate being verified through the proper channel and if the verification reveals that his claim to

belong to SC/ST/OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provision of the I.P.C. or any other Act, for the time being in force, for production of false certificate (applicable in respect of SC/ST/OBC candidates).

5. Hindi version follows.

Signed by
Rani C R
Date: 08-12-2023 14:09:45

[Rani C.R.]
Additional Commissioner [P&V]

To

Shri. Sidharth P. Siva
S/o Sivadas K.,
C-5/15, Vashist Park,
Pankha Road, New Delhi,
West Delhi, Pin-110046.

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**

Copy to:

1. **The Superintendent (Vigilance), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi - for uploading on website.**
4. **The Senior Translation Officer, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**

I/1592156/2023

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/32/2023-Estt **Date: 08.12.2023**

ORDER NO. 221/2023
(DGHRD Appointment Order No. Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/TAX ASSISTANT/86630)

Sub: Appointment to the grade of Tax Assistant through SSC – Combined Graduate Level Examination, 2022 – Reg

On acceptance of this Central Tax and Central Excise Commissionerate's Offer of appointment of even no. dated 21.09.2023, **Shri. Abhinav Kumar,** a candidate allocated by the Ministry for appointment as Tax Assistant under **EWS category** vide letter F.No.A.12034/SSC/07/2022-Ad.III(B) dated 08.08.2023, is appointed as Tax Assistant in Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone on temporary capacity, subject to verification of character and antecedents, in Level – 4 in the pay matrix (Rs. 25,500-81,100) plus such allowances as may be sanctioned by the Government of India with effect from **07.12.2023 (A.N).**

2. **Shri. Abhinav Kumar** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The Appointing Authority may, if he thinks fit, extend the period of probation.

3. If on the expiration of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, the appointing authority is of the opinion that the above candidate is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiration of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

done 02/04/2024 03-

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the caste/tribe certificate being verified

may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provision of the I.P.C. or any other Act, for the time being in force, for production of false certificate (applicable in respect of SC/ST/OBC candidates).

5. Hindi version follows.

Signed by
Rani C R
Date: 08-12-2023 10:54:21

[Rani C.R.]
Additional Commissioner [P&V]

To

Shri. Abhinav Kumar
S/o Avdesh Singh,
AT+PO - Madhurapur Puvari Tola,
PS – Teghra, District - Begusarai,
Bihar - 851113.

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**

Copy to:

1. **The Superintendent (Vigilance), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi - for uploading on website.**
4. **The Senior Translation Officer, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**

GEXCOM/II/(39)/72/2021-ESTT-O/o Pr COMMR-CGST-KOCHI

I/1592778/2023

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोचिच, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM /II/(39)/72/2021-Estt. **Dated: .12.2023**

ORDER NO. 220/2023

Sub: Grant of financial upgradation under MACP Scheme – Reg.

In pursuance of the Department of Personnel & Training's O.M. No. 35034/3/2008-Estt(D) dated the 19.05.2009 and Ministry of Finance letter F.No.A- 26017/76/2009-Ad.II.A dated 17.6.2009, the following officers are hereby granted financial upgradation under the MACP Scheme to the immediate next higher grade pay in the hierarchy of the pay band and grade pay or to the immediate next higher level in the Pay Matrix (as the case may be) with effect from the date(s) as mentioned against their names.

Sl. No.	Name &designation S/Shri./Smt.	Date of birth	1st / 2nd / 3rd MACP	Date from which financial upgradation is granted	Recommended grade pay &pay band / Pay matrix level
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Sujatha Vijayan,Inspector	09.11.1977	3rd	07.02.2023	Level 8
2.	Abhinav Singh Bisht, Inspr.	02.08.1985	1st	09.12.2023	Level 8
3.	Akshay Singh Bhadauria, Inspector	26.10.1990	1st	09.12.2023	Level 8
4.	Jayakumar S, Inspector	19.05.1977	3rd	01.04.2023	Level 8
5.	Ritesh Maanday,	03.06.1985	1st	27.08.2022	Level 8

	Havaldar (Retd.)	10.09.1954		01.10.2011	(Level 3)
7.	E.T.Surendran, Head Havaldar	10.04.1971	3rd	27.01.2022	Level 4
8.	Andrew Paul M.G, Head Havaldar *	15.01.1964	2nd	24.05.2012	PB 1 2000 (Level 3)
			3rd	24.05.2012	Level 4

* The recommendations of the screening Committee meeting held on 09.01.2012 & 09.11.2022 are reviewed and recommended for 2nd financial upgradation in GP Rs.2000 in PB-1 with effect from 24.05.2012 instead of 30.01.2012 and 3rd financial upgradation under MACP in level 4 with effect from 24.05.2022 instead of 30.01.2022 to Shri Andrew Paul M.G, Head Havaldar.

2. Financial upgradation granted to these officers are inter-alia, subject to the following conditions.

2.1 The financial upgradation will not result in change in the designation of the beneficiary i.e., the financial benefits are granted with the retention of the officer's old designation and the said financial up gradation shall not confer any privilege related to higher status.

2.2 The financial upgradation under the MACP Scheme shall be purely personal to the incumbent (officer) and shall not amount to actual functional promotions of the officer concerned. Further, it shall have no relevance to the officer's inter-seniority position, and as such, there shall be no additional financial upgradation for the senior officer on the ground that the junior officer has got higher pay scale(s) under the MACP Scheme. The concept of "Senior-Junior" is quite alien to the idea behind the MACP Scheme.

2.3 If a regular promotion is offered but was refused by the officer, before becoming entitled to a financial upgradation, no financial upgradation shall be allowed; as such an officer has not been stagnated due to lack of opportunities. If, however, financial upgradation has been allowed due to stagnation and the officer subsequently refuses promotion, it shall not be a ground to withdraw the financial upgradation. He shall, however, not be eligible to be considered for further financial upgradation till he agrees to be considered for promotion again and the second next financial upgradation shall also be deferred to the extent of period of debarment due to the refusal.

2.4 Benefit of pay fixation available at the time of regular promotion shall also be allowed at the time of financial upgradation under the Scheme. Therefore, the pay shall be raised by 3% of the total pay in the pay band and the grade pay drawn before such upgradation. There shall, however, be no further fixation of pay at the time of regular promotion if it is in the same grade pay as granted under MACPS. However, at the time of actual promotion if it happens to be in a post carrying higher grade pay than what is available under MACPS, no pay fixation would be available and only difference of grade pay would be made available.

2.5 On the officers' financial up-gradation under the MACP Scheme, which is in situ and which may not involve assumption of higher duties and responsibilities, as a special dispensation, their pay shall be fixed under F.R. 22(I)(a)(1) to get their pay fixed in the higher post/grade pay either from the date of their promotion/upgradation or from the date of their next increment viz. 1st July of the year. The pay and the date of increment would be fixed in accordance with clarification No. 2 of Department of Expenditure's O.M. No. 1/1/2008-IC dated 13.09.2008 or DOP&T O.M. No. 35034/1/2017-Estt.D dated 20.09.2018 as the case may be.

2.6 No past cases would be re-opened. Further, while implementing the MACP Scheme, the differences in pay scales on account of grant of financial upgradation under the old ACP Scheme (of August 1999) and under the MACP Scheme within the same cadre shall not be construed as an anomaly.

2.7 Option (exercisable within one month from the date of receipt of this order) for fixation of pay in the higher grade scale(s) based on the date of increment (i.e. 1st July or 1st January of the year) of the incumbent is also allowable. Such option once exercised shall be treated as final.

3. DOP&T vide its letter D.No.62460/US(D)/2010 dated 21.07.2010 has clarified that the benefit of Non-functional Grade granted to the Superintendent (Group 'B') officers after completion of 4 (four) years would be treated/viewed as upgradation in terms of Para 8.1 of Annexure-I of DOP&T's O.M. No.35034/3/2008-Estt. (D) dated 19.05.2009 and the same would be off set against one financial upgradation under MACPS.

4. This is issued with the approval of the Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.

5. Hindi version follows.

Signed by
Rani C R
Date: 08-12-2023 14:06:58

(RANI C R)
ADDITIONAL COMMISSIONER (P&V)

To:

The Individual (through the Supervisory officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi.**
3. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram/Kozhikode/ Audit, Kochi/ Appeals, Kochi.**

4. The Commissioner of Customs (Preventive) Cochin

1. The Addl/ Joint Commissioner (P&V), Thiruvananthapuram/Kozhikode/ Audit, Kochi/ Customs (Preventive), Cochin (who are requested to circulate the MACP Orders to the AC/DC in charge of Divisions/Formations under their charge).
2. The Pay and Accounts Officer/ Chief Accounts Officer, Central Tax and Central Excise, Kochi/ Thiruvananthapuram /Kozhikode/ Audit, Kochi/ Custom House, Cochin.
3. The Assistant/Deputy Commissioner, Ernakulam Division/Kakkanad Division/ Aluva Division/ Perumbavoor Division /Idukki Division/ Thrissur Division/ Chalakkudy/Division.
4. The Superintendent (Confidential-Vigilance), Hqrs. Kochi/AO(DDO) Hqrs. Kochi.
5. Superintendent (Systems), Hqrs. Kochi who is requested to upload the MACP order on the Commissionerate website.
6. Hindi Cell of Kochi Commmissionerate.
7. The Gen. Sec's of all Group 'B' & 'C' officers Association, Kochi.

GEXCOM/II/(3)/32/2023-ESTT-O/o Pr COMMR-CGST-KOCHI

I/1582974/2023

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/32/2023-Estt **Date: 05.12.2023**

ORDER NO. 219/2023
(DGHRD Appointment Order No. Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/TAX ASSISTANT/86643)

Sub: Appointment to the grade of Tax Assistant through SSC – Combined Graduate Level Examination, 2022 – Reg

On acceptance of this Central Tax and Central Excise Commissionerate's Offer of appointment of even no. dated 21.09.2023, **Shri. Ashwani Kumar,** a candidate allocated by the Ministry for appointment as Tax Assistant under **ST category** vide letter F.No.A.12034/SSC/07/2022-Ad.III(B) dated 08.08.2023, is appointed as Tax Assistant in Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone on temporary capacity, subject to verification of character and antecedents, in Level – 4 in the pay matrix (Rs. 25,500-81,100) plus such allowances as may be sanctioned by the Government of India with effect from **05.12.2023 (F.N).**

2. **Shri. Ashwani Kumar** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The Appointing Authority may, if he thinks fit, extend the period of probation.

3. If on the expiration of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, the appointing authority is of the opinion that the above candidate is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiration of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the caste/tribe certificate being verified

...case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provision of the I.P.C. or any other Act, for the time being in force, for production of false certificate (applicable in respect of SC/ST/OBC candidates).

5. Hindi version follows.

Signed by
Rani C R
Date: 05-12-2023 15:06:14

[Rani C.R.]
Additional Commissioner [P&V]

To

Shri. Ashwani Kumar
S/o Nageshwar Prasad Singh,
Bania, Bhawanipur,
Rangrachowk, Bhagalpur,
Bihar - 853204.

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**

Copy to:

1. **The Superintendent (Vigilance), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi - for uploading on website.**
4. **The Senior Translation Officer, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**

/1580910/2023

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

File No. II/(3)/APPT/25/2020 **DATE: .12.2023**

ORDER No.218/2023

Sub: Promotion to the cadre of Superintendent, Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone - reg.

The following Inspectors of Central Tax & Central Excise are hereby promoted on Ad-hoc and in-situ basis to the cadre of Superintendent of Central Tax & Central Excise, Group 'B' post, in Level-8 of the Pay Matrix (corresponding to pay band of Rs. 9,300- 34,800 (PB-2) GP – Rs. 4,800/- in pre-revised scale) plus such allowances as may be applicable with effect from the date of assuming charge of the higher post and until further orders.

Sl. No.	Name(S/Shri/Smt)	Date of Birth
1.	Mridul Kumar Singh	22.06.1985
2.	Sudhir Dabas	26.5.1984
3.	Arvind Gulia	24.10.1986
4.	Gautam Kumar	01.01.1986
5.	Rajneesh	20.3.1983
6.	Pankaj	07.02.1986
7.	Santosh Rawat	15.07.1984
8.	Amit Khatri	19.9.1986
9.	Kamal Kumar	13.10.1988
10.	Viresh Mishra	04.09.1985
11.	Abhijeet Singh	14.10.1987
12.	Ravindra Maruti Palkar	16.08.1982
13.	Ritesh Manday	03.06.1985

done 5/1/2024

14.	Asha	17.11.1985
15.	Rohit Khatri	04.05.1985
16.	Baleshwar Kumar Jha	02.06.1979
17.	Chetan Gupta	05.11.1984
18.	Ramlal	11.10.1986
19.	Anant Vikram Singh	20.04.1986
20.	Vivek Kumar Trivedi	01.12.1989
21.	Kiran Sharma	26.08.1981
22.	Ravi Kumar	28.05.1988
23.	Shasikant Singh	02.10.1982
24.	Vipin Yadav	02.10.1986
25.	Sunil Nagar	12.11.1981
26.	Shyam Kumar Sharma	10.03.1984
27.	Parivesh Kumar Swami	23.01.1986
28.	Gaurav Vats	31.12.1989
29.	Sudheer Khan J	02.04.1973
30.	Sivakumar V.K.	09.03.1987
31.	Neeta Sukumaran	02.07.1975
32.	Maneesh K. R.	14.07.1989
33.	Sileesh P.M.	05.02.1987
34.	Aman Grover	30.01.1987
35.	Vinu R	05.03.1975
36.	Abhinav Singh Bisht	02-08-1985
37.	Nishant Saxena	28-08-1990
38.	Dorasala Jagadeesh Kumar Reddy(OH)	17-11-1986

2. The officers mentioned above should join the higher post immediately and not later than **18.12.2023**.

3. The officers who are working on Deputation/Loan basis outside Thiruvananthapuram Zone except officer at Sl.No:2 shall assume the charge of Superintendent only after re-joining in the parent Zone, and not later than **18.12.2023**.

4. The promotion of the Inspectors to the grade of Superintendent is subject to the final outcome of SLP No. 20810/2012 filed by the Department against High Court Order dated 28.03.2012 in OP (CAT) No. 4305/2011, OP (CAT) No. 999/2012, OP (CAT) No.998/2012, OP (CAT) No. 968/2012, O.A. No. 180/00806/2014 in CAT (EB), OA Nos. 523/2023, 527/2023, 543/2023 of CAT (Ernakulam Bench) and the judgment in Civil Appeal arising out of SLP(C) No: 16161/2018 in Hariharan vs Harshavardhan case now pending with the Larger Bench of the Hon'ble Supreme Court and any other pending cases in concerned Courts/ Tribunals.

5. The compliance report about joining/non-joining of the officers should be sent to this office by **20.12.2023**.

6. Hindi version follows.

Signed by Venkatesh T G
Date: 04-12-2023 17:37:35
Reason: Approved

[T G VENKATESH]
COMMISSIONER

To:

The Individual (Through the Supervisory Officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**

Copies to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kozhikode.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Kochi.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Audit), Kochi.**
5. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Appeals), Kochi.**
6. **The Additional Director General, DGGI/ DRI Regional Unit, Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Kochi.**
7. **All Dy./Asstt. Commissioner in charge of Divisions of Central Tax & Excise, Kochi.**
8. **The Deputy/Asst. Commissioner in Thiruvananthapuram/Kozhikode/Custom Preventive/ Audit, Kochi.**
9. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Hqrs. Kochi/ Thiruvananthapuram/ Kozhikode/Custom Preventive/ Audit, Kochi.**
10. **The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Kochi/Kozhikode/ Thiruvananthapuram /CCP / Audit.**
11. **The Superintendent (Systems) – for uploading in website.**
12. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

/1576257/2023

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/46/2023-Estt **Date: 01.12.2023**

ORDER NO. 217/2023
(DGHRD Appointment Order No. Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/HAVALDAR/89368)

Sub: Appointment to the grade of Havaldar, through SSC Multi-Tasking (Non-Technical) Staff, and Havaldar (CBIC & CBN) Examination, 2022 – Reg.

On acceptance of this Central Tax and Central Excise Commissionerate's Offer of appointment of even no. dated 28.11.2023, **Kum. Sruthy Santhosh S.,** a candidate allocated by the Ministry for appointment to the post of Havaldar through Multi Tasking (Non-Technical) Staff, And Havaldar (CBIC & CBN) Examination 2022 (belongs to OBC category and allocated under **UR category)**, is appointed as Havaldar in Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone on temporary capacity, subject to verification of character and antecedents, in Level – 1 in the pay matrix (Rs. 18,000-56,900) plus such allowances as may be sanctioned by the Government of India with effect from **01.12.2023 (F.N).**

2. **Kum. Sruthy Santhosh S** is informed that she will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The Appointing Authority may, if he thinks fit, extend the period of probation.

3. If on the expiration of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, the appointing authority is of the opinion that the above candidate is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that she will not be fit for permanent absorption on the expiration of such period or extension, the appointing authority may terminate her services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that her appointment is provisional and is subject to the caste/tribe certificate being verified through the proper channel and if the verification reveals that her claim to belong to SC/ST/OBC or in the case of OBC,

above
05/01/2024

not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, her services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provision of the I.P.C. or any other Act, for the time being in force, for production of false certificate (applicable in respect of SC/ST/OBC candidates).

5. Hindi version follows.

Signed by
Rani C R
Date: 01-12-2023 16:02:47

[Rani C.R.]
Additional Commissioner [P&V]

To

Kum. Sruthy Santhosh S.,
D/o Shri. Santhosh Kumar P A
Sruthilayam, TC-79/287,
Karrikkakom, Anayara PO,
Thiruvananthapuram, Kerala-695029.

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**

Copy to:

1. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The Superintendent (Vigilance/Hqrs.), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi - for uploading on website.**
4. **The Senior Translation Officer, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**

/1575381/2023

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/39/2023-Estt **Date: 01.12.2023**

ORDER NO. 216/2023
(DGHRD Appointment Order No. Thirvananthpuram GST & CX/KOCHI/STENOGRAPHER-II/89300)

Sub: Appointment to the grade of Stenographer Grade-II through SSC – Stenographer Examination, 2022 – Reg

On acceptance of this Central Tax and Central Excise Commissionerate's Offer of appointment of even no. dated 28.11.2023, **Shri. Anandu R.S.,** a candidate allocated by the Ministry for appointment as Stenographer Grade-II under **UR category** vide letter F.No.A.12034/SSC/6/2022-Ad.III(B) dated 12.09.2023, is appointed as Stenographer Grade-II in Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone on temporary capacity, subject to verification of character and antecedents, in Level – 4 in the pay matrix (Rs. 25,500-81,100) plus such allowances as may be sanctioned by the Government of India with effect from **01.12.2023 (F.N).**

2. **Shri. Anandu R.S.** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The Appointing Authority may, if he thinks fit, extend the period of probation.

3. If on the expiration of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, the appointing authority is of the opinion that the above candidate is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiration of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the caste/tribe certificate being verified through the proper channel and if the verification reveals that his claim to

done 4/12/2023

belong to SC/ST/OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provision of the I.P.C. or any other Act, for the time being in force, for production of false certificate (applicable in respect of SC/ST/OBC candidates).

5. Hindi version follows.

Signed by
Rani C R
Date: 01-12-2023 14:05:23

[Rani C.R.]
Additional Commissioner [P&V]

To

Shri. Anandu R.S.
S/o J. Rajendran Nair,
Sivasakthi, PRA-C43A,
Pirayil Peyad P.O., Vilappil,
Thiruvanathapuram, Kerala - 695573.

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**

Copy to:

1. **The Superintendent (Vigilance), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi - for uploading on website.**
4. **The Senior Translation Officer, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**

/1575386/2023

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/39/2023-Estt **Date: 01.12.2023**

ORDER NO. 215/2023
(DGHRD Appointment Order No. Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/STENOGRAPHER-II/89295)

Sub: Appointment to the grade of Stenographer Grade-II through SSC – Stenographer Examination, 2022 – Reg

On acceptance of this Central Tax and Central Excise Commissionerate's Offer of appointment of even no. dated 28.11.2023, **Smt. Aiswarya S. Nair,** a candidate allocated by the Ministry for appointment as Stenographer Grade-II under **UR category** vide letter F.No.A.12034/SSC/6/2022-Ad.III(B) dated 12.09.2023, is appointed as Stenographer Grade-II in Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone on temporary capacity, subject to verification of character and antecedents, in Level – 4 in the pay matrix (Rs. 25,500-81,100) plus such allowances as may be sanctioned by the Government of India with effect from **01.12.2023 (F.N).**

2. **Smt. Aiswarya S. Nair** is informed that she will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The Appointing Authority may, if he thinks fit, extend the period of probation.

3. If on the expiration of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, the appointing authority is of the opinion that the above candidate is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that she will not be fit for permanent absorption on the expiration of such period or extension, the appointing authority may terminate her services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that her appointment is provisional and is subject to the caste/tribe certificate being verified through the proper channel and if the verification reveals that her claim to

belong to SC/ST/OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, her services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provision of the I.P.C. or any other Act, for the time being in force, for production of false certificate (applicable in respect of SC/ST/OBC candidates).

5. Hindi version follows.

Signed by
Rani C R
Date: 01-12-2023 14:06:04

[Rani C.R.]
Additional Commissioner [P&V]

To

Smt. Aiswarya S. Nair
D/o Venugopalan P.,
Sreevalsam, TC 18/268(2),
Punnakkamughal, Pavarthala Lane,
PRA-153, Aramada P.O.,
Thiruvananthapuram, Kerala - 695032.

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**

Copy to:

1. **The Superintendent (Vigilance), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi - for uploading on website.**
4. **The Senior Translation Officer, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**

GEXCOM/II/(3)/23/2022-ESTT-O/o Pr COMMR-CGST-KOCHI

I/1587653/2023

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/23/2022-ESTT **Date: 06.12.2023**

ORDER NO. 214/2023

Sub: Transfer & Postings in the grades of Havaldar & Head Havaldar - Central Tax and Central Excise, Kochi Commissionerate - Reg.

The following transfer & postings in the grades of Head Havaldar & Havaldar of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate, are hereby ordered with immediate effect:

Sl. No.	Name & Designation (S/Shri./Smt.)	Date of Birth	From	To
1	Elizebath Sheeba M.P., Head Havaldar	09.01.1969	UoT to Central Tax & C.Ex Commissionerate, Kochi	Hqrs, Kochi
2	Selvam K., Head Havaldar	02.05.1967	UoT to Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	Munnar Range
3	Alex T.A., Head Havaldar	01.01.1968	UoT to Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	Hqrs, Kochi
4	Sabu M.J., Head Havaldar	19.03.1967	UoT to Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	Chalakudy Division
5	Santakumari C.P., Head Havaldar	30.01.1965	UoT to Central Tax & Central Excise Commissionerate,	Kunnamkulam Range

done 15/12/2023

6	Joseph P. Joy, Head Havaldar	15.04.1972	Central Excise Commissionerate, Kochi	Kakkanad Division
7	Sourav T.P., Havaldar	28.03.1998	Ernakulam Division	Hqrs, Kochi
8	Ajay Alex, Havaldar	02.11.1998	Kakkanad Division	Hqrs, Kochi
9	Chandran P.S., Head Havaldar	20.05.1970	Kunnamkulam Range	Thrissur Division
10	Sajan V.G., Head Havaldar	10.10.1969	Hqrs, Kochi	Ernakulam Division

2. The above officers must be relieved and should join their new place of posting latest by **18.12.2023**.
3. Report compliance on 22.12.2023.
4. This is issued with the approval of the competent authority.
5. Hindi Version follows.

Signed by
Bindu C T
Date: 06-12-2023 17:27:25

[C.T. Bindu]
Deputy Commissioner [P&V]

To:

The Individuals (Through the Supervisory Officers concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi.**

Copy to:

1. **All Deputy / Assistant Commissioners in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate.**
2. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer/ Administrative Officer (DDO), Central Tax & Central Excise, Hqrs Kochi.**
3. **The Administrative Officer (DDO), Central Tax & Central Excise, in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate.**
4. **The Superintendent (Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
5. **The Superintendent (Systems) – for uploading in website.**
6. **Official Language Section– for Hindi Version.**

File No. GEXCOM/II/(3)/4/2023-ESTT-COMPUTER-COCHIN-CGST-(Computer No. 857641)
I/1571923/2023

I/1571923/2023

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/4/2023-ESTT **Date: .11.2023**

ORDER No. 213/2023

Sub: Transfer & Postings in the cadre of Inspector, Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate - reg.

Consequent to issue of Inter Commissionerate Transfer Order No. 210/2023 dated 29.11.2023, the following transfer & postings in the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate is hereby ordered with immediate effect.

Sl No	Name (S/Shri./Smt.)	DOB	From	To
1.	Ritesh Maanday	03.06.1985	*UOT to (AP, Kannur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin*	Ernakulam Division*
2.	Sanoopkumar N	16.11.1992	*UOT to Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi*	Verification Cell, Hqrs Kochi
3.	P A Dasan	25.05.1964	Aluva Division	Thrissur Division

* the officer to be relieved from Kochi Commissionerate on 31.12.2023 to join AP, Kannur.

done 15/12/2023

2. Supervisory officers shall ensure that the officers are relieved from their previous post only after proper relieving/handing over notes are mutually exchanged so as to ensure smooth transition. The officers are to join their new place of posting latest by **01.12.2023.** Supervisory officers will be held responsible

3. No representation shall be entertained from any officer before his/ her joining the new place of posting.

4. Report compliance by **04.12.2023.**

Signed by
Maneesh Kumar
Date: 30-11-2023 14:09:30

[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To:

The Individual (Through the Supervisory Officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **All Dy./Asstt. Commissioner in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi.**
2. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Hqrs. Kochi.**
3. **The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Kochi.**
4. **The Superintendent (Systems)) – for uploading in website.**
5. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

Generated from eOffice by VYSHNAVI E K, TA(VEK)-Estt-CGST-COK, TAX ASSISTANT-ESTABLISHMENT, CGST-COMMISSIONERATE-KOCHI on 01/12/2023 10:45 AM

/1586927/2023

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/23/2022-ESTT **Date: 05.12.2023**

ORDER NO. 212/2023

Sub: Transfer & Posting in the grade of Havaldar and Head Havaldar - Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone- Reg.

The following transfer and posting in the grade of Havaldar and Havaldar of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone is hereby ordered with immediate effect:

Sl. No.	Name & Designation (S/Shri./Kum.)	Date of Birth	From	To
1	Sreekumar M.K., Head Havaldar	15.05.1968	UoT to (Airport/UB/I&E, Karipur)	Retained at Central Tax & C.Ex Commissionerate, Thiruvananthapuram
2	Dileepan P., Head Havaldar	10.05.1969	UoT to (Airport/UB/I&E, Karipur)	Retained at Central Tax & C.Ex Commissionerate, Kozhikode
3	Sreeraj P., Head Havaldar	20.03.1968	Central Tax & C.Ex Commissionerate, Kozhikode	(Airport/UB/I&E, Karipur), Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin
4.	Balan K., Head Havaldar	05.05.1968	Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin	(Airport/UB/I&E, Karipur), Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin
5	Rama Krishna	14.05.1998	On joining	Customs (Preventive)

done 15/12/2023

	Mekala, Havaldar			Commissionerate, Cochin
6	Sruthy Santhosh S., Havaldar	15.09.1998	On joining	Central Tax & C.Ex Commissionerate, Thiruvananthapuram

2. The officers posted to Airport/UB/I&E are posted for a period of 1 (One) year without rejudice to the right of the Department to transfer them earlier on administrative exigencies.

3. This is issued with the approval of the Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.

4. Hindi Version follows.

Signed by
Bindu C T
Date: 06.12.2023 16:15:19

[C.T. Bindu]
Deputy Commissioner (P&V)

To:
The Individual (Through the Supervisory Officer concerned)
Copy submitted to:
1 . **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**
2. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kozhikode.
3. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram.
4. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.
5. The Commissioner of Customs (Preventive), Kochi.
6. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.
7. The Additional Director General, DGGI/ NACIN/ DRI Regional Unit, Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Kochi.

Copy to:
1. **All Deputy / Assistant Commissioners in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate.**
2. The Deputy / Assistant Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Customs (Preventive)/ Appeals/ Audit Comm'tes.
3. The Chief Accounts Officer / Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Thiruvanathapuram/ Kochi/ Kozhikode/ Appeals/ Audit/ Customs (Preventive) Comm'tes.
4. The Administrative Officer (DDO) Central Tax & Central Excise, Thiruvanathapuram/ Kochi/ Kozhikode/ Appeals/ Audit/ Customs (Preventive) Comm'tes.
5. The Superintendent (Vig./ Hqrs.) Central Tax & Central Excise, Thiruvanathapuram/ Kochi/ Kozhikode / Appeals/ Audit/ Customs (Preventive) Comm'tes.
6. The Superintendent (Systems) – for uploading in website.
7. Hindi Cell – for Hindi Version.

I/1570[illegible]/2023

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोचिच, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/4/2023-ESTT **Date: .11.2023**

ORDER No. 211/2023

Sub: Transfer & Postings in the cadre of Superintendent, Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone - reg.

The following transfer & postings in the cadre of Superintendent of Central Tax & Central Excise is hereby ordered with immediate effect.

Sl No	Name (S/Shri./Smt.)	DOB	From	To
1.	Umadevi M.	11.05.1973	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	(Airport,Kannur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
2.	S Pranay	09.03.1988	*On promotion*	(Airport,Kannur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
3.	Muniappan P	19.05.1976	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram

2. Supervisory officers shall ensure that the officers are relieved from their previous post only after proper relieving/handing over notes are mutually exchanged so as to ensure smooth transition. The officers are to join their new place of posting latest by **08.12.2023**. Supervisory officers will be held responsible if the officers are not getting relieved within the stipulated time.

done
15/12/2023

I/1570480/2023

3. No representation shall be entertained from any officer before his/ her joining the new place of posting.

4. This is issued with the approval of the Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.

5. Report compliance by **11.12.2023**.

Signed by
Maneesh Kumar
Date: 29-11-2023 18:34:26

[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To:

The Individual (Through the Supervisory Officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram.**
2. **The Commissioner of Customs (Preventive), Kochi.**
3. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Hqrs. Kochi.**
4. **The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Kochi.**
5. **The Superintendent (Systems)) – for uploading in website.**
6. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

I/1570478/2023

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/28/2023-ESTT **Date: .11.2023**

ORDER No. 210 /2023

Sub: Transfer & Postings in the cadre of Inspector, Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone - reg.

The following transfer & postings in the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise is hereby ordered with immediate effect.

Sl No	Name (S/Shri./Smt.)	DOB	From	To
1.	Biju N	14.05.1968	(Airport, Kannur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
2.	Ritesh Maanday	03.06.1985	On repatriation from Chandigarh Zone	(Airport, Kannur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin*
3.	Sanoopkumar N	16.11.1992	*On joining*	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
4.	Sithun Prakash	25.01.1997	*On joining*	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
5.	Abhishek Verma	23.09.2000	*On joining*	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram

* the officer to join AP, Kannur only on 01.01.2024 and is posted to Kochi Commissionerate till 31.12.2023.

15/12/2023

Generated from eOffice by VYSHNAVI E K, TA(VEK)-Estt-CGST-COK, TAX ASSISTANT-ESTABLISHMENT, CGST-COMMISSIONERATE-KOCHI on 30/11/2023 02:03 PI

I/1570478/2023

2. Supervisory officers shall ensure that the officers are relieved from their previous post only after proper relieving/handing over notes are mutually exchanged so as to ensure smooth transition. The officers are to join their new place of posting latest by **08.12.2023.** Supervisory officers will be held responsible if the officers are not getting relieved within the stipulated time.

3. No representation shall be entertained from any officer before his/ her joining the new place of posting.

4. This is issued with the approval of the Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.

5. Report compliance by **11.12.2023.**

Signed by
Maneesh Kumar
Date: 29-11-2023 18:33:45

[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To:

The Individual (Through the Supervisory Officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Hqrs. Kochi.**
2. **The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Kochi.**
3. **The Superintendent (Systems)) – for uploading in website.**
4. **Hindi Cell – for Hindi Version.**
5. **The Commissioner of Customs (Preventive), Kochi.**
6. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram.**

Generated from eOffice by VYSHNAVI E K, TA(VEK)-Estt-CGST-COK, TAX ASSISTANT-ESTABLISHMENT, CGST-COMMISSIONERATE-KOCHI on 30/11/2023 02:03 PI

/1606238/2023

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM /II/(39)/72/2021-Estt. **Date:14.12.2023**

Corrigendum to Order No. 220/2023 dated 08.12.2023.

Sub: Grant of financial upgradation under MACP Scheme – Reg.

In partial modification to Order No. 220/2023 dated 08.12.2023, the following change is being made in respect of the officer at Sl No. 8 of the order.

Sl. No.	Name &designation S/Shri./Smt.	Date of birth	1st / 2nd / 3rd MACP	Date from which financial upgradation is granted	Recommended grade pay &pay band / Pay matrix level
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8.	Andrew Paul M.G, Head Havaldar *	15.01.1964	2nd	24.05.2012	PB 1 2000 (Level 3)
			3rd	**24.05.2022**	Level 4

* The recommendations of the Screening Committee meeting held on 09.01.2012 & 09.11.2022 are reviewed and recommended for 2nd financial upgradation in GP Rs.2000 in PB-1 with effect from 24.05.2012 instead of 30.01.2012 and 3rd financial upgradation under MACP in level 4 with effect

done 09/04/2024

from 24.05.2022 instead of 30.01.2022 to Shri Andrew Paul M.G, Head Havaldar.

Signed by
Rani C R
Date: 14-12-2023 11:16:26

(Rani C. R.)
Additional Commissioner (P&V)

To:

The Individual (through the Supervisory officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi.**
3. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram/Kozhikode/ Audit, Kochi/ Appeals, Kochi.**
4. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**

Copy to:

1. **The Addl/ Joint Commissioner (P&V), Thiruvananthapuram/Kozhikode/ Audit, Kochi/ Customs (Preventive), Cochin (who are requested to circulate the MACP Orders to the AC/DC in charge of Divisions/Formations under their charge).**
2. **The Pay and Accounts Officer/ Chief Accounts Officer, Central Tax and Central Excise, Kochi/ Thiruvananthapuram /Kozhikode/ Audit, Kochi/ Custom House, Cochin.**
3. **The Assistant/Deputy Commissioner, Ernakulam Division/Kakkanad Division/ Aluva Division/ Perumbavoor Division /Idukki Division/ Thrissur Division/ Chalakkudy/Division.**
4. **The Superintendent (Confidential-Vigilance), Hqrs. Kochi/AO(DDO) Hqrs. Kochi.**
5. **Superintendent (Systems), Hqrs. Kochi who is requested to upload the MACP order on the Commissionerate website.**
6. **Hindi Cell of Kochi Commmissionerate.**
7. **The Gen. Sec's of all Group 'B' & 'C' officers Association, Kochi.**

/1562734/2023

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/23/2022-ESTT **Date: 24.11.2023**

ORDER NO. 209/2023

Sub: Transfer and postings in the grade of Head Havaldar - Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone - Reg.

The following transfer and postings in the grade of Head Havaldar of Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone, are hereby ordered with immediate effect:

Sl. No.	Name & Designation (S/Shri./ Smt./Kum.)	Date of Birth	Present Commissionerate	Posted To
1	Elizebath Sheeba M. P.	09-01-1969	(Airport,Karipur) Customs(Preventive) Commissionerate, Cochin	Central Tax &Central Excise Commissionerate, Kochi
2	Selvam K.	02-05-1967	(Airport,Karipur) Customs(Preventive) Commissionerate, Cochin	Central Tax &Central Excise Commissionerate, Kochi
3	Alex T.A.	01-01-1968	(Airport,Karipur) Customs(Preventive) Commissionerate, Cochin	Central Tax &Central Excise Commissionerate, Kochi
4	Surendran E.T.	10-04-1971	(Airport,Karipur) Customs(Preventive) Commissionerate, Cochin	Central Tax &Central Excise Commissionerate, Kozhikode
			(Airport,Karipur)	Central Tax &Central

24/11/2023

5	Vimala P.	31-05-1964	Customs(Preventive) Commissionerate, Cochin	Excise Commissionerate, Kozhikode
6	Lilly Thomas	20-05-1969	(Airport,Karipur) Customs(Preventive) Commissionerate, Cochin	Central Tax &Central Excise Commissionerate, Kozhikode
7	Sabu M.J.	19-03-1967	(UB,Karipur) Customs(Preventive) Commissionerate, Cochin	Central Tax &Central Excise Commissionerate, Kochi
8	Santakumari C.P.	30-01-1965	(UB,Karipur) Customs(Preventive) Commissionerate, Cochin	Central Tax &Central Excise Commissionerate, Kochi
9	Kamarudheen P.	10-05-1970	(UB,Karipur) Customs(Preventive) Commissionerate, Cochin	Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin
10	V.K. Rajesh	01-06-1971	(ACC(I&E), Karipur) Customs(Preventive) Commissionerate, Cochin	Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin
11	Baburajan K.	22-05-1970	(Airport,Trivandrum) Customs(Preventive) Commissionerate, Cochin	Central Tax &Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram
12	T. Raju	24-05-1975	(Airport,Trivandrum) Customs(Preventive) Commissionerate, Cochin	Central Tax &Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram
13	K. Balu	12-05-1970	(Airport,Trivandrum) Customs(Preventive) Commissionerate, Cochin	Central Tax &Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram
14	Anil Kumar R.	17-05-1975	(Airport,Trivandrum) Customs(Preventive) Commissionerate, Cochin	Central Tax &Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram
15	A. Prasannakumar	28-04-1966	(Airport,Trivandrum) Customs(Preventive) Commissionerate, Cochin	Central Tax &Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram
16	J. Antony	24-03-1970	(ACC(I&E),Trivandrum) Customs(Preventive) Commissionerate, Co	Central Tax &Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram

			chin	
17	Thomas Xavier C.	08-04-1970	(Airport, Kannur) Customs(Preventive) Commissionerate, Cochin	Central Tax &Central Excise Commissionerate, Kozhikode
18	Deepak Kumar K.K.	15-04-1970	(ACC(I&E), Kannur) Customs(Preventive) Commissionerate, Cochin	Central Tax &Central Excise Commissionerate, Kozhikode
19	Sajesh Kumar R.	16-04-1968	Central Tax &Central Excise Commissionerate, Kozhikode	(Airport/UB/I&E,Karipur) Customs(Preventive)Commissionerate, Cochin
20	Sunil M.K.	01-01-1973	Central Tax &Central Excise Commissionerate, Kochi	(Airport/UB/I&E,Karipur) Customs(Preventive)Commissionerate, Cochin
21	Unnikannan P.O.	31-05-1973	Central Tax &Central Excise Commissionerate, Kozhikode	(Airport/UB/I&E,Karipur) Customs(Preventive)Commissionerate, Cochin
22	Murugan M.	26-05-1969	Central Tax &Central Excise Commissionerate, Kochi	(Airport/UB/I&E,Karipur) Customs(Preventive)Commissionerate, Cochin
23	K.B. Sebastian	18-03-1975	Central Tax &Central Excise Commissionerate, Kozhikode	(Airport/UB/I&E,Karipur) Customs(Preventive)Commissionerate, Cochin
24	Sreekumar M.K.	15-05-1968	Central Tax &Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram	(Airport/UB/I&E,Karipur) Customs(Preventive)Commissionerate, Cochin
25	Shaji S.	24-12-1964	Central Tax &Central Excise Commissionerate, Kochi	(Airport/UB/I&E,Karipur) Customs(Preventive)Commissionerate, Cochin
26	Abdul Kareem P.K.	10-01-1966	Central Tax &Central Excise Commissioner	(Airport/UB/I&E,Karipur) Customs(Preventive)Commissionerate, Coch

			ate, Kochi	in
27	Dileepan P.	10-05-1969	Central Tax &Central Excise Commissionerate, Kozhikode	(Airport/UB/I&E,Karipur) Customs(Preventive)Commissionerate, Cochin
28	Titus K.T.	30-05-1968	Central Tax &Central Excise Commissionerate, Kochi	(Airport/UB/I&E,Karipur) Customs(Preventive)Commissionerate, Cochin
29	Mukesh P.	11-03-1967	Central Tax &Central Excise Commissionerate, Kozhikode	(Airport/UB/I&E,Karipur) Customs(Preventive)Commissionerate, Cochin
30	Prasannakumari P.	21-04-1966	Central Tax &Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram	(Airport/UB/I&E, Thiruvananthapuram) Customs(Preventive)Commissionerate, Cochin
31	Shajimon L.	06-05-1972	Central Tax &Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram	(Airport/UB/I&E, Thiruvananthapuram) Customs(Preventive)Commissionerate, Cochin
32	Sheeja P.S.	30-05-1966	Central Tax &Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram	(Airport/UB/I&E, Thiruvananthapuram) Customs(Preventive)Commissionerate, Cochin
33	Ramani G.	28-05-1970	Central Tax &Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram	(Airport/UB/I&E, Thiruvananthapuram) Customs(Preventive)Commissionerate, Cochin
34	Santhosh Kumar K.	20-05-1976	Central Tax &Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram	(Airport/UB/I&E, Thiruvananthapuram) Customs(Preventive)Commissionerate, Cochin
35	Peethambaran K.	10-10-1966	Central Tax &Central Excise Commissionerate, Kozhikode	(Airport/I&E,Kannur) Customs(Preventive)Commissionerate, Cochin
36	Savithri M.	20-05-1967	Customs (Preventive) Commissionerate, C	(Airport/I&E,Kannur) Customs(Preventive)Commissionerate, Coch

			ochin	in
37	Valsan M.K.	27-01-1966	Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin	Central Tax &Central Excise Commissionerate, Audit, Kochi
38	Jose Antony	15-04-1972	Central Tax &Central Excise Commissionerate, Audit, Kochi	Central Tax &Central Excise Commissionerate, Kochi

2. The officers posted to Airport/UB/I&E are for a period of 1 (One) year without prejudice to the right of the Department to transfer them earlier on administrative exigencies.

3. Supervisory officers shall ensure that the officers are relieved from their previous post only after proper relieving/handing over notes are mutually exchanged so as to ensure smooth transition. The officers are to join their new place of posting latest by **04.12.2023**. Supervisory officers will be held responsible if the officers are not getting relieved within the stipulated time.

3. No representation shall be entertained from any officer before his/ her joining the new place of posting.

4 . This is issued with the approval of the Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.

5. Report compliance by 08.12.2023.

6. Hindi Version follows.

Signed by
Bindu C T
Date: 24-11-2023 16:28:23

[C.T. Bindu]
Deputy Commissioner(P&V)

To:

The individuals (Through the Supervisory Officers concerned)

Copy submitted to:

1 . The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.
2. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kozhikode.
3. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram.
4. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.
5. The Commissioner of Customs (Preventive), Kochi.
6. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.
7. The Additional Director General, DGGI/ NACIN/ DRI Regional Unit,Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Kochi.

Copy to:

1. All Deputy / Assistant Commissioners in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate.
2. The Deputy / Assistant Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Customs (Preventive)/ Appeals/ Audit

Comm'tes.

3. The Chief Accounts Officer / Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Thiruvanathapuram/ Kochi/ Kozhikode/Appeals/ Audit/ Customs (Preventive) Comm'tes.

4. The Administrative Officer (DDO) Central Tax & Central Excise, Thiruvanathapuram/ Kochi/ Kozhikode/Appeals/ Audit/ Customs (Preventive) Comm'tes.

5. The Superintendent (Vig./Hqrs.) Central Tax & Central Excise, Thiruvanathapuram/ Kochi/ Kozhikode /Appeals/ Audit/ Customs (Preventive) Comm'tes.

6. The Superintendent (Systems) – for uploading in website.

7. OL Section – for Hindi Version.

/1553294/2023

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/23/2023-Estt **Date: 21.11.2023**

ORDER NO. 208/2023
(DGHRD Appointment Order No. Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/HAVALDAR/86624)

Sub: Appointment to the grade of Havaldar, through SSC Multi-Tasking (Non-Technical) Staff, and Havaldar (CBIC & CBN) Examination, 2021 – Reg.

On acceptance of this Central Tax and Central Excise Commissionerate's Offer of appointment of even no. dated 18.09.2023, **Shri. Rama Krishna Mekala,** a candidate allocated by the Ministry for appointment as Havaldar vide letter F.No.A.12034/SSC/06/2020-Ad.III.B dated 09.05.2023 and DGHRD's letter F. No. 8/B/37/HRD(HRM)/2019/Pt.I dated 11.05.2023 under **OBC category**, is appointed as Havaldar in Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone on temporary capacity, subject to verification of character and antecedents, in Level – 1 in the pay matrix (Rs. 18,000-56,900) plus such allowances as may be sanctioned by the Government of India with effect from **21.11.2023 (F.N).**

2. **Shri. Rama Krishna Mekala** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The Appointing Authority may, if he thinks fit, extend the period of probation.

3. If on the expiration of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, the appointing authority is of the opinion that the above candidate is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiration of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the caste/tribe certificate being verified through the proper channel and if

done 28/11/2023

the verification reveals that his claim to belong to SC/ST/OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provision of the I.P.C. or any other Act, for the time being in force, for production of false certificate (applicable in respect of SC/ST/OBC candidates).

5. Hindi version follows.

Signed by
Rani C R
Date: 21-11-2023 13:53:27

[Rani C.R.]
Additional Commissioner [P&V]

To

Shri. Rama Krishna Mekala
S/o M Mallikarjuna,
Narayanapuram Village, Dhanapuram Post,
Adoni Mandal, Kurnool District,
Andhra Pradesh – 518302.

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**

Copy to:

1. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The Superintendent (Vigilance/Hqrs.), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi - for uploading on website.**
4. **The Senior Translation Officer, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**

/1556836/2023

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/34/2023-ESTT. **Date: .11.2023**

ESTABLISHMENT ORDER NO.207/2023

(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/86672)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2022 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate's offer of appointment of even no. dated 22.09.2023, communicated after the Rozgar Mela held on 26.09.2023, **Shri. Abhishek Verma**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F. No. A.12034/SSC/07/2022-Ad.lll.B dated 08.08.2023 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **SC** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and caste certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level–7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **15.11.2023 (F.N).**

2. **Shri. Abhishek Verma** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant ***DoPT O.M.***s in this regard.

Above 28/11/2023

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **Shri. Abhishek Verma** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not

be fit for permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the SC / ST / OBC / EWS certificate being verified through proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC / ST/ EWS / OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code or any other Act, for the time being in force, for production of false certificates (*applicable in respect of SC/ST/OBC/EWS candidates*).

5. Hindi version follows.

Signed by
Maneesh Kumar
Date: 22-11-2023 16:39:42
[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To
SHRI. ABHISHEK VERMA,
WARD NO - 7, KANCHANPUR SRIMADHOPUR, SIKAR, RAJASTHAN, PIN -332715

Copy Submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**
5. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.**
6. **The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.**

7. **The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
8. **The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
9. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

/1556834/2023

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/34/2023-ESTT. **Date: .11.2023**

ESTABLISHMENT ORDER NO. 206/2023

(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/86635)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2022 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate's offer of appointment of even no. dated 22.09.2023, communicated after the Rozgar Mela held on 26.09.2023, **Shri. Sithun Prakash P K**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F. No. A.12034/SSC/07/2022-Ad.lll.B dated 08.08.2023 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **UR** category, is appointed, subject to verification of character and antecedents, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level-7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **09.11.2023 (F.N).**

2. **Shri. Sithun Prakash P K** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant ***DoPT O.M.***s in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **Shri. Sithun Prakash P K** is not fit for permanent absorption or if at any time during

done 28/11/2023

such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. Hindi version follows.

Signed by
Maneesh Kumar
Date: 22-11-2023 16:39:15

[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To
SITHUN PRAKASH P K
SINSHALAYAM, CHALODE, EDAYANNUR PO, KANNUR, KERALA, PIN 670595

Copy Submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**
5. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.**
6. **The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.**
7. **The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
8. **The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
9. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

/1556828/2023

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/34/2023-ESTT. **Date: .11.2023**

ESTABLISHMENT ORDER NO. 205 /2023

(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/86645)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2022 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate's offer of appointment of even no. dated 22.09.2023, communicated after the Rozgar Mela held on 26.09.2023, **Shri. Sanoopkumar N**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F. No. A.12034/SSC/07/2022-Ad.lll.B dated 08.08.2023 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **UR** category, is appointed, subject to verification of character and antecedents, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level–7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **06.11.2023 (F.N).**

2. **Shri. Sanoopkumar N** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant ***DoPT O.M.***s in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **Shri. Sanoopkumar N** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for

permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. Hindi version follows.

Signed by
Maneesh Kumar
Date: 22-11-2023 16:38:50

[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To
SANOOPKUMAR N ,
KOOTTAKUNNEL, EZHACHERY, KOTTAYAM, KERALA, PIN - 686651

Copy Submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**
5. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.**
6. **The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.**
7. **The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
8. **The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
9. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

/1556820/2023

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/34/2023-ESTT. **Date: .11.2023**

ESTABLISHMENT ORDER NO. 204/2023

(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/86634)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2022 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate's offer of appointment of even no. dated 22.09.2023, communicated after the Rozgar Mela held on 26.09.2023, **Shri. Shabarish K M**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F. No. A.12034/SSC/07/2022-Ad.lll.B dated 08.08.2023 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **UR** category, is appointed, subject to verification of character and antecedents, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level–7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **03.11.2023 (A.N).**

2. **Shri. Shabarish K M** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant ***DoPT O.M.****s* in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **Shri. Shabarish K M** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for

done 28/11/2023

permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. Hindi version follows.

Signed by
Maneesh Kumar
Date: 22-11-2023 16:38:25

[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To
SHRI. SHABARISH K.M,
SRIKRISHNA NIVAS, AYAKKAD, THRIKKARIYOOR P O, KOTHAMANGALAM, ERNAKULAM, KERALA, PIN 686692

Copy Submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**
5. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.**
6. **The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.**
7. **The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
8. **The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
9. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/34/2023-ESTT. **Date: .11.2023**

ESTABLISHMENT ORDER NO. 203/2023

(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/86663)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2022 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate's offer of appointment of even no. dated 22.09.2023, communicated after the Rozgar Mela held on 26.09.2023, **Shri. Utkarsh Singh**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F. No. A.12034/SSC/07/2022-Ad.lll.B dated 08.08.2023 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **OBC** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and caste certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level–7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **01.11.2023 (F.N).**

2 **Shri. Utkarsh Singh** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant ***DoPT O.M.***s in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **Shri. Utkarsh Singh** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for

down 28/11/2023

permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the SC / ST / OBC / EWS certificate being verified through proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC / ST/ EWS / OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code or any other Act, for the time being in force, for production of false certificates (*applicable in respect of SC/ST/OBC/EWS candidates*).

5. Hindi version follows.

Signed by
Maneesh Kumar
[MANEESH KUMAR]
[Date: 12-11-2023 16:07:15]
COMMISSIONER

To
SHRI. UTKARSH SINGH,
207-A/35, NAI BASTI, MIRJAPUR, KALYANPUR, KANPUR, KANPUR NAGAR, UTTAR PRADESH, PIN - 208017

Copy Submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**
5. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.**
6. **The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.**
7. **The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.**

8. **The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
9. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

/155683/2023

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/34/2023-ESTT. **Date: .11.2023**

ESTABLISHMENT ORDER NO. 202/2023

(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/86658)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2022 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate's offer of appointment of even no. dated 22.09.2023, communicated after the Rozgar Mela held on 26.09.2023, **Shri. Arvind Kumar Geela**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F. No. A.12034/SSC/07/2022-Ad.lll.B dated 08.08.2023 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **OBC** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and caste certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level–7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **31.10.2023 (F.N).**

2 **Shri. Arvind Kumar Geela** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant ***DoPT O.M.s*** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **Shri. Arvind Kumar Geela** is not fit for permanent absorption or if at any time

done 28/11/2023

during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the SC / ST / OBC / EWS certificate being verified through proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC / ST/ EWS / OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code or any other Act, for the time being in force, for production of false certificates (*applicable in respect of SC/ST/OBC/EWS candidates*).

5. Hindi version follows.

Signed by
Maneesh Kumar
Date: 22-11-2023 16:37:17

[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To
SHRI. ARVIND KUMAR GEELA,
VILLAGE GADRI, TEHSIL KISHANGARH, RENWAL, DIST JAIPUR, RAJASTHAN, PIN 303602

Copy Submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**
5. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.**
6. **The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.**

7. **The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
8. **The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
9. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

/1538738/2023

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/23/2022-ESTT Date: 13.11.2023

ORDER NO. 201/2023

Sub: Transfer and postings in the grades of Havaldar and Head Havaldar - Central Tax and Central Excise, Kochi Commissionerate - Reg.

The following transfer and postings in the grades of Head Havaldar and Havaldar of Central Tax and Central Excise, Kochi Commissionerate, are hereby ordered with immediate effect:

Sl. No.	Name & Designation (S/Shri./Smt.)	Date of Birth	From	To
1	Prabha N.P., Havaldar	15.03.1968	UoT to Central Tax and Central Excise Commissionerate, Kochi	Kakkanad Ranges 4 & 5
2	Raju T.K., Havaldar	01.03.1967	UoT to Central Tax and Central Excise Commissionerate, Kochi	Thrissur Division
3	Thomas Jackson M.J., Head Havaldar	23.04.1973	Kakkanad Ranges 1 to 5	Kakkanad Ranges 1, 2 & 3

2. The above officers must be relieved and should join their new place of posting latest by **16.11.2023**.
3. Report compliance on 20.11.2023.
4. This is issued with the approval of the competent authority.

done 28/11/2023

/1538738/2023

5. Hindi Version follows.

Signed by
Bindu C T
Date: 13-11-2023 14:13:47

[C.T. Bindu]
Deputy Commissioner [P&V]

To:

The individuals (Through the Supervisory Officers concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi.**

Copy to:

1. **All Deputy / Assistant Commissioners in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate.**
2. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer/ Administrative Officer (DDO), Central Tax & Central Excise, HqrsKochi.**
3. **The Administrative Officer (DDO), Central Tax & Central Excise, in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate.**
4. **The Superintendent (Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
5. **The Superintendent (Systems) – for uploading in website.**
6. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

/1537052/2023

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/28/2023-ESTT Date: .11.2023

ORDER No. 200/2023

Sub: Transfer & Postings in the cadre of Inspector, Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate - reg.

Consequent to issue of Inter Commissionerate Transfer Order No. 196/2023 dated 08.11.2023, the following transfer & postings in the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate is hereby ordered with immediate effect.

Sl No	Name (S/Shri./Smt.)	DOB	From	To
1	ARDRA B	10.12.1995	*UOT to Kochi Commissionerate*	Adjudication Section, Hqrs, Kochi
2	RAM KISHORE K	05.11.1993	*UOT to Kochi Commissionerate*	Ernakulam Range 5
3	SUMIT KUMAR RANJAN	07.08.1996	*UOT to Kochi Commissionerate*	Ernakulam Range 1
4	UTKARSH SINGH	19.10.1998	*UOT to Kochi Commissionerate*	Systems, Hqrs, Kochi
5	SHABARISH K M	29.05.1995	*UOT to Kochi Commissionerate*	Anti- Evasion, Hqrs, Kochi

2. Supervisory officers shall ensure that the officers are relieved from their previous post only after proper relieving/handing over notes are mutually exchanged so as to ensure smooth transition. The officers are to join their new place of posting latest by **10.11.2023**. Supervisory officers

will be held responsible if the officers are not getting relieved within the stipulated time.

3. No representation shall be entertained from any officer before his/ her joining the new place of posting.

4. Report compliance by **13.11.2023**.

Signed by
Maneesh Kumar
Date: 10-11-2023 16:39:02

[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To:

The Individual (Through the Supervisory Officer concerned)

Copy submitted to:

1. The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.

Copy to:

1. All Dy./Asstt. Commissioner in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi.

2. The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Hqrs. Kochi.

3. The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Kochi.

4. The Superintendent (Systems)) – for uploading in website.

5. Hindi Cell – for Hindi Version.

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/4/2023-ESTT Date:06.11.2023

ORDER No.199/2023

Sub: Transfer & Postings in the cadre of Superintendent & Inspector, Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone - reg.

The following transfer & postings in the cadre of Superintendent & Inspector of Central Tax & Central Excise is hereby ordered with immediate effect.

Sl No	Name (S/Shri./Smt.) & Designation	DOB	From	To
1.	Ajeet Kumar, Superintendent	08.07.1983	(Airport,Kannur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram
2.	Ramakrishna Dasari, Inspector	20.04.1990	(Airport,Kannur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram

2. Supervisory officers shall ensure that the officers are relieved from their previous post only after proper relieving/handing over notes are mutually exchanged so as to ensure smooth transition. The officers are to be relieved on **06.11.2023** and are to join their new place of posting on **07.11.2023**. Supervisory officers will be held responsible if the officers are not getting relieved within the stipulated time.

done
6/11/2023

3. This is issued with the approval of the Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.

4. Report compliance by 08.11.2023.

06/11/23

[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To:

The Individual (Through the Supervisory Officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Customs (Preventive), Kochi.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram.**
3. **The Superintendent (Confl/Vig.), Kochi.**
4. **The Superintendent (Systems)) – for uploading in website.**
5. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

/1529827/2023

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड. कोचिन. I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/23/2022-ESTT Date: 08.11.2023

ORDER NO.198/2023

Sub: Postings in the grade of Havaldar- Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone - Reg.

The following postings in the grade of Havaldar of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone are hereby ordered with immediate effect:

Sl. No.	Name & Designation (S/Shri./ Smt./Kum.)	Date of Birth	Present Commissionerate	Posted To
1	Veena M J	20.09.1996	On joining	Central Tax &Central Excise Commissionerate, Kozhikode
2	Prabha N.P.	15.03.1968	On joining	Central Tax &Central Excise Commissionerate, Kochi
3	Raju T.K.	01.03.1967	On joining	Central Tax &Central Excise Commissionerate, Kochi
4	Karthyani C.	10.04.1967	On joining	Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin
5	Sundharan M.	10.03.1967	On joining	Customs (Preventive) Commissionerate,

done 28/11/2023

				Cochin
6	SankaranKutty K.	15.04.1968	On joining	Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin
7	Rugmani C.	15.05.1967	On joining	Central Tax &Central Excise Commissionerate, Kozhikode
8	Mohammed Sherif M.H.	18.04.1971	On joining	Central Tax &Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram
9	Manoj P.	20.12.1968	On joining	Central Tax &Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram
10	Rajan V.K.	06.02.1969	On joining	Central Tax &Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram
11	Ansari K.M.	25.05.1971	On joining	Central Tax &Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram
12	Rema L.	11.05.1967	On joining	Central Tax &Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram
13	Gireesh Kumar S.	15.05.1969	On joining	Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin
14	Jayakumar K.	12.05.1969	On joining	Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin
15	Ambili Raj B.	30.05.1973	On joining	Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin
16	Anilkumar D.	17.05.1973	On joining	Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin
17	Sajikumar G.	30.05.1971	On joining	Central Tax &Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram

2. This is issued with the approval of the Chief Commissioner of Central Tax &

Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.

3. Hindi Version follows.

Signed by
Bindu C T
Date: 08-11-2023 14:54:30
[C.T. Bindu]
Deputy Commissioner(P&V)

To:
The Individuals (Through the Supervisory Officers concerned)
Copy submitted to:
1. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kozhikode.**
3. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
5. **The Commissioner of Customs (Preventive), Kochi.**
6. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**
7. **The Additional Director General, DGGI/ NACIN/ DRI Regional Unit, Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Kochi.**

Copy to:
1. **All Deputy / Assistant Commissioners in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate.**
2. **The Deputy / Assistant Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Customs (Preventive)/ Appeals/ Audit Comm'tes.**
3. **The Chief Accounts Officer / Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Thiruvanathapuram/ Kochi/ Kozhikode/Appeals/ Audit/ Customs (Preventive) Comm'tes.**
4. **The Administrative Officer (DDO) Central Tax & Central Excise, Thiruvanathapuram/ Kochi/ Kozhikode/Appeals/ Audit/ Customs (Preventive) Comm'tes.**
5. **The Superintendent (Vig./Hqrs.) Central Tax & Central Excise, Thiruvanathapuram/ Kochi/ Kozhikode /Appeals/ Audit/ Customs (Preventive) Comm'tes.**
6. **The Superintendent (Systems) – for uploading in website.**
7. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

/1529584/2023

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/39/2022-Estt **Date: 08.11.2023**

ORDER NO. 197/2023

Sub: Postings in the grade of Tax Assistant – Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone - Reg.

The following postings in the grade of Tax Assistant are hereby ordered with immediate effect:

Sl. No	Name (S/Shri.)	Date of birth	Transferred	
			From	To
1.	Drupad Nair	21.05.1997	On joining	Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Commissionerate
2.	Rinkesh Kumar Beelwal	19.12.1997	On joining	Central Tax & Central Excise, Kozhikode Commissionerate

2. This is issued with the approval of the competent authority.

3. Hindi version follows.

Signed by
Bindu C T
Date: 08-11-2023 14:12:07
[C.T. Bindu]
Deputy Commissioner [P&V]

To

The individuals (Through the supervisory officers concerned)

done 28/11/2023

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**

/1528789/2023

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/28/2023-ESTT. **Date: .11.2023**

ORDER No. 196/2023

Sub: Transfer & Postings in the cadre of Inspector, Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone - reg.

The following transfer & postings in the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise is hereby ordered with immediate effect.

Sl No	Name (S/Shri./Smt.)	DOB	From	To
1	ARDRA B	10.12.1995	*New recruit (CGLE 2022)*	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
2	RITIK	23.09.2000	*New recruit (CGLE 2022)*	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
3	RAM KISHORE K	05.11.1993	*New recruit (CGLE 2022)*	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
4	RAHUL SONI	03.11.1999	*New recruit (CGLE 2022)*	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
5	BIPUL PANDIT	15.02.1995	*New recruit (CGLE 2022)*	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
6	SUMIT KUMAR RANJAN	07.08.1996	*New recruit (CGLE 2022)*	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
7	PALASH SAHU	24.08.1994	*New recruit (CGLE 2022)*	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin

28/11/2023

8	NEERAJ KUMAR JHURAWAT	22.12.2002	*New recruit (CGLE 2022)*	Central Tax & Central Excise, Appeals Commissionerate, Kochi
9	ARVIND KUMAR GEELA	01.06.1995	*New recruit (CGLE 2022)*	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
10	UTKARSH SINGH	19.10.1998	*New recruit (CGLE 2022)*	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
11	SHABARISH K M	29.05.1995	*New recruit (CGLE 2022)*	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi

2. The officers are to join their new place of posting latest by **07.11.2023**.

3. No representation shall be entertained from any officer before his/ her joining the new place of posting.

4. This is issued with the approval of the Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.

5. Report compliance by **09.11.2023**.

Signed by
Maneesh Kumar
Date: 08.11.2023 11:54:31

[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To:

The Individuals (Through the Supervisory Officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copies to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kozhikode.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Kochi.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Audit), Kochi.**
5. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Appeals), Kochi.**
6. **The Additional Director General, DGGI/ DRI Regional Unit, Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Kochi.**
7. **All Dy./Asstt. Commissioner in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi.**
8. **The Deputy/Asst. Commissioner in Thiruvananthapuram/Kozhikode/Custom Preventive/ Audit, Kochi.**
9. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Hqrs. Kochi/ Thiruvananthapuram/ Kozhikode/Custom Preventive/ Audit, Kochi.**

10. **The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Kochi/Kozhikode/ Thiruvananthapuram /CCP / Audit.**
11. **The Superintendent (EDP) – for uploading in website.**
12. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

/1521835/2023

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/23/2023-Estt Date: 06 .11.2023

ORDER NO. 195/2023
(DGHRD Appointment Order No. Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/HAVALDAR/85162)

Sub: Appointment to the grade of Havaldar, through SSC Multi-Tasking (Non-Technical) Staff, and Havaldar (CBIC & CBN) Examination, 2021 – Reg.

On acceptance of this Central Tax and Central Excise Commissionerate's Offer of appointment of even no. dated 18.07.2023, **Kum. Veena M J,** a candidate allocated by the Ministry for appointment as Havaldar vide letter F.No.A.1 2034/SSC/06/2020-Ad.III.B dated 09.05.2023 and DGHRD's letter F. No. 8/B/37/HRD(HRM)/2019/Pt.I dated 11.05.2023 under **UR category**, is appointed as Havaldar in Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone on temporary capacity, subject to verification of character and antecedents, in Level – 1 in the pay matrix (Rs. 18,000-56,900) plus such allowances as may be sanctioned by the Government of India with effect from **03.11.2023 (F.N).**

2. **Kum. Veena M J** is informed that she will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The Appointing Authority may, if he thinks fit, extend the period of probation.

3. If on the expiration of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, the appointing authority is of the opinion that the above candidate is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that she will not be fit for permanent absorption on the expiration of such period or extension, the appointing authority may terminate her services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that her appointment is provisional and is subject to the caste/tribe certificate being verified through the proper channel and if

done 28/11/2023

the verification reveals that her claim to belong to SC/ST/OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, her services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provision of the I.P.C. or any other Act, for the time being in force, for production of false certificate (applicable in respect of SC/ST/OBC candidates).

5. Hindi version follows.

Signed by
Rani C R
Date: 06-11-2023 12:59:15

[Rani C.R.]
Additional Commissioner [P&V]

To

Veena M J
D/o Jayan M D
Mozhikunnath Mana, Panikkamadom Road,
Arakkinar P.O., Kozhikode District,
Kerala – 673028.

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**

Copy to:

1. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The Superintendent (Vigilance/Hqrs.), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi - for uploading on website.**
4. **The Senior Translation Officer, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(39)/155/2021-Estt **Date: 31.10.2023**

ORDER NO. 194/2023

Sub: Regularisation of Part-Time Casual Laboures - Appointment to the grade of Havaldar - Reg.

As per Board's letter F.No.C.18013/25/2009-Ad.IIIB dated 05.12.2022 and on the basis of the recommendation of the Committee held on 25.10.2023 which considered regularization of Part-Time Casual Labourers under the Part-Time Casual Labourers (Regularisation) Scheme of CBIC 2020, the following Part-Time Casual Labourers are hereby appointed to officiate as Havaldar (Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial) in Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone, subject to verification of character and antecedents, in Level – 1 in the pay matrix (Rs. 18,000-56,900) plus such allowances as may be sanctioned by the Government of India with effect from the date of joining the post.

Sl No:	Name (S/Shri./Smt.)	Category	Date of birth
1	Prabha N.P.	OBC	15.03.1968
2	Raju T.K.	SC	01.03.1967
3	Karthyani C.	SC	10.04.1967
4	Sundharan M.	SC	10.03.1967
5	Sankaran Kutty K.	SC	15.04.1968
6	Rugmani C.	SC	15.05.1967
7	Mohammed Sherif M.H.	OBC	18.04.1971
8	Manoj P.	OBC	20.12.1968
9	Rajan V.K.	SC	06.02.1969
10	Ansari K.M.	OBC	25.05.1971
11	Rema L.	SC	11.05.1967
12	Gireesh Kumar S.	OBC	15.05.1969
13	Jayakumar K.	OBC	12.05.1969

done 28/11/2023

14	Ambili Raj B.	OBC	30.05.1973
15	Anilkumar D.	OBC	17.05.1973
16	Sajikumar G.	OBC	30.05.1971

2 . If they accept the offer of appointment on the conditions mentioned in this offer, they should appear before the Deputy Commissioner (P&V), Central Tax and Central Excise, C R Building, I S Press Road, Kochi on or before **17.11.2023**. If they fail to report for duty within the specified time limit, this order of appointment will be treated as cancelled.

3. You are required to bring the following documents (in original) along with 3 (three) sets of photocopies at the time of reporting for duty:

a. **Matriculation/High School Certificate showing Date of Birth.**
b. **All other Academic Certificates showing Educational Qualifications and also subjects studied at various levels.**
c. **Certificates in support of your claim regarding experience and Certificates about Extra-Curricular Activities.**
d. **Certificates in support of your claim as SC/ST/OBC/EWS/EX-Service/PWD, if applicable.**
e. **Aadhaar Card.**

4 . You are also required to bring the following documents. [Format of the documents are available on Kochi Commissionerate website - ***http://www.cenexcisekochi.gov.in/ssc-recruitment/].***

a. **Completely filled 3 (three) copies of attestation form with Identity certificate and Character certificate** (Annexure-II)**. Identity Certificates and Character Certificates have to be obtained from three different Gazetted Officers.**
b. **You should accept the conditions of service given in** 'Annexure-I'.
c. **You are required to undergo the prescribed Medical examination and to produce the Medical Certificate from a Medical Officer not below the rank of Civil Surgeon** (Annexure-III - Candidates statement and declaration & medical certificate)**. Certificate should be produced in triplicate.**

5. They are informed that their appointment to the grade of Havaldar is purely on a temporary and provisional basis and they are liable to be discharged from service at any time without assigning any reasons.

6. They are further informed that they will be on probation for a period of two years. The Appointing Authority may, if he thinks fit, extend the period of probation.

7. The department will not pay any traveling or other expenses to the candidate at the time of joining.

Signed by
Rani C R
Date: 31-10-2023 17:38:35

[Rani C.R.]
Additional Commissioner [P&V]

To

1. **Smt. Prabha N.P., Part-Time Casual Labourer,**
   Central Tax and Central Excise, Kochi.

2. **Shri. Raju T.K., Part-Time Casual Labourer, Central Tax and Central Excise, Kozhikode.**
3. **Smt. Karthyani C., Part-Time Casual Labourer, Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin.**
4. **Shri. Sundharan M., Part-Time Casual Labourer, Central Tax and Central Excise, Kozhikode.**
5. **Shri. Sankaran Kutty K., Part-Time Casual Labourer, Central Tax and Central Excise, Kozhikode.**
6. **Smt. Rugmani C., Part-Time Casual Labourer, Central Tax and Central Excise, Kozhikode.**
7. **Shri. Mohammed Sherif M.H., Part-Time Casual Labourer, Central Tax and Central Excise, Kochi.**
8. **Shri. Manoj P., Part-Time Casual Labourer, Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram.**
9. **Shri. Rajan V K, Part-Time Casual Labourer, Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram.**
10. **Shri. Ansari K. M., Part-Time Casual Labourer, Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram.**
11. **Smt. Rema L., Part-Time Casual Labourer, Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram.**
12. **Shri. Gireesh Kumar S., Part-Time Casual Labourer, Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram.**
13. **Shri. Jayakumar K., Part-Time Casual Labourer, Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin.**
14. **Shri. Ambili Raj B., Part-Time Casual Labourer, Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin.**
15. **Shri. Anilkumar D., Part-Time Casual Labourer, Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram.**
16. **Shri. Sajikumar G., Part-Time Casual Labourer, Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram.**

(Through the supervisory officers concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi/Thiruvananthapuram/Kozhikode/Audit/Appeals/CCP.**

Copy to:

1. **The Additional/Joint Commissioner (P&V), Central Tax and Central Excise, Kozhikode/ Thiruvananthapuram / CCP.**
2. **The Assistant/Deputy Commissioner in charge of all divisions under Kochi/Thiruvananthapuram/Kozhikode/Audit/Appeals/CCP.**

3. **The Superintendent (Vig/Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs., Kochi/Thiruvananthapuram/Kozhikode/Audit/Appeals/CCP.**
4. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs., Kochi/Thiruvananthapuram/Kozhikode/Audit/Appeals/CCP.**
5. **The Senior Translation Officer, Central Tax and Central Excise Hqrs., Kochi.**

/1505843/2023

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/32/2023-Estt-Part(1) **Date: 30.10.2023**

ORDER NO. 193/2023
(DGHRD Appointment Order No. Thirvananthpuram GST & CX/CCO & CCA/ TAX ASSISTANT/86642)

Sub: Appointment to the grade of Tax Assistant through SSC – Combined Graduate Level Examination, 2022 – Reg

On acceptance of this Central Tax and Central Excise Commissionerate's Offer of appointment of even no. dated 21.09.2023, **Shri. Rinkesh Kumar Beelwal,** a candidate allocated by the Ministry for appointment as Tax Assistant under **SC category** vide letter F.No.A.12034/SSC/07/2022-Ad.III(B) dated 08.08.2023, is appointed as Tax Assistant in Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone on temporary capacity, subject to verification of character and antecedents, in Level – 4 in the pay matrix (Rs. 25,500-81,100) plus such allowances as may be sanctioned by the Government of India with effect from **30.10.2023 (A.N).**

2. **Shri. Rinkesh Kumar Beelwal** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The Appointing Authority may, if he thinks fit, extend the period of probation.

3. If on the expiration of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, the appointing authority is of the opinion that the above candidate is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiration of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

done 28/11/2023

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the caste/tribe certificate being verified through the proper channel and if the verification reveals that his claim to

belong to SC/ST/OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provision of the I.P.C. or any other Act, for the time being in force, for production of false certificate (applicable in respect of SC/ST/OBC candidates).

5. Hindi version follows.

Signed by
Rani C R
Date: 30-10-2023 18:21:59

[Rani C.R.]
Additional Commissioner [P&V]

To

Shri. Rinkesh Kumar Beelwal
S/o Haricharan Bairwa,
Village-Bholupura, Post-Makanpur,
Dist & Teh – Karauli,
Rajasthan - 322255.

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**

Copy to:

1. **The Superintendent (Vigilance), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi - for uploading on website.**
4. **The Senior Translation Officer, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**

/1505834/2023

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/32/2023-Estt **Date: 30.10.2023**

ORDER NO. 192/2023
(DGHRD Appointment Order No. Thirvananthpuram GST & CX/CCO & CCA/ TAX ASSISTANT/86628)

Sub: Appointment to the grade of Tax Assistant through SSC – Combined Graduate Level Examination, 2022 – Reg

On acceptance of this Central Tax and Central Excise Commissionerate's Offer of appointment of even no. dated 21.09.2023, **Shri. Drupad Nair,** a candidate allocated by the Ministry for appointment as Tax Assistant under **UR category** vide letter F.No.A.12034/SSC/07/2022-Ad.III(B) dated 08.08.2023, is appointed as Tax Assistant in Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone on temporary capacity, subject to verification of character and antecedents, in Level – 4 in the pay matrix (Rs. 25,500-81,100) plus such allowances as may be sanctioned by the Government of India with effect from **27.10.2023 (F.N).**

2. **Shri. Drupad Nair** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The Appointing Authority may, if he thinks fit, extend the period of probation.

3. If on the expiration of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, the appointing authority is of the opinion that the above candidate is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiration of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the caste/tribe certificate being verified through the proper channel and if the verification reveals that his claim to

done 28/11/2023

belong to SC/ST/OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provision of the I.P.C. or any other Act, for the time being in force, for production of false certificate (applicable in respect of SC/ST/OBC candidates).

5. Hindi version follows.

Signed by
Rani C R
Date: 30-10-2023 18:20:36

[Rani C.R.]
Additional Commissioner [P&V]

To

Shri. Drupad Nair
S/o Rajendranathan Nair M.,
Sivadarsanam, 133-B, New Kannimel Nagar,
II Milestone, Kilikollur,
Kollam, Kerala - 691004.

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**

Copy to:

1. **The Superintendent (Vigilance), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi - for uploading on website.**
4. **The Senior Translation Officer, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**

/1519445/2023

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/34/2023-ESTT.

ESTABLISHMENT ORDER NO.191/2023

(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/86669)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2022 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate's offer of appointment of even no. dated 22.09.2023, communicated after the Rozgar Mela held on 26.09.2023, **Shri. Sumit Kumar Ranjan**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F. No. A.12034/SSC/07/2022-Ad.III.B dated 08.08.2023 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **SC** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and caste certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level–7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **10.10.2023 (F.N).**

2. **Shri. Sumit Kumar Ranjan** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant ***DoPT O.M.***s in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **Shri. Sumit Kumar Ranjan** is not fit for permanent absorption or if at any time

done 28/11/2023

during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the SC / ST / OBC / EWS certificate being verified through proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC / ST/ EWS / OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code or any other Act, for the time being in force, for production of false certificates (*applicable in respect of SC/ST/OBC/EWS candidates*).

5. Hindi version follows.

Signed by
Maneesh Kumar
Date: 03-11-2023 17:13:06

[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To

SHRI. SUMIT KUMAR RANJAN,
C/O MOTI RABIDAS, AMBEDKAR NAGAR, SILAO PO, SILAO PS, SILAO, NALANDA, BIHAR, PIN - 803117

Copy Submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**
5. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.**
6. **The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.**

7. The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.
8. The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.
9. Hindi Cell – for Hindi Version.

/1519458/2023

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/34/2023-ESTT.

ESTABLISHMENT ORDER NO.190/2023

(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/86648)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2022 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate offer of appointment of even no. dated 22.09.2023, **Shri. Shubham Kumar Jha**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F. No. A.12034/SSC/07/2022-Ad.III.B dated 08.08.2023 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **UR** category, is appointed, subject to verification of character and antecedents, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level–7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **29.09.2023 (F.N).**

2. **Shri. Shubham Kumar Jha** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant ***DoPT O.M.***s in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **Shri. Shubham Kumar Jha** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not

28/11/2023

be fit for permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. Hindi version follows.

Signed by
Maneesh Kumar
Date: 03-11-2023 17:14:30

[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To

SHRI. SHUBHAM KUMAR JHA,
HOUSE NO 57, SHIVPUR, BEHIND SHIV MANDIR, GODDA DISTRICT, JHARKHANS , PIN -814133

Copy Submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**
5. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.**
6. **The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.**
7. **The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
8. **The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
9. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

/1519441/2023

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/34/2023-ESTT.

ESTABLISHMENT ORDER NO.189/2023

(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/86655)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2022 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate's offer of appointment of even no. dated 22.09.2023, communicated after the Rozgar Mela held on 26.09.2023, **Shri. Saurav Kumar**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F. No. A.12034/SSC/07/2022-Ad.lll.B dated 08.08.2023 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **OBC** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and caste certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level–7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **03.10.2023 (F.N).**

2 **Shri. Saurav Kumar** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant ***DoPT O.M.***s in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **Shri. Saurav Kumar** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for

permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the SC / ST / OBC / EWS certificate being verified through proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC / ST/ EWS / OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code or any other Act, for the time being in force, for production of false certificates (*applicable in respect of SC/ST/OBC/EWS candidates*).

5. Hindi version follows.

Signed by
Maneesh Kumar
Date: 03-11-2023 17:12:39

[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To

SHRI. SAURAV KUMAR,
VILLAGE UTTARNAWAN POST UTTARNAWAN POLICE STATION RAHUI BIHAR SHARIF, NALANDA, BIHAR PIN:803119

Copy Submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**
5. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.**
6. **The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.**
7. **The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.**

8. **The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
9. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

/1519438/2023

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 **Phone: 0484-2390404**

GEXCOM/II/(3)/34/2023-ESTT.

ESTABLISHMENT ORDER NO.188/2023

(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/86649)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2022 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate's offer of appointment of even no. dated 22.09.2023, communicated after the Rozgar Mela held on 26.09.2023, **Shri. Ritik** , a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F. No. A.12034/SSC/07/2022-Ad.lll.B dated 08.08.2023 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **UR** category, is appointed, subject to verification of character and antecedents, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level–7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **19.10.2023 (F.N).**

2. **Shri. Ritik** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant ***DoPT O.M.***s in this regard.

done 28/11/2023

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **Shri. Ritik** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for

permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. Hindi version follows.

Signed by
Maneesh Kumar
[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To

SHRI. RITIK,
VILLAGE BASOUDI, PO BAROLI, DIST SONIPAT, HARYANA, PIN 131021

Copy Submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**
5. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.**
6. **The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.**
7. **The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
8. **The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
9. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

/1519435/2023

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 **Phone: 0484-2390404**

GEXCOM/II/(3)/34/2023-ESTT.

ESTABLISHMENT ORDER NO.187/2023

(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/86647)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2022 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate's offer of appointment of even no. dated 22.09.2023, communicated after the Rozgar Mela held on 26.09.2023, **Shri. Rana Bhanu Pratap Singh**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F. No. A.12034/SSC/07/2022-Ad.lll.B dated 08.08.2023 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **UR** category, is appointed, subject to verification of character and antecedents, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level–7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **05.10.2023 (F.N).**

2. **Shri. Rana Bhanu Pratap Singh** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant ***DoPT O.M.s*** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **Shri. Rana Bhanu Pratap Singh** is not fit for permanent absorption or if at any

done 28/11/2023

time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. Hindi version follows.

Signed by
Maneesh Kumar
Date: 03-11-2023 17:11:35

[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To

SHRI RANA BHANU PRATAP SINGH,
NEW COLONY, DIPU GARHA, HAZARIBAGH DIST, JHARKHAND, PIN 825301

Copy Submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**
5. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.**
6. **The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.**
7. **The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
8. **The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
9. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

/1519466/2023

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/34/2023-ESTT.

ESTABLISHMENT ORDER NO.186/2023

(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/86650)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2022 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate's offer of appointment of even no. dated 22.09.2023, communicated after the Rozgar Mela held on 26.09.2023, **Shri. Ram Kishore K**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F. No. A.12034/SSC/07/2022-Ad.lll.B dated 08.08.2023 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **OBC** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and caste certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level–7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **11.10.2023 (F.N).**

2. **Shri. Ram Kishore K** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant ***DoPT O.M.s*** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **Shri. Ram Kishore K** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for

done 28/11/2023

permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the SC / ST / OBC / EWS certificate being verified through proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC / ST/ EWS / OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code or any other Act, for the time being in force, for production of false certificates (*applicable in respect of SC/ST/OBC/EWS candidates*).

5. Hindi version follows.

Signed by
Maneesh Kumar
Date: 03-11-2023 17:15:03

[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To

SHRI. RAM KISHORE K,
AMMA KIZHAKKETHODI PO GURUVAYOORAPPAN COLLEGE, KOZHIKODE,
KERALA, PIN 673014

Copy Submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**
5. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.**
6. **The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.**
7. **The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.**

8. **The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
9. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

/1519474/2023

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/34/2023-ESTT.

ESTABLISHMENT ORDER NO.185/2023

(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/86665)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2022 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate's offer of appointment of even no. dated 22.09.2023, communicated after the Rozgar Mela held on 26.09.2023, **Shri. Rajanish Rai**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F. No. A.12034/SSC/07/2022-Ad.lll.B dated 08.08.2023 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **EWS** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and EWS certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level–7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **06.10.2023 (F.N).**

2. **Shri. Rajanish Rai** , is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant ***DoPT O.M.***s in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **Shri. Rajanish Rai** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for

done 28/11/2023

permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the SC / ST / OBC / EWS certificate being verified through proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC / ST/ EWS / OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code or any other Act, for the time being in force, for production of false certificates (*applicable in respect of SC/ST/OBC/EWS candidates*).

5. Hindi version follows.

Signed by
Maneesh Kumar
Date: 06-11-2023 17:19:33

[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To

SHRI. RAJANISH RAI,
VILLAGE AND POST-AMILA TEHSIL GHOSI, MAU, UTTAR PRADESH PIN: 275301

Copy Submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**
5. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.**
6. **The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.**
7. **The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.**

8. **The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
9. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

/1519482/2023

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/34/2023-ESTT.

ESTABLISHMENT ORDER NO.184/2023

(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/86666)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2022 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate's offer of appointment of even no. dated 22.09.2023, communicated after the Rozgar Mela held on 26.09.2023, **Shri. Rahul**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F. No. A.12034/SSC/07/2022-Ad.lll.B dated 08.08.2023 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **EWS** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and EWS certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level–7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **06.10.2023 (F.N).**

2. **Shri. Rahul** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant ***DoPT O.M.***s in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **Shri. Rahul** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for

28/11/2023

permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the SC / ST / OBC / EWS certificate being verified through proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC / ST/ EWS / OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code or any other Act, for the time being in force, for production of false certificates (*applicable in respect of SC/ST/OBC/EWS candidates*).

5. Hindi version follows.

Signed by
Maneesh Kumar
Date: 03-11-2023 17:16:10
[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To

SHRI. RAHUL,
A-395, A-BLOCK, SHAHID SUKHDEV NAGAR, WAIZPUR INDUSTRIAL AREA, DIST NORTH WEST DELHI, DELHI, PIN - 110052

Copy Submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**
5. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.**
6. **The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.**
7. **The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.**

8. **The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
9. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

/1519561/2023

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/34/2023-ESTT.

ESTABLISHMENT ORDER NO.183/2023

(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/86674)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2022 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate's offer of appointment of even no. dated 22.09.2023, communicated after the Rozgar Mela held on 26.09.2023, **Shri. Rahul Soni**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F. No. A.12034/SSC/07/2022-Ad.lll.B dated 08.08.2023 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **OBC** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and caste certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level–7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **09.10.2023 (F.N).**

2 Shri. Rahul Soni is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant ***DoPT O.M.s*** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **Shri. Rahul Soni** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for

done 28/11/2023

permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the SC / ST / OBC / EWS certificate being verified through proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC / ST/ EWS / OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code or any other Act, for the time being in force, for production of false certificates (*applicable in respect of SC/ST/OBC/EWS candidates*).

5. Hindi version follows.

Signed by
Maneesh Kumar
Date: 03-11-2023 17:25:10

[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To

SHRI. RAHUL SONI,
14 KESHAV NAGAR BLOCK COLONY, NEAR GURU DWARA, DIST SHEOPUR, MADHYA PRADESH, PIN -476337

Copy Submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**
5. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.**
6. **The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.**
7. **The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.**

8. **The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
9. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

/1519595/2023

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/34/2023-ESTT.

ESTABLISHMENT ORDER NO.182/2023

(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/86661)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2022 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate's offer of appointment of even no. dated 22.09.2023, communicated after the Rozgar Mela held on 26.09.2023, **Shri. Palash Sahu**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F. No. A.12034/SSC/07/2022-Ad.lll.B dated 08.08.2023 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **OBC** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and caste certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level–7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **19.10.2023 (F.N).**

2. **Shri. Palash Sahu** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant ***DoPT O.M.s*** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **Shri. Palash Sahu** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for

done 28/11/2023

permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the SC / ST / OBC / EWS certificate being verified through proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC / ST/ EWS / OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code or any other Act, for the time being in force, for production of false certificates (*applicable in respect of SC/ST/OBC/EWS candidates*).

5. Hindi version follows.

Signed by
Maneesh Kumar
Date: 03-11-2023 17:29:11

[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To

SHRI. PALASH SAHU,
422, C SECTOR, SHAKTI NAGAR, BHEL BHOPAL, MADHYA PRADESH, PIN 462024

Copy Submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**
5. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.**
6. **The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.**
7. **The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.**

8. **The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
9. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

/1519607/2023

Azadi Ka Amrit Mahotsav

G20 भारत 2023 INDIA

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/34/2023-ESTT.

ESTABLISHMENT ORDER NO.181/2023

(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/86673)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2022 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate's offer of appointment of even no. dated 22.09.2023, communicated after the Rozgar Mela held on 26.09.2023, **Shri. Neeraj Kumar Jhurawat**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F. No. A.12034/SSC/07/2022-Ad.lll.B dated 08.08.2023 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **ST** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and caste certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level–7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **09.10.2023 (F.N).**

2. **Shri. Neeraj Kumar Jhurawat** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant ***DoPT O.M.s*** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **Shri. Neeraj Kumar Jhurawat** is not fit for permanent absorption or if at any

done 28/11/2023

time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the SC / ST / OBC / EWS certificate being verified through proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC / ST/ EWS / OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code or any other Act, for the time being in force, for production of false certificates (*applicable in respect of SC/ST/OBC/EWS candidates*).

5. Hindi version follows.

Signed by
Maneesh Kumar
Date: 03-11-2023 17:30:04
[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To

SHRI. NEERAJ KUMAR JHURAWAT,
144 SHIV GORAKSHA NAGAR, MODEL TOWN, MALVIYA NAGAR, JAIPUR DIST, RAJASTHAN, PIN - 302017

Copy Submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**
5. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.**
6. **The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.**

7. **The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
8. **The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
9. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

/1519615/2023

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/34/2023-ESTT.

ESTABLISHMENT ORDER NO.180/2023

(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/86633)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2022 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate's offer of appointment of even no. dated 22.09.2023, communicated after the Rozgar Mela held on 26.09.2023, **Smt. Marva Basheer**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F. No. A.12034/SSC/07/2022-Ad.lll.B dated 08.08.2023 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **UR** category, is appointed, subject to verification of character and antecedents, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level–7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **26.09.2023 (F.N).**

2. **Smt. Marva Basheer** is informed that she will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if she thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant ***DoPT O.M.s*** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **Smt. Marva Basheer** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that she will not be fit

done 28/11/2023

for permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate her services or pass such orders as she thinks fit.

4. Hindi version follows.

Signed by
Maneesh Kumar
Date: 03-11-2023 17:30:42

[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To

SMT. MARVA BASHEER,
CHERATTU HOUSE, MADRASA LANE ALUVA -1, ERNAKULAM, KERALA, PIN-683101

Copy Submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**
5. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.**
6. **The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.**
7. **The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
8. **The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
9. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

/1519680/2023

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/34/2023-ESTT.

ESTABLISHMENT ORDER NO.179/2023

(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/86668)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2022 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate's offer of appointment of even no. dated 22.09.2023, communicated after the Rozgar Mela held on 26.09.2023, **Shri. Kasukurthi Nikhil Chakravarthy**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F. No. A.12034/SSC/07/2022-Ad.lll.B dated 08.08.2023 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **SC** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and caste certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level–7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **05.10.2023 (A.N).**

2 Shri. Kasukurthi Nikhil Chakravarthy, is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant ***DoPT O.M.***s in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **Shri. Kasukurthi Nikhil Chakravarthy** is not fit for permanent absorption or if

done 28/11/2023

at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the SC / ST / OBC / EWS certificate being verified through proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC / ST/ EWS / OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code or any other Act, for the time being in force, for production of false certificates (*applicable in respect of SC/ST/OBC/EWS candidates*).

5. Hindi version follows.

Signed by
Maneesh Kumar
Date: 03.11.2023 17:35:29

[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To

SHRI. KASUKURTHI NIKHIL CHAKRAVARTHY
D NO 6-1-158, SANTHINAGAR, PERALA, CHIRALA, PRAKASAM, ANDRA PRADESH, PIN-523157

Copy Submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**
5. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.**
6. **The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.**

7. **The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
8. **The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
9. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

/1519700/2023

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/34/2023-ESTT.

ESTABLISHMENT ORDER NO.178/2023

(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/86651)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2022 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate's offer of appointment of even no. dated 22.09.2023, communicated after the Rozgar Mela held on 26.09.2023, **Shri. Gokul Suresh S**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F. No. A.12034/SSC/07/2022-Ad.lll.B dated 08.08.2023 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **OBC** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and caste certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level–7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **05.10.2023 (F.N).**

2. **Shri. Gokul Suresh S** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant ***DoPT O.M.s*** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **Shri. Gokul Suresh S** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for

permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the SC / ST / OBC / EWS certificate being verified through proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC / ST/ EWS / OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code or any other Act, for the time being in force, for production of false certificates (*applicable in respect of SC/ST/OBC/EWS candidates*).

5. Hindi version follows.

Signed by
Maneesh Kumar
[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To

SHRI. GOKUL SURESH S,
ALAKAPURI, K P LANE,THENNOOR, NEMOM PO, THIRUVANATHAPURAM, KERALA, PIN- 695020

Copy Submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**
5. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.**
6. **The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.**
7. **The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.**

8. **The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
9. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

/1519708/2023

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/34/2023-ESTT.

ESTABLISHMENT ORDER NO.177/2023

(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/86641)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2022 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate's offer of appointment of even no. dated 22.09.2023, communicated after the Rozgar Mela held on 26.09.2023, **Ms. S Gayathry**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F. No. A.12034/SSC/07/2022-Ad.lll.B dated 08.08.2023 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **UR** category, is appointed, subject to verification of character and antecedents, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level–7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **26.09.2023 (F.N).**

2. **Ms. S Gayathry** is informed that she will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if she thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant ***DoPT O.M.s*** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **Ms. S Gayathry** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that she will not be fit for

done 28/11/2023

permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate her services or pass such orders as she thinks fit.

4. Hindi version follows.

Signed by
Maneesh Kumar
[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To

MS. S GAYATHRY
HARIBHAVAN, KACHANI KARAKULAM, THIRUVANATHAPURAM, KERALA, PIN-695564

Copy Submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**
5. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.**
6. **The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.**
7. **The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
8. **The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
9. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

/1519714/2023

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/34/2023-ESTT.

ESTABLISHMENT ORDER NO.176/2023

(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/86656)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2022 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate's offer of appointment of even no. dated 22.09.2023, communicated after the Rozgar Mela held on 26.09.2023, **Shri. Dharmendra Raaz**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F. No. A.12034/SSC/07/2022-Ad.lll.B dated 08.08.2023 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **OBC** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and caste certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level–7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **26.09.2023 (F.N).**

2. **Shri. Dharmendra Raaz** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant ***DoPT O.M.***s in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **Shri. Dharmendra Raaz** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not

done 28/11/2023

be fit for permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the SC / ST / OBC / EWS certificate being verified through proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC / ST/ EWS / OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code or any other Act, for the time being in force, for production of false certificates (*applicable in respect of SC/ST/OBC/EWS candidates*).

5. Hindi version follows.

Signed by
Maneesh Kumar
Date: 03-11-2023 17:38:37
[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To

SHRI. DHARMENDRA RAAZ,
C 120, AKSHAR BIHAR SOCIETY, BEHIND LEGEND HOTEL, TARSALI BYPASS, TARSALI, VADODARA, GUJARAT, PIN 390009

Copy Submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**
5. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.**
6. **The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.**

7. **The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
8. **The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
9. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

/1519718/2023

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/34/2023-ESTT.

ESTABLISHMENT ORDER NO.175/2023

(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/86654)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2022 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate's offer of appointment of even no. dated 22.09.2023, communicated after the Rozgar Mela held on 26.09.2023, **Shri. Bipul Pandit**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F. No. A.12034/SSC/07/2022-Ad.lll.B dated 08.08.2023 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **OBC** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and caste certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level–7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **19.10.2023 (F.N).**

2. **Shri. Bipul Pandit** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant ***DoPT O.M.***s in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **Shri. Bipul Pandit** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for

done 28/11/2023

permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the SC / ST / OBC / EWS certificate being verified through proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC / ST/ EWS / OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code or any other Act, for the time being in force, for production of false certificates (*applicable in respect of SC/ST/OBC/EWS candidates*).

5. Hindi version follows.

Signed by
Maneesh Kumar
Date: 03-11-2023 17:39:11
[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To

SHRI. BIPUL PANDIT,
704 B M ROAD, CHAMPDANI PO BAIDYABATI, HOOGHLY DIST, WEST BENGAL, PIN 712222

Copy Submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**
5. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.**
6. **The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.**
7. **The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.**

8. **The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
9. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

/1519722/2023

Azadi Ka Amrit Mahotsav

G20 भारत 2023 INDIA

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/34/2023-ESTT.

ESTABLISHMENT ORDER NO.174/2023

(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/86636)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2022 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate's offer of appointment of even no. dated 22.09.2023, communicated after the Rozgar Mela held on 26.09.2023, **Shri. Azhar B Shibin**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F. No. A.12034/SSC/07/2022-Ad.lll.B dated 08.08.2023 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **UR** category, is appointed, subject to verification of character and antecedents, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level–7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **26.09.2023 (F.N).**

2. **Shri. Azhar B Shibin** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant ***DoPT O.M.s*** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **Shri. Azhar B Shibin** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for

28/11/2023

permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. Hindi version follows.

Signed by
Maneesh Kumar
Date: 08.11.2023 17:09:48
[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To

SHRI. AZHAR B SHIBIN,
SHABNAM VADAKKUMTHALA EAST, KARUNAGAPALLY, KOLLAM, KERALA, PIN - 690536

Copy Submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**
5. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.**
6. **The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.**
7. **The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
8. **The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
9. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

/1519725/2023

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/34/2023-ESTT.

ESTABLISHMENT ORDER NO.173/2023

(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/86644)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2022 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate's offer of appointment of even no. dated 22.09.2023, communicated after the Rozgar Mela held on 26.09.2023, **Shri. Aswin Ashok**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F. No. A.12034/SSC/07/2022-Ad.lll.B dated 08.08.2023 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **OBC** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and caste certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level–7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **26.09.2023 (F.N).**

2. **Shri. Aswin Ashok** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant ***DoPT O.M.***s in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **Shri. Aswin Ashok** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for

permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the SC / ST / OBC / EWS certificate being verified through proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC / ST/ EWS / OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code or any other Act, for the time being in force, for production of false certificates (*applicable in respect of SC/ST/OBC/EWS candidates*).

5. Hindi version follows.

Signed by
Maneesh Kumar
Date: 03-11-2023 17:40:20
[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To

SHRI. ASWIN ASHOK,
INDHIRA MANDIRAM, NJARACKAL, PERINAD P O, KOLLAM, KERALA, PIN 691601

Copy Submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**
5. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.**
6. **The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.**

7. **The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
8. **The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
9. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

/1519732/2023

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/34/2023-ESTT.

ESTABLISHMENT ORDER NO.172/2023

(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/86646)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2022 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate's offer of appointment of even no. dated 22.09.2023, communicated after the Rozgar Mela held on 26.09.2023, **Shri. Ashwin G**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F. No. A.12034/SSC/07/2022-Ad.lll.B dated 08.08.2023 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **UR** category, is appointed, subject to verification of character and antecedents, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level–7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **29.09.2023 (F.N).**

2. **Shri. Ashwin G** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant ***DoPT O.M.***s in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **Shri. Ashwin G** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent

done 28/11/2023

absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. Hindi version follows.

Signed by
Maneesh Kumar
Date: 03-11-2023 17:40:48

[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To

SHRI. ASHWIN G,
15/282, SREERAGAM, LAL NAGAR, PUDUPPARIYARAM PO, PALAKKAD, KERALA, PIN -678731

Copy Submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**
5. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.**
6. **The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.**
7. **The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
8. **The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
9. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

/1519736/2023

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/34/2023-ESTT.

ESTABLISHMENT ORDER NO.171/2023

(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/86660)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2022 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate's offer of appointment of even no. dated 22.09.2023, communicated after the Rozgar Mela held on 26.09.2023, **Shri. Arjun M**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F. No. A.12034/SSC/07/2022-Ad.lll.B dated 08.08.2023 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **OBC** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and caste certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level–7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **26.09.2023 (F.N).**

2. **Shri. Arjun M** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant ***DoPT O.M.***s in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **Shri. Arjun M** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for

done 28/11/2023

permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the SC / ST / OBC / EWS certificate being verified through proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC / ST/ EWS / OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code or any other Act, for the time being in force, for production of false certificates (*applicable in respect of SC/ST/OBC/EWS candidates*).

5. Hindi version follows.

Signed by
Maneesh Kumar
Date: 03-11-2023 17:14:18

[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To

SHRI. ARJUN M,
PANCHAVADI HOUSE, MUNDIYANKAVU PARAMBU, VALLIKUNNU PO,
MALAPPURAM, KERALA, PIN 673314

Copy Submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**
5. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.**
6. **The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.**
7. **The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.**

8. **The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
9. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

/1519742/2023

Azadi Ka Amrit Mahotsav

G20 भारत 2023 INDIA

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/34/2023-ESTT.

ESTABLISHMENT ORDER NO.170/2023

(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/86640)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2022 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate's offer of appointment of even no. dated 22.09.2023, communicated after the Rozgar Mela held on 26.09.2023, **Ms. Ardra B**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F. No. A.12034/SSC/07/2022-Ad.lll.B dated 08.08.2023 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **UR** category, is appointed, subject to verification of character and antecedents, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level–7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **09.10.2023 (A.N).**

2. **Ms. Ardra B** is informed that she will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if she thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant ***DoPT O.M.***s in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **Ms. Ardra B** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that she will not be fit for

done 28/11/2023

permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate her services or pass such orders as she thinks fit.

4. Hindi version follows.

Signed by
Maneesh Kumar
Date: 03-11-2023 17:41:42

[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To

MS. ARDRA B,
UTHIRAKULATHU, POOVARANI PO, PALA, KOTTAYAM, KERALA, PIN- 686577

Copy Submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**
5. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.**
6. **The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.**
7. **The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
8. **The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
9. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

/1519747/2023

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/34/2023-ESTT.

ESTABLISHMENT ORDER NO.169/2023

(Thirvananthpuram GST & CX/KOCHI/INSPECTOR/86639)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2022 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate's offer of appointment of even no. dated 22.09.2023, communicated after the Rozgar Mela held on 26.09.2023, **Shri. Anantha Krishnan H**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F. No. A.12034/SSC/07/2022-Ad.lll.B dated 08.08.2023 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **UR** category, is appointed, subject to verification of character and antecedents, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level–7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **04.10.2023 (F.N).**

2. **Shri. Anantha Krishnan H** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant ***DoPT O.M.s*** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **Shri. Anantha Krishnan H** is not fit for permanent absorption or if at any time

during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. Hindi version follows.

Signed by
Maneesh Kumar
Date: 03.11.2023 17:42:08

[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To

SHRI. ANANTHA KRISHNAN H,
SURYAKANTHAM, OTTAKKAL PO, THENMALA, KOLLAM, KERALA, PIN 691308

Copy Submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**
5. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.**
6. **The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.**
7. **The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
8. **The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
9. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

/1519751/2023

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोचिच, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/34/2023-ESTT.

ESTABLISHMENT ORDER NO.168/2023

(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/86659)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2022 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate's offer of appointment of even no. dated 22.09.2023, communicated after the Rozgar Mela held on 26.09.2023, **Shri. Ameen Ahammed Suhail K**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F. No. A.12034/SSC/07/2022-Ad.lll.B dated 08.08.2023 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **OBC** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and caste certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level–7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **26.09.2023 (F.N).**

2. **Shri. Ameen Ahammed Suhail K** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant ***DoPT O.M.***s in this regard.

done 28/11/2023

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **Shri. Ameen Ahammed Suhail K** is not fit for permanent absorption or if at any

time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the SC / ST / OBC / EWS certificate being verified through proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC / ST/ EWS / OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code or any other Act, for the time being in force, for production of false certificates (*applicable in respect of SC/ST/OBC/EWS candidates*).

5. Hindi version follows.

Signed by
Maneesh Kumar
Date: 03-11-2023 17:42:37

[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To

SHRI. AMEEN AHAMMED SUHAIL K,
KOTIARY H, KARANTHUR PO, VIA KUNNAMANGALAM, KOZHIKODE, KERALA, PIN- 673571

Copy Submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**
5. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.**
6. **The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.**

7. **The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
8. **The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
9. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

/1519757/2023

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोचिच, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/34/2023-ESTT.

ESTABLISHMENT ORDER NO.167/2023

(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/86632)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2022 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate's offer of appointment of even no. dated 22.09.2023, communicated after the Rozgar Mela held on 26.09.2023, **Shri. Alok M Antony**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F. No. A.12034/SSC/07/2022-Ad.lll.B dated 08.08.2023 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **UR** category, is appointed, subject to verification of character and antecedents, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level–7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **26.09.2023 (F.N).**

2. **Shri. Alok M Antony** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant ***DoPT O.M.***s in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **Shri. Alok M Antony** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for

done 28/11/2023

permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. Hindi version follows.

Signed by
Maneesh Kumar
Date: 08-11-2023 10:08:18
[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To

SHRI. ALOK M ANTONY,
MURICKAL HOUSE, POONJAR PO, KOTTAYAM, KERALA, PIN 686581

Copy Submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**
5. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.**
6. **The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.**
7. **The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
8. **The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
9. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

/1519758/2023

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/34/2023-ESTT.

ESTABLISHMENT ORDER NO.166/2023

(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/86662)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2022 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate's offer of appointment of even no. dated 22.09.2023, communicated after the Rozgar Mela held on 26.09.2023, **Shri. Akash Aravind P**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F. No. A.12034/SSC/07/2022-Ad.lll.B dated 08.08.2023 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **OBC** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and caste certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level–7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **29.09.2023 (F.N).**

2. **Shri. Akash Aravind P** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant ***DoPT O.M.***s in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **Shri. Akash Aravind P** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not

above 28/11/2023

be fit for permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the SC / ST / OBC / EWS certificate being verified through proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC / ST/ EWS / OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code or any other Act, for the time being in force, for production of false certificates (*applicable in respect of SC/ST/OBC/EWS candidates*).

5. Hindi version follows.

Signed by
Maneesh Kumar
Date: 03-11-2023 17:43:30

[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To

SHRI. AKASH ARAVIND P,
NO 5, S AND S ENCLAVE, 5TH CROSS R A ROAD, EJIPURA, VIVEK NAGAR POST, BANGALORE, KARNATAKA, PIN-560047

Copy Submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**
5. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.**
6. **The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.**

7. **The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
8. **The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
9. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

/1519761/2023

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/34/2023-ESTT.

ESTABLISHMENT ORDER NO.165/2023

(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/86664)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2022 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate's offer of appointment of even no. dated 22.09.2023, communicated after the Rozgar Mela held on 26.09.2023, **Shri. Ajay Raj Kumar**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F. No. A.12034/SSC/07/2022-Ad.lll.B dated 08.08.2023 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **OBC** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and caste certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level–7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **03.10.2023 (F.N).**

2 **Shri. Ajay Raj Kumar** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant ***DoPT O.M.***s in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **Shri. Ajay Raj Kumar** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for

done 28/11/2023

permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the SC / ST / OBC / EWS certificate being verified through proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC / ST/ EWS / OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code or any other Act, for the time being in force, for production of false certificates (*applicable in respect of SC/ST/OBC/EWS candidates*).

5. Hindi version follows.

Signed by
Maneesh Kumar
Date: 03-11-2023 17:43:58

[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To

SHRI. AJAY RAJ KUMAR,
VILL-PURAINI POST-PURAINI PS-GIRIYAK, NALANDA, BIHAR PIN: 803109

Copy Submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**
5. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.**
6. **The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.**
7. **The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.**

8. **The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
9. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

/1516033/2023

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/34/2023-ESTT.

ESTABLISHMENT ORDER NO.164/2023

(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/86657)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2022 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate's offer of appointment of even no. dated 22.09.2023, communicated after the Rozgar Mela held on 26.09.2023, **Shri. Ajay Dhakar** , a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F. No. A.12034/SSC/07/2022-Ad.lll.B dated 08.08.2023 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **OBC** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and caste certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level–7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **06.10.2023 (F.N).**

2. **Shri. Ajay Dhakar** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant ***DoPT O.M.***s in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **Shri. Ajay Dhakar** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for

done 28/11/2023

permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the SC / ST / OBC / EWS certificate being verified through proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC / ST/ EWS / OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code or any other Act, for the time being in force, for production of false certificates (*applicable in respect of SC/ST/OBC/EWS candidates*).

5. Hindi version follows.

Signed by
Maneesh Kumar
Date: 03-11-2023 17:11:07

[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To

SHRI. AJAY DHAKAR,
VILLAGE BASTORI, POST RIJHONI, TEHSIL KAILARAS, DIST MORENA, MADHYA PRADESH, PIN 476224

Copy Submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**
5. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.**
6. **The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.**
7. **The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.**

8. **The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
9. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

/1519765/2023

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/34/2023-ESTT.

ESTABLISHMENT ORDER NO.163/2023

(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/86653)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2022 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate's offer of appointment of even no. dated 22.09.2023, communicated after the Rozgar Mela held on 26.09.2023, **Shri. Ajay A S**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F. No. A.12034/SSC/07/2022-Ad.lll.B dated 08.08.2023 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **OBC** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and caste certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level–7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **26.09.2023 (F.N).**

2. **Shri. Ajay A S** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant ***DoPT O.M.***s in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **Shri. Ajay A S** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for

done 28/11/2023

permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the SC / ST / OBC / EWS certificate being verified through proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC / ST/ EWS / OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code or any other Act, for the time being in force, for production of false certificates (*applicable in respect of SC/ST/OBC/EWS candidates*).

5. Hindi version follows.

Signed by
Maneesh Kumar
Date: 03-11-2023 17:45:22
[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To
SHRI. AJAY A S,
AISWARYA NEENDAKARA, KOLLAM, KERALA, PIN - 691582

Copy Submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**
5. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.**
6. **The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.**
7. **The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.**

8. **The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
9. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

/1519772/2023

Azadi Ka Amrit Mahotsav

G20 भारत 2023 INDIA

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/34/2023-ESTT.

ESTABLISHMENT ORDER NO.162/2023

(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/86638)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2022 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate's offer of appointment of even no. dated 22.09.2023, communicated after the Rozgar Mela held on 26.09.2023, **Ms. Aisswaria K Davis**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F. No. A.12034/SSC/07/2022-Ad.lll.B dated 08.08.2023 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **UR** category, is appointed, subject to verification of character and antecedents, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level–7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **05.10.2023 (F.N).**

2. **Ms. Aisswaria K Davis**, is informed that she will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if she thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant ***DoPT O.M.***s in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that, **Ms. Aisswaria K Davis** is not fit for permanent absorption or if at any time

during such period of probation or extension thereof, is satisfied that she will not be fit for permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate her services or pass such orders as she thinks fit.

4. Hindi version follows.

Signed by
Maneesh Kumar
Date: 03-11-2023 17:44:48

[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To

MS. AISSWARIA K DAVIS,
KANNAMPUZHA HOUSE, VELLILAM ROAD, MAMBRA PO, WEST KORATTY,
THRISSUR, KERALA, PIN 680308

Copy Submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**
5. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.**
6. **The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.**
7. **The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
8. **The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
9. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

/1496226/2023

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/4/2023-ESTT Date: .10. 2023

ORDER No. 161/2023

Sub: Transfer & Postings in the cadre of Inspector, Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone - reg.

The following transfer & postings in the cadre of & Inspector of Central Tax & Central Excise is hereby ordered with immediate effect.

Sl No	Name (S/Shri./Smt.) & Designation	DOB	From	To
1.	Sumit Kumar Varshney, Inspector	01.11.1987	Verification Cell, Hqrs Kochi	Verification Cell, Hqrs Kochi with addl. charge in CCO
2.	Rajeev K, Inspector	08.04.1974	Ernakulam Range-I	CCO
3.	Khursheed Alam Khan, Inspector	16.08.1991	Systems, Hqrs Kochi	CCO

2. Supervisory officers shall ensure that the officers are relieved from their previous post only after proper relieving/handing over notes are mutually exchanged so as to ensure smooth transition. The officers are to join their new place of posting latest by **27.10.2023**. Supervisory officers will be held responsible if the officers are not getting relieved within the stipulated time.

3. This is issued with the approval of the Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.

4. Report compliance by **30.10.2023**.

done 28/11/2023

Signed by Maneesh Kumar
[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER
Date: 29-10-2023 13:39:52
Reason: Approved

To:

/1496226/2023

The Individual (Through the Supervisory Officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Hqrs. Kochi.**
2. **The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Kochi.**
3. **The Superintendent (Systems)) – for uploading in website.**
4. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

/1472556/2023

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/39/2022-Estt **Date: 12.10.2023**

ORDER NO. 160/2023

Sub: Transfer and postings in the grades of Executive Assistant/Tax Assistant – Central Tax and Central Excise, Kochi Commissionerate – Reg.

The following transfer and postings in the grades of Executive Assistant/Tax Assistant are hereby ordered with immediate effect:

Sl. No	Name & Designation	Date of birth	Transferred	
			From	To
1.	Alga Winny James, EA	17.05.1993	UOT to Establishment Section, Hqrs Kochi	Accounts (Expenditure) Section, Hqrs Kochi
2.	Bijaly Babu, EA	16.10.1971	Accounts Section, Hqrs Kochi	Ernakulam Division
3.	Vyshnavi E.K., TA	09.04.1999	UOT to Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate	Establishment Section, Hqrs Kochi
4.	Karun Vijay M., LDC	03.08.1993	Headquarters Section, Hqrs. Kochi and link officer in r/o Shri. Harikrishnan A.R. for CRU work.	SEVOTTAM & Headquarters Section, Hqrs. Kochi and link officer in r/o Shri. Harikrishnan A.R. for CRU work.

done 25/10/2023

2. The above order should be complied with latest by 20.10.2023 and the compliance reports should reach this office by 27.10.2023.

3. This is issued with the approval of the competent authority.

4. Hindi version follows.

Signed by
Bindu C T
Date: 12-10-2023 15:53:43

[C.T. Bindu]
Deputy Commissioner [P&V]

To

The individuals (Through the supervisory officers concerned)

Copy submitted to:

1. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**

Copy to:

1. **The Deputy Commissioner, Central Tax and Central Excise, Ernakulam Division.**
2. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Superintendent (Systems)/(Admn)/(Vig), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
4. **The Senior Translation Officer, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**

/1473676/2023

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/34/2020-ESTT **Date: 12.10.2023**

ORDER NO. 159/2023

Sub: Transfer & Posting in the grade of Administrative Officer- Central Tax and Central Excise, Kochi Commissionerate- Reg.

The following transfer & Posting in the grade of Administrative Officer of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate, is hereby ordered with immediate effect:

Sl. No.	Name (Smt.)	Date of Birth	From	To
1	Sindhumol K.K.	29.05.1970	Kakkanad Division with additional Charge of Ernakulam Charge	Kakkanad Division

2. This is issued with the approval of Competent Authority.
3. Hindi Version follows.

Signed by
Rani C R
Date: 12-10-2023 18:32:35

[Rani C.R.]
Additional Commissioner [P&V]

done 25/11/2023

To:

The Individual (Through the Supervisory Officers concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi.**

/1473676/2023

Copy to:

1. **All Deputy / Assistant Commissioner of Central Tax & Central Excise, Ernakulam Division/ Kakkanad Division.**
2. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer/ Administrative Officer (DDO), Central Tax & Central Excise, Hqrs Kochi.**
3. **The Administrative Officer (DDO), Central Tax & Central Excise , Ernakulam Division/ Kakkanad Division.**
4. **The Superintendent (Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
5. **The Superintendent (Systems) – for uploading in website.**
6. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

/1481296/2023

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोचिच, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/23/2022-ESTT **Date: 17.10.2023**

ORDER NO. 158/2023

Sub: Transfer & Postings in the grades of Head Havaldar and Havaldar - Central Tax and Central Excise, Kochi Commissionerate - Reg.

The following transfer and postings in the grades of Head Havaldar and Havaldar - Central Tax and Central Excise, Kochi Commissionerate, are hereby ordered with immediate effect:

Sl. No.	Name & Designation (S/Shri./ Smt.)	Date of Birth	Present Commissionerate	Posted To
1	Pavithran A.K. , Havaldar	01.01.1966	UoT to Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	Hqrs, Kochi
2	Kumari P.C. , Havaldar	16.08.1966	UoT to Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	Perumbavoor Division
3	Molly V.K., Havaldar	20.05.1967	UoT to Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	Thodupuzha Range
4	Kunjumon K., Head Havaldar	08.03.1970	Muvattupuzha Range	Aluva Division

done 25/11/2023

5	Rajan A.M., Head Havaldar	14.05.1964	Uot to Aluva Division	Retained at Hqrs, Kochi
6	Pushpendra Kumar Mishra, Havaldar	27.02.1995	Uot to Perumbavoor Division	Hqrs, Kochi
7	Ajay Alex, Havaldar	02.11.1998	Hqrs., Kochi	Kakkanad Division
8	Arun Kumar M, Head Havaldar	17.04.1965	Ernakulam Division	Ernakulam Ranges 1,2 & 3
9	Joshua Sunil Oommen, Havaldar	09.09.2000	Ernakulam Ranges 3 & 4	Ernakulam Division
10.	Abin Sabu, Havaldar	16.11.1998	Kakkanad Ranges 1 to 5	Kakkanad Division
11	Sourav T.P., Havaldar	28.03.1998	Ernakulam Ranges 1 & 2	Ernakulam Division
12	N.A. Christopher, Head Havaldar	08.03.1965	Ernakulam Ranges 5 & 6	Ernakulam Ranges 4, 5 & 6
13	Thomas Jackson M.J., Head Havaldar	23.04.1973	Kakkanad Division	Kakkanad Ranges 1 to 5

2. The above officers must be relieved and should join their new place of posting latest by 20.10.2023.

3. This is issued with the approval of the competent authority.

4. Report Compliance on 27.10.2023.

5. Hindi Version follows.

Signed by
Bindu C T
Date: 17-10-2023 10:48:45

[C.T. Bindu]
Deputy Commissioner (P&V)

To:

The Individuals (Through the Supervisory Officers concerned)

Copy submitted to:

/1481296/2023

1 . **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

2. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi.

Copy to:

1. All Deputy / Assistant Commissioners in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate.

2. The Chief Accounts Officer / Pay & Accounts Officer/ Administrative Officer (DDO), Central Tax & Central Excise, Kochi.

3. The Administrative Officer (DDO), in charge of Divisions of Central Tax and Central Excise, Kochi Commissionerate.

4. The Superintendent (Vig./ Hqrs.) Central Tax & Central Excise, Kochi.

5. The Superintendent (Systems) – for uploading in website.

6. Hindi Cell – for Hindi Version.

/1471709/2023

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोचिच, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/28/2023-ESTT Date: .10.2023

ORDER No. 157/2023

Sub: Transfer & Postings in the cadre of Inspector, Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate - reg.

Consequent to issue of Inter Commissionerate Transfer Order No. 156/2023 dated 09.10.2023, the following transfer & postings in the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate is hereby ordered with immediate effect.

Sl No	Name (S/Shri./Smt.)	DOB	From	To
1	ALOK M ANTONY	02.02.1997	*UOT to Kochi Commissionerate*	Kakkanad Range 5
2	AZHAR B SHIBIN	28.02.1999	*UOT to Kochi Commissionerate*	Ernakulam Division
3	AISSWARIA K DAVIS	26.04.1997	*UOT to Kochi Commissionerate*	Review Section, Headquarters, Kochi
4	ANIRUDH SINGH	09.02.1996	Arrears / Training Section, Headquarters, Kochi	Arrears/RTI/Training Section, Headquarters, Kochi
5	KIRAN S	05.02.1993	Technical/RTI Section, Headquarters, Kochi	Technical Section, Headquarters, Kochi

2. Supervisory officers shall ensure that the officers are relieved from their previous post only after proper relieving/handing over notes are mutually exchanged so as to ensure smooth transition. The officers are to join their new place of posting latest by **12.10.2023.** Supervisory officers will be held responsible if the officers are not getting relieved within the stipulated time.

done 25/11/2023

3. No representation shall be entertained from any officer before his/ her joining the new place of posting.

4. Report compliance by **13.10.2023.**

/1471709/2023

Signed by
Maneesh Kumar
[MANEESH KUMAR]
Date: 12-10-2023 15:51:11
COMMISSIONER

To:

The Individual (Through the Supervisory Officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copies to:

1. **All Dy./Asstt. Commissioner in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi.**
2. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Hqrs. Kochi.**
3. **The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Kochi.**
4. **The Superintendent (Systems)) – for uploading in website.**
5. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

/1463277/2023

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/28/2023-ESTT. **Date: .10.2023**

ORDER No.156/2023

Sub: Transfer & Postings in the cadre of Inspector, Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone - reg.

The following transfer & postings in the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise is hereby ordered with immediate effect.

Sl. No.	Name (S/Shri./Smt.)	D.O.B	From	To
1.	ABHISHEK MEENA	28-10-1996	*New recruit (CGLE 2021)*	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
2.	ALOK M ANTONY	02.02.1997	*New recruit (CGLE 2022)*	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
3.	MARVA BASHEER	25.02.1998	*New recruit (CGLE 2022)*	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin

done 25/11/2023

4.		AZHAR B SHIBIN	28.02.1999	*New recruit (CGLE 2022)*	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
5.		AISSWARIA K DAVIS	26.04.1997	*New recruit (CGLE 2022)*	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
6.		ANANTHA KRISHNAN H	14.12.1996	*New recruit (CGLE 2022)*	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
7.		S GAYATHRY	05.12.1998	*New recruit (CGLE 2022)*	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
8.		ASWIN ASHOK	20.02.1999	*New recruit (CGLE 2022)*	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
9.		ASHWIN G	05.10.1999	*New recruit (CGLE 2022)*	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram
10.		RANA BHANU PRATAP SINGH	17.02.2001	*New recruit (CGLE 2022)*	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
11.		SHUBHAM KUMAR JHA	22.01.1996	*New recruit (CGLE 2022)*	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode

12.	GOKUL SURESH S	08.04.1998	*New recruit (CGLE 2022)*	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
13.	AJAY A S	29.12.1998	*New recruit (CGLE 2022)*	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
14.	SAURAV KUMAR	14.11.2001	*New recruit (CGLE 2022)*	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram
15.	DHARMENDRA RAAZ	02.01.2001	*New recruit (CGLE 2022)*	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode
16.	AJAY DHAKAR	20.07.2000	*New recruit (CGLE 2022)*	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
17.	AMEEN AHAMMED SUHAIL K	22.05.1995	*New recruit (CGLE 2022)*	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
18.	ARJUN M	15.05.1994	*New recruit (CGLE 2022)*	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram
19.	AKASH ARAVIND P	29.01.1994	*New recruit (CGLE 2022)*	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode

20.	AJAY RAJ KUMAR	03.12.1996	*New recruit (CGLE 2022)*	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
21.	RAJANISH RAI	05.01.1996	*New recruit (CGLE 2022)*	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
22.	RAHUL	05.06.1998	*New recruit (CGLE 2022)*	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
23.	KASUKURTHI NIKHIL CHAKRAVARTHY	28.06.1995	*New recruit (CGLE 2022)*	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin

2. The officers are to join their new place of posting latest by 11.10.2023.

3. No representation shall be entertained from any officer before his/ her joining the new place of posting.

4. This is issued with the approval of the Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.

5. Report compliance by **13.10.2023**.

Signed by
Maneesh Kumar
Date: 09.10.2023 17:00:02

[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To:

The Individuals (Through the Supervisory Officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copies to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram.**

2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kozhikode.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Kochi.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Audit), Kochi.**
5. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Appeals), Kochi.**
6. **The Additional Director General, DGGI/ DRI Regional Unit, Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Kochi.**
7. **All Dy./Asstt. Commissioner in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi.**
8. **The Deputy/Asst. Commissioner in Thiruvananthapuram/ Kozhikode/Custom Preventive/ Audit, Kochi.**
9. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Hqrs. Kochi/ Thiruvananthapuram/ Kozhikode/Custom Preventive/ Audit, Kochi.**
10. **The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Kochi/Kozhikode/ Thiruvananthapuram /CCP / Audit.**
11. **The Superintendent (EDP) – for uploading in website.**
12. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

/1463390/2023

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/39/2022-Estt **Date: 09.10.2023**

ORDER NO. 155/2023

Sub: Transfer and postings in the grades of Executive Assistant/ Tax Assistant/Lower Division Clerk – Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone - Reg.

The following transfer and postings in the grades of Executive Assistant/Tax Assistant/Lower Division Clerk are hereby ordered with immediate effect:

Sl. No	Name & Designation (S/Shri./Kum.)	Date of birth	Transferred	
			From	To
1.	Sethu R., EA	21.10.1985	Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate	CCO-CCA
2.	Sreejith K.V., LDC	14.04.1990	UOT to CCO-CCA	Retained at Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate (Kakkanad Division)
3.	Vyshnavi E.K., TA	09.04.1999	On joining	Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate
4.	Nithin O., TA	17.02.1995	On joining	Central Tax & Central Excise, Kozhikode Commissionerate

done 24/11/2023 25

2. The above order should be complied with latest by 13.10.2023 and the compliance reports should reach this office by 20.10.2023.

3. This is issued with the approval of the competent authority.

4. Hindi version follows.

Signed by
Bindu C T
Date: 09-10-2023 17:12:18

[C.T. Bindu]
Deputy Commissioner [P&V]

To

The individuals (Through the supervisory officers concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi/Kozhikode.**

Copy to:

1. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi/Kozhikode.**
2. **The Superintendent (Systems)/Hindi Unit, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**

/1463370/2023

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/23/2022-ESTT **Date: 09.10.2023**

ORDER NO. 154/2023

Sub: Transfer & Postings in the grade of Havaldar - Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone- Reg.

The following postings in the grade of Havaldar of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone, are hereby ordered with immediate effect:

Sl. No.	Name (S/Shri./ Smt./Kum.)	Date of Birth	From	To
1	Pavithran A.K.	01.01.1966	On joining	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
2	Radhamany T.R.	07.05.1972	On joining	Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin
3	Geetha N.M.	26.05.1968	On joining	Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin
4	Beevi Kunju K.H.	18.05.1971	On joining	Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin
5	Latha K.K.	28.03.1968	On joining	Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin

done 24/11/2023

6	Prasanth P.R.	25.05.1972	On joining	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram
7	Thadevous K.V.	01.02.1968	On joining	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram
8	Selvaraj B.M.	30.05.1968	On joining	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram
9	Parvathy A.	10.07.1966	On joining	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode
10	Kumari P.C.	16.08.1966	On joining	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
11	Molly V.K.	20.05.1967	On joining	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
12	Baiju M.P.	30.05.1971	On joining	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram
13	Sayan K.M.	21.04.1966	On joining	Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin
14	Anik Chaudhuri	25.06.1996	On joining	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram

2. This is issued with the approval of the Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.

3. Hindi Version follows.

Signed by
Bindu C T
Date: 09-10-2023 17:10:47

[C.T. Bindu]
Deputy Commissioner (P&V)

To:

The Individuals (Through the Supervisory Officers concerned)

Copy submitted to:

1 . The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.

/1463370/2023

2. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kozhikode.
3. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram.
4. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.
5. The Commissioner of Customs (Preventive), Kochi.
6. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.
7. The Additional Director General, DGGI/ NACIN/ DRI Regional Unit, Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Kochi.

Copy to:

1. All Deputy / Assistant Commissioners in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate.
2. The Deputy / Assistant Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Customs (Preventive)/ Appeals/ Audit Comm'tes.
3. The Chief Accounts Officer / Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Thiruvanathapuram/ Kochi/ Kozhikode/ Appeals/ Audit/ Customs (Preventive) Comm'tes.
4. The Administrative Officer (DDO) Central Tax & Central Excise, Thiruvanathapuram/ Kochi/ Kozhikode/ Appeals/ Audit/ Customs (Preventive) Comm'tes.
5. The Superintendent (Vig./ Hqrs.) Central Tax & Central Excise, Thiruvanathapuram/ Kochi/ Kozhikode / Appeals/ Audit/ Customs (Preventive) Comm'tes.
6. The Superintendent (Systems) – for uploading in website.
7. Hindi Cell – for Hindi Version.

/1455052/2023

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/23/2023-Estt Date: .10.2023

ORDER NO. 153/2023
(DGHRD Appointment Order No. Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/HAVALDAR/85165)

Sub: Appointment to the grade of Havaldar, through SSC Multi-Tasking (Non-Technical) Staff, and Havaldar (CBIC & CBN) Examination, 2021 – Reg.

On acceptance of this Central Tax and Central Excise Commissionerate's Offer of appointment of even no. dated 18.07.2023, **Shri. Anik Chaudhuri,** a candidate allocated by the Ministry for appointment as Havaldar vide letter F.No.A.1 2034/SSC/06/2020-Ad.III.B dated 09.05.2023 and DGHRD's letter F. No. 8/B/37/HRD(HRM)/2019/Pt.I dated 11.05.2023 under **UR category**, is appointed as Havaldar in Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone on temporary capacity, subject to verification of character and antecedents, in Level – 1 in the pay matrix (Rs. 18,000-56,900) plus such allowances as may be sanctioned by the Government of India with effect from **05.10.2023 (F.N).**

2. **Shri. Anik Chaudhuri** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The Appointing Authority may, if he thinks fit, extend the period of probation.

3. If on the expiration of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, the appointing authority is of the opinion that the above candidate is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiration of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the caste/tribe certificate being verified through the proper channel and if

done 24/10/2023

the verification reveals that his claim to belong to SC/ST/OBC/EWS or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provision of the I.P.C. or any other Act, for the time being in force, for production of false certificate (applicable in respect of SC/ST/OBC/EWS candidates).

5. Hindi version follows.

Signed by
Rani C R
Date: 05-10-2023 15:02:39

[Rani C.R.]
Additional Commissioner [P&V]

To

Shri. Anik Chaudhuri,
S/o Shamindra Nath Chaudhuri,
180 3A, Goswami Para Road, Bally,
Howrah District, West Bengal – 711201.

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**

Copy to:

1. **The Superintendent (Vigilance), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi - for uploading on website.**
4. **The Senior Translation Officer, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**

/1528412/2023

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

II/(13)/54/2020-ESTT **Dated: .11.2023**

ESTABLISHMENT CIRCULAR NO. 01/2023

Attention is invited to the following letter.

Sl. No.	File No. and Date	Subject
1.	GCCO/II/(3)/50/2020-ADMN. Dated 31-10-2023	Filling up the post of Superintendent of Customs in SEZ– Reg.

Copy of the above mentioned letter is attached herewith for information and necessary action.

Encl: As Above

Signed by
Bindu C T
Date: 08-11-2023 09:50:01

[C. T. BINDU]
DEPUTY COMMISSIONER [P&V]

done 29/11/2023

GEXCOM/I/(8)/1/2020-ADMN-O/o Pr COMMR-CGST-KOCHI

540370/2023

Azadi Ka Amrit Mahotsav

G20 भारत 2023 INDIA

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/I/(18)/1/2020 ADMN. Dated: 14.11.2023

Sub: List of Closed Holidays and Restricted Holidays to be observed by Central Government Officers in Kerala during the year -2024-reg.

****

Please find enclosed Letter No.Welfare/A&E/CGEWCC/2023 dated 10.11.2023 from The Secretary-cum-Treasurer, CGEWCC, Thiruvananthapuram forwarding the list of closed Holidays and Restricted Holidays to be observed in Central Government Officers in Kerala during the year 2024.

Yours faithfully,

Encl: As above

Signed by
Bindu C T
Date: 14-11-2023 13:06:08

(BINDU.C.T)
DEPUTY COMMISSIONER (P&V)

To:

1. The Administrative Officer, Ernakulam Division/ Kakkanad Division/ Perumbavoor Division/ Idukki Division/ Aluva Division/ Thrissur Division/ Chalakkudy Division.
2. All Section Head of Central Tax and Central Excise Hqrs.,Kochi./EDP Cell

done 09/04/2024

GEXCOM/I/(8)/1/2020-ADMN-O/o Pr COMMR-CGST-KOCHI

I/1540370/2023

Restricted Holidays to be observed in Central Government Offices in Kerala during the Year 2024

Sl. No	Occasion	Date of Christian Era	Date of Saka Era	Day of the week
	SAKA ERA 1945			
1	New Year's Day	January 01	Pausha 11	Monday
2	Mannam Jayanthi	January 02	Pausha 12	Tuesday
3	Makara Sankranti	January 14	Pausha 24	Sunday
4	Magha Bihu/Pongal	January 15	Pausha 25	Monday
5	Guru Gobind Singh's Birthday	January-17	Pausha 27	Wednesday
6	Hazarat Ali's Birthday	January-25	Magha 05	Thursday
7	Basanta Panchami/ Sri Panchami	February-14	Magha 25	Wednesday
8	Shivaji Jayanti	February-19	Magha 30	Monday
9	Guru Ravida's Birthday	February-24	Phalguna 05	Sunday
10	Birthday of Swami Dayananda Saraswati	March 06	Phalguna 16	Wednesday
11	Ayya Vaikunda Swami Jayanthi	March 12	Phalguna 22	Tuesday
	SAKA ERA 1946			
12	Holika dahan	March 24	Chaitra 04	Sunday
13	Dolyatra	March 25	Chaitra 05	Monday
14	Maundy Thursday	March 28	Chaitra 08	Thursday
15	Easter Sunday	March 31	Chaitra 11	Sunday
16	Jamal-ul-Vida	April 05	Chaitra 16	Friday
17	Chaitra Sukhladi/Gudi Padava/Ugadi/Cheti Chand	April 09	Chaitra 20	Tuesday
18	Vaisakhi/ Vishu	April 13	Chaitra 24	Saturday
19	Meshadi (Tamil New Years's Day)/ Vaishakadi (Bengal)/ Bahag Bihu(Assam)	April 14	Chaitra 25	Sunday
20	Mayday	May 01	Vaisakha 11	Wednesday
21	Birth day of Guru Rabindranath Tagore	May 08	Vaisakha 18	Wednesday
22	Rath Yatra	July 07	Ashadha 16	Sunday
23	Karkkidaka vavu	August 08	Sravana 12	Saturday
24	Parsi New Year's Day/ Nauraj	August 15	Sravana 24	Thursday
25	Rakshabandhan/ Avani Avittom	August 19	Sravana 28	Monday
26	Sree Narayana Guru Jayanthi	August-20	Sravana 29	Tuesday
27	Ayyankali Jayanthi	August-28	Bhadra 06	Wednesday
28	Ganesh Chathurthi	September 07	Bhadra 16	Saturday
29	First Onam	September 14	Bhadra 23	Saturday
30	Onam or Thiru Onam Day	September 15	Bhadra 24	Sunday
31	Third Onam	September 16	Bhadra 25	Monday
32	Fourth Onam/ Vishwakarma day	September 17	Bhadra 26	Tuesday
33	Sree Narayana Guru Samadhi day	September 21	Bhadra 30	Saturday
34	Dussehra (Saptami)	October 10	Asvina 18	Thursday
35	Maharshi Valmiki's Birthday	October 17	Asvina 25	Thursday
36	Karaka Chaturthi (Karwa Chouth)	October 20	Asvina 28	Sunday
37	Naraka Chaturdasi	October 31	Kartika 09	Thursday
38	Govardhan Puja	November 02	Kartika 11	Saturday
39	Bhai Duj	November 03	Kartika 12	Sunday
40	Pratihar Shashthi or Surya Shashthi (Chhat Puja)	November 07	Kartika 16	Thursday
41	Guru Teg Bahadur's Martyrdom Day	November 24	Agrahayana 03	Sunday
42	Christmas Eve	December 24	Pausha 03	Tuesday

GEXCOM/I/(8)/1/2020-ADMN-O/o Pr COMMR-CGST-KOCHI

/1540370/2023

CLOSED HOLIDAYS-2024

Sl. No	Holiday	Date in Christian Era	Date in Saka Era	Day
1	Republic Day	January 26	Magha 06	Friday
2	# Maha Shivarathri	March 08	Phalguna 18	Friday
3	Good Friday	March 29	Chaitra 09	Friday
4	*Idu'l Fitar (Ramzan)	April 10	Chaitra 21	Wednesday
5	Mahavir Jayanti	April 21	Vaisakha 01	Sunday
6	Buddha Purnima	May 23	Jyaishtha 02	Thursday
7	*Idu'l Zuha (Bakrid)	June 17	Jyaishtha 27	Monday
8	*Muharram	July 16	Ashadha 25	Tuesday
9	Independence Day	August 15	Sravana 24	Thursday
10	# Janmashtami	August 26	Bhadra 04	Monday
11	*Milad-Un-Nabi or Id-E-Milad (Birthday of Prophet Mohammed)	September 16	Bhadra 25	Monday
12	Mahatma Gandhi's Birthday	October 02	Asvina 10	Wednesday
13	# Durgashtami	October 11	Asvina 19	Friday
14	Dussehra (Vijaya Dasami)	October 13	Asvina 21	Sunday
15	Diwali (Deepavali)	October 31	Kartika 09	Thursday
16	Guru Nanak's Birthday	November 15	Kartika 24	Friday
17	Christmas Day	December 25	Pausha 04	Wednesday

*Subject to change depending on sighting of the moon.

The date for the four holidays of Idu'l Fitr (Ramzan) on April 10, Idu'l Zuha (Bakrid) on June17, Muharam on July 16 and Milad-Un-Nabi or Id-E-Milad* [Birthday of Prophet Mohammed] on September 16 have been adopted from the State List. If the State Government changes any of these holidays, the changed date will be observed as a closed holiday for Central Government Offices in State. If the change of dates, of any of the above occasions, is notified, at very short notice, announcement ***through TV/AIR/Newspaper can be taken as authority for such change***.

Selected from the optional holiday's list other than 14 compulsory holidays.